

23 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1984

निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम

बम्बई

With best compliments of

K. K. Saksena

GENERAL MANAGER

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
New India Centre, 17, Cooperage Road,
Bombay - 400 039.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by Act of Parliament)

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Bombay 400 039**

**23rd Annual Report of the Directors,
Balance Sheet and Accounts
for the year ended the 31st December, 1984**

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay - 400 039.

BS/108/DICGC. 50(B)-85

March 23, 1985
Chaitra 2, 1907 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
New Central Office Building,
Bombay - 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for 1984

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents:

- (i) a copy of the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended the 31st December, 1984, together with a copy of the Auditors' Report; and
- (ii) a copy of the Annual Report on the working of the Corporation for the year 1984.

Yours faithfully,
Sd/- K. K. Saxena
General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay - 400 039.

BS/106/DICGC. 50(C)-85

March 23, 1985
Chaitra 2, 1907 (Saka)

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi - 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for 1984

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended the 31st December, 1984, together with the Auditors' Report; and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1984.

2. Copies of the above Balance Sheet and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of the Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha), under Section 32(2) of the Act *ibid.*

Yours faithfully,
Sd/- K.K. Saxena
General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Dr. M. V. HATE

*Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay
(Till 11th March, 1985)*

Dr. C. RANGARAJAN

*Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
(From 12th March, 1985 to 20th May, 1985)*

Dr. P. D. OJHA

*Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
(From 21st May, 1985)*

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Dr. P. D. OJHA

*Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay.
(Till 28th April, 1985)*

Nominated under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

K. K. MISRA

*Director, Government of India, Ministry of Finance,
Department & Economic Affairs (Banking Division),
New Delhi.*

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. V. GHATALIA

Chartered Accountant, Bombay.

R. V. MADHAVA RAO

*Managing Director, General Insurance Corporation of
India, Bombay.*

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

M. R. B. PUNJA

Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay.

A. S. PURI

Managing Director, State Bank of India, Bombay.

S. P. SEN GUPTA

Chairman & Managing Director, United Commercial Bank, Calcutta.

H. K. SAMAL

Co-operator, Orissa.

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

Shri K. K. Saksena

DY. GENERAL MANAGERS

Shri I. S. Sharma

Shri M. L. Seth

Shri P. Krishnamurthy

CHIEF ACCOUNTANT

Shri J. Fonseca

MANAGER, ADMINISTRATION

Shri S. T. Khanzode

OTHER OFFICERS

MANAGERS

Shri A. D. Nadkarni

Smt. M. A. Malshe

Shri L. Rajaram

SECRETARY

Shri S. N. Talati

Shri P. T. Kurien (Taking over)

BRANCH MANAGERS

BOMBAY

Shri G. S. Kulkarni

MADRAS

Shri Y. S. P. Thorat

CALCUTTA

Shri S. P. Chatterjee

NEW DELHI

Shri M. M. S. Rekhras

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s. A.J. Shah & Co.
Chartered Accountants,
Fort Chambers, 'C' Block,
65, Tamarind Lane, Fort,
Bombay—400 023

OFFICES OF THE CORPORATION

HEAD OFFICE		Tel Nos.	Telegram
	New India Centre, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, BOMBAY - 400 039.		'CREDITGARD'
	General Manager's Secretariate and Board Section Dy. General Manager	2027323 2022408	
	Computer Division SSI Credit Guarantee Department Co-operative Credit Guarantee Section . Novelty Chambers 4th, 5th, 6th & 8th Floors, Grant Road, Post Box No. 4095, BOMBAY - 400 007.	2020299	
	Dy. General Manager Deposit Insurance Department Non-Industrial Credit Guarantee Deptt. Accounts Department Administration Department	892364 892577 375027 893256	'DEPOSITINS'
BRANCHES			
(i) Bombay	Eros Building, 5th Floor, Churchgate, BOMBAY - 400 020.	222321	'CREDITGARD'
(ii) Calcutta	8, Council House Street, (First Floor), Post Box No. 17, CALCUTTA - 700 001.	226029	'DISINGUAR'
(iii) Madras	Kuralagam Building, 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021, MADRAS - 600 108.	26524 28139	'CREDITGARD'
(iv) New Delhi	Reserve Bank of India Building, 6, Sansad Marg, Post Box No. 123, NEW DELHI -110 001.	386487 383901	'DEPOSITINS'

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED THE 31ST DECEMBER, 1984

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the Twenty third Annual Report of the Corporation for the year ended the 31st December, 1984.

Results—An overview

2.1 During 1984 also, the Corporation made significant progress in achieving its twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended to certain categories of small borrowers (including farmers, village artisans, etc.), particularly those belonging to the weaker and hitherto neglected sections of the society. The number of insured banks rose to 1,805 from 1,736 last year. The insured deposits rose by 22.8 per cent to Rs.46,339.53 crores* and the number of fully protected deposit accounts went up by 12.1 per cent to 2,000 lakhs*. One co-operative bank was taken into liquidation and its claim for Rs.18.51 lakhs* was settled. The Deposit Insurance Fund increased from Rs.177.00 crores to Rs. 218.89 crores constituting 0.47 per cent of the total insured deposits.

2.2 As regards credit guarantee schemes, the guaranteed advances to the non-industrial sector rose by 22.9 per cent to Rs.7,098.56 crores and to the small scale industrial sector by 17.7 per cent to Rs.4,890.86 crores. A new scheme for urban co-operative banks was introduced from 1st July, 1984, providing guarantee cover to their advances to small transport operators, retail traders, small business and professional and self-employed persons. As at the end of the year, the guaranteed advances under this scheme stood at Rs.5.69 crores. A record number of 2,64,409 claims for Rs.79.35 crores were settled—both under the Corporation's four schemes and under the Government's Scheme (since cancelled) as their agent, as indicated below, recording a rise of 71.1 per cent in number and 33.7 per cent in amount of such claims settled.

(Amount in crores of rupees)

	1984		1983	
	Number	Amount	Number	Amount
1. Claims under non-industrial Schemes	2,36,625	32.09	1,27,714	19.64
2. Claims under the SSI Schemes (Corporation's and the Government of India's)	27,784	47.26	26,797	39.71
	<u>2,64,409</u>	<u>79.35</u>	<u>1,54,511</u>	<u>59.35</u>

The claims disposal rate achieved has been an all time high at 22,034 claims per month as against 12,876 achieved during last year. However, the total claim receipts have also been an all time high at 2,80,913 claims for Rs.132.19 crores (as against 1,64,677 claims for Rs.80.50 crores received in 1983) out of which claim receipts under the Corporation's Schemes alone have been 2,72,992 claims for Rs.115.69 crores. Against this, the guarantee fee receipt by the Corporation during 1984 totalled only Rs.87.91 crores endangering the viability of these schemes. The extent of guarantee cover was, therefore, reviewed as a first step, and with a view, inter alia, to ensuring the financial viability of the schemes & also to see that there is no dilution in

*One crore is equal to 10 million & ten lakhs are equal to 1 million.

the quality of lendings to small borrowers and better recycling of funds, the guarantee cover has been brought down to 60 per cent (from 66 2/3, 75 or 90 per cent wherever it was so available) in respect of such lendings from 1st January, 1985 onwards. The existing fee rates have not been changed for the present. After providing for all claims lodged under the Corporation's schemes till the end of 1984, the Credit Guarantee Fund increased marginally from Rs. 117.05 crores to Rs. 118.04 crores constituting 0.98 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 11,995 crores.

2.3 Despite large increase in the volume and range of its activities, the Corporation was able to handle the additional work without any increase in its staff strength which remained pegged at the 1982 level. A team approach to management was introduced to foster more open communications resulting in increased productivity of the personnel. The computerisation introduced since September, 1983 was stabilised enabling the Corporation to break the logjam and clear a large backlog of pending claims for small amounts. It is now being extended to other work areas. Thus, the Corporation has been able to expand its guarantee support and achieve improvement in productivity, through the use of modern technology and fuller utilisation of its capacity and resources.

Capital and Management

3. The capital of the Corporation was increased from Rs. 15 crores to Rs. 50 crores from 1st May, 1984 and it stands fully subscribed by the Reserve Bank of India. Dr. M. V. Hate relinquished his Chairmanship of the Board of Directors of the Corporation on 11th March, 1985 consequent on his retirement from the service of the Reserve Bank as a Deputy Governor. Dr. C. Rangarajan, a Deputy Governor has been nominated as Chairman on the Board with effect from 12th March, 1985. Shri K.K. Misra, Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (Banking Division), Government of India was nominated as a Director with effect from 24th April, 1984 vice Shri Ashok Chandra. Sarvashri Harekrishna Samal, an eminent Co-operator and A.S. Puri, Managing Director, State Bank of India were nominated as Directors for two years with effect from 19th July, 1984 and 30th July, 1984 respectively vice Sarvashri L.P. Bhargava and V.N. Nadkarni. Shri S.P. Sen Gupta, Chairman and Managing Director, United Commercial Bank, Calcutta was also nominated as a Director with effect from 18th August, 1984 to 18th July, 1986 vice Shri B.V. Sonalker. Shri M.R.B. Punja, Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India was re-nominated as a Director for a further period from 1st January, 1984 to 14th December, 1985. The Board places on record its deep appreciation of the valuable contribution made by Dr. M. V. Hate as Chairman of the Corporation and by the outgoing Directors and welcomes the new Chairman and the new Directors.

4. Five meetings of the Board, four meetings of the Executive Committee and nine meetings of the Claims Committee of the Corporation were held during the year under report. The Head Office of the Corporation continued to be at Bombay with four branch offices at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

Insured banks

5.1 The Deposit Insurance Scheme is applicable to all the commercial and regional rural banks

and co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. During the year, the number of insured commercial banks rose by one to 84, regional rural banks by 23 to 171 and co-operative banks by 45 to 1,550. As at the end of the year, the total number of insured banks thus increased to 1,805 from 1,736 registered till last year.

5.2 Forty seven co-operative banks in 11 States and in one Union Territory were registered during the year with Maharashtra State accounting for 15 banks. Two banks in Maharashtra were deregistered as one of them viz., Dadhich Sahakari Bank Ltd., Malad, Bombay went into liquidation in February, 1984 while the other viz., Urban Co-operative Bank Ltd., Telhara was voluntarily amalgamated with the Janata Commercial Co-operative Bank Ltd., Akola, with effect from 31st July, 1984. The number of co-operative banks covered by the Deposit Insurance Scheme thus increased by 45 during the year. A list of banks registered/deregistered during the year as well as summary of insured banks is given in Annexure I. A statement giving the number of banks covered under the Scheme since the inception of the Corporation and those deregistered till end of 1984 is given in Annexure. II.

Extension of the Scheme to Co-operative Banks in other States

5.3 The scheme of insurance of deposits has so far been extended to co-operative banks in fourteen States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories viz., Delhi, Goa, Daman & Diu and Pondicherry. As regards the remaining States/Union Territories, the amendments to the Bihar State Co-operative Societies Act as passed by the Bihar State Government and the Co-operative Societies Bill as passed by the Haryana State Government and the extension of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to the State of Sikkim are under consideration of the Reserve Bank of India. The position in the remaining States/Union Territories remains unchanged. The total number of co-operative banks in these States/Union Territories as at the end of the year is 91.

Rate of insurance premium and limit of cover

6.1 The rate of insurance premium at 4 paise per Rs. 100 per annum has remained unchanged. The limit of insurance cover per depositor (in the same right and capacity) per bank at Rs. 30,000/- has also remained unchanged.

6.2 The total amount of insurance premia collected during the year aggregated Rs. 28.97 crores which included Rs. 26.16 crores collected from commercial banks, Rs. 0.27 crore from regional rural banks and Rs. 2.54 crores from co-operative banks.

Insured deposits

7.1 As at the end of June, 1984, the Corporation has insured deposits to the extent of Rs. 46,339.53 crores as against the total assessable deposits of banks at Rs. 61,880.23 crores. The insured deposits[@] formed 74.8 per cent of the assessable deposits. * Likewise, the total number

[@] Insured deposit means deposit or any portion thereof, the repayment of which is insured by the Corporation upto Rs. 30,000/-.

* Assessable deposits is defined as the aggregate of unpaid balances due to a depositor (other than a Foreign Government, the Central Government, a State Government and a bank) in respect of all his accounts.

of fully protected accounts at 2,000.19 lakhs formed 98.7 per cent of the total number of accounts at 2,025.94 lakhs as on that date. A statement giving the number of fully protected accounts, insured deposits and assessable deposits of the insured banks for a few selected years is given in Annexures III & IV. It will be observed from the Annexures that there has been considerable improvement in the percentage of total insured deposits to total assessable deposits which has increased from 23.1 per cent in 1961 to 74.8 per cent in 1984. The percentage of fully protected accounts has also shown an improvement from 78.5 per cent to 98.7 per cent during this period.

7.2 The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 62.4 per cent and 37.6 per cent respectively of the total assessable deposits, indicating a remarkable progress, as compared to the percentage of deposits in fully protected accounts at 9.7 at the end of 1961.

Insurance claims paid

8.1 Except for one claim for Rs.18.51 lakhs in respect of Dadhich Sahakari Bank Ltd., Malad, Bombay (in liquidation) which was received and paid during the year, no other claim was received or paid. The claim of Rs.13.70 lakhs received earlier from the Liquidator, Kollur Parvathi Co-operative Bank Ltd., however, continues to be held in abeyance pending disposal by the Andhra Pradesh High Court of the revision application of the aggrieved parties.

8.2 The total amount of claims paid and provided for in respect of 14 commercial banks remained unchanged at Rs.113.02 lakhs as on the 31st December, 1984. No repayments were received during the year. After adjusting the repayments of Rs.88.13 lakhs received till end of 1984 and an amount of Rs.1.97 lakhs written off in 1981 in respect of 3 commercial banks, the balance due to the Corporation stands at Rs.22.92 lakhs.

8.3 As regards co-operative banks, the total amount of claims paid and provided for increased from Rs.190.66 lakhs in respect of 11 co-operative banks as at the end of 1983 to Rs.209.17 lakhs in respect of 12 co-operative banks. Two repayments of Rs.1.84 lakhs in respect of the Malvan Co-operative Urban Bank Ltd. and Rs.0.78 lakh in respect of the Ratnagiri Urban Co-operative Bank Ltd. were received from the respective transferee banks taking the total repayments received till 1984 to Rs.20.15 lakhs. An amount of Rs.0.02 lakh provided for earlier in respect of untraceable depositors of the Malvan Co-operative Urban Bank Ltd. (amalgamated with Saraswat Co-operative Bank Ltd. in January, 1984) was also written back since this would now be met by the transferee bank. After adjusting the above, the balance due to the Corporation in respect of 12 co-operative banks stands at Rs. 189 lakhs as at 31st December, 1984.

8.4 Details of claims paid and provided for, repayments received etc. are given in Annexure V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

(a) **Credit Guarantee Schemes relating to the non-industrial sector (i.e. other than those relating to Small Scale Industries)**

Guaranteed advances

9.1 A statement giving year-wise position of the guaranteed advances under the three schemes

CHART - I




CHART - II





CHART-III

**INSURANCE COVERAGE IN
COMMERCIAL AND CO-OPERATIVE BANKS
(LAST FRIDAY OF JUNE, 1984)**

**TOTAL NUMBER
OF ACCOUNTS
RUPEES
2025.94
LAKHS**



**TOTAL AMOUNT
OF
ASSESSABLE
DEPOSITS
RUPEES
61,880.23
CRORES**





CHART-IV

**GROWTH OF DEPOSIT
INSURANCE FUND
(IN CRORES OF RUPEES)**



for the non-industrial sector viz., the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971, and the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971, as also a sector-wise analysis of the advances is given in Annexure-VI. The total guaranteed advances which stood at Rs.208.39 crores at the end of June, 1972 steadily increased to Rs.5,773.83 crores as at the end of June, 1983 and further to Rs.7,098.56 crores as at the end of June, 1984 indicating a rise of 22.9 per cent over the figures of the previous year and more than 34 fold increase since 1972. The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 in which the commercial banks including the regional rural banks are participating continues to account for the bulk of total guaranteed advances, forming 99.3 per cent thereof.

Sector-wise analysis

9.2 Of the total guaranteed advances aggregating Rs.7,098.56 crores under the three schemes, advances to farmers and agriculturists continue to constitute a major portion (58.9%) followed by credit to transport operators (18.2%), retail traders (10%), business enterprises (4.6%), professional and self-employed persons (4.6%) and the residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme (3.7%).

Participating credit institutions

10. A list of credit institutions participating in these schemes as on the 31st December, 1984 is given in Annexure VII. During the year, 18 regional rural banks joined the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 while 12 regional rural banks and one co-operative bank joined the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971. With this, 225 banks-75 commercial and 150 (out of 171) regional rural banks-are participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971. All the 18 State Financial Corporations including the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. are participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971. As regards the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971, participation in which is open to all scheduled commercial banks (including regional rural banks) and to co-operative banks (other than primary co-operative banks) which are eligible for deposit insurance cover, the number of participants increased to 168 comprising 61 commercial banks, 70 regional rural banks and 37 co-operative banks.

Settlement of guarantee claims

11.1 The Corporation received a very large number of claims during the year under report. As against 1,50,926 claims for Rs.24.71 crores received in 1982 and 1,47,474 claims for Rs.27.84 crores in 1983, those lodged in 1984 were 2,54,692 in number and Rs.61.71 crores in amount. Out of these 2,54,692 claims, only 61 claims for Rs.0.17 crore were received under the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971, compared to 25 claims for Rs.0.04 crore received during 1983. The amount of claims received under these 3 Schemes till 1984 aggregated Rs.172.17 crores, forming 2.4 per cent of total guaranteed advances at Rs. 7,098.56 crores, the relative percentages of such claim receipts till 1983 and till 1982 to the amount of guaranteed advances being 1.9 and 1.7 respectively.

11.2 A sector-wise break-up of claims received is given in Annexure VIII. The claims pertaining to advances granted to farmers and agriculturists account for 55.0 per cent of the total amount of claims, the share of this sector in the total guaranteed advances being 58.9 (the relative percentages till 1983 were 55.1 and 62.3 respectively). The claims relating to transport operators which come next, account for 18.1 per cent of the total amount of claims, and the advances to this class of borrowers form 18.2 per cent of the total guaranteed advances (the relative percentages till 1983 were 19.6 and 16.8 respectively).

11.3 The position regarding the disposal of claims is indicated in Annexure IX. During the year, 2,36,625 claims for Rs.32.09 crores have been processed and disposed of as against 1,27,714 claims for Rs.19.64 crores settled during the last year. Thus, as against the average monthly rate of disposal of 6,169 claims during 1981, 8,793 claims in 1982 and 10,643 claims in 1983, the Corporation has been able to scrutinise and dispose of on an average, 19,719 claims per month during 1984, thereby clearing almost the entire backlog of pending claims for small amounts. Out of the remaining claims, a large number of claims have been scrutinised and requisite clarifications sought. A summary of claims preferred and those disposed of is given below :

During the year	Claims received		Claims disposed of	
	Number	Amount	Number	Amount
1973-78	51,563	15.46	27,033	6.64
1979	36,535	11.30	25,739	6.95
1980	83,557	14.90	47,481	7.20
1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14
1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50
1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64
1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09
Total	8,25,416	172.17	6,44,135	98.16

Recovery & follow-up

12.1 The amount realised by the Corporation during 1984 as its share of recoveries has been Rs.3.71 crores as against Rs.2.55 crores realised in 1983. The total amount recovered till 1984 since inception of these schemes amounts to Rs.11.35 crores. As mentioned in the last Annual Report, the follow-up and recovery procedures in respect of claims settled and paid by the Corporation have been revised and computerised. In order to enable credit institutions to remit to the Corporation its share of recovery promptly, the Corporation has introduced a new recovery format (NI-21) with effect from 1st March, 1984. Similarly, the procedure for seeking the general or special approval of the Corporation in respect of cases of write off or those involving waiver of legal action against the borrower, etc. has also been

CHART V

GROWTH OF
GUARANTEED ADVANCES
IN RESPECT OF
GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO THE
NON-INDUSTRIAL SECTOR
END OF JUNE--CRORES OF RUPEES





CHART-VI

SECTOR-WISE
ANALYSIS OF
GUARANTEED ADVANCES
IN RESPECT OF
GUARANTEE
SCHEMES RELATING
TO THE NON-INDUSTRIAL
SECTOR

AS AT THE END OF JUNE, 1984



RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR

CHART-VII

NUMBER-WISE

NUMBERS





CHART-VIII

AMOUNT-WISE

CRORES OF RUPEES



modified to meet the requirements of computerisation and a new format (NI-22) in respect of such cases has been introduced with effect from the same date.

12.2 Till recently, verification of returns relating to deposit insurance business and inspection of accounts and documents pertaining to claims under the Credit Guarantee Schemes were carried out by the Reserve Bank of India on our behalf, although the Corporation has been empowered to undertake these functions in terms of Section 35(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. The Corporation has now constituted an Inspection and Verification Division to carry out the above items of work by its own officers. A circular in this regard has been issued to the insured banks/participating credit institutions. Inspections of branches of two Bombay based nationalised banks have been carried out. Besides, several claims of large value in respect of advances to transport operators were also subjected to pre-settlement inspections. The network of inspection and verification is being expanded to cover more banks on a selective basis with the aid of data stored in the mini-computer.

(b) Credit Guarantee Schemes relating to Small Scale Industries

Integration of credit guarantee schemes—discharge of residual functions under the Government's Scheme

13.1 The Corporation continues to act as an agent of the Government of India for discharge of residual functions under the Government's Credit Guarantee Scheme for small scale industries cancelled as at the close of business on 31st March, 1981. Claims pending as on the date of cancellation as also those preferred subsequently in respect of accounts in default upto the date of cancellation of Government's Scheme continue to be settled by the Corporation and reimbursement obtained from the Government of India periodically.

Government's Scheme—Accounts in default

13.2 Information received so far from credit institutions shows the accounts in default as on 31st March, 1981 at Rs.218.64 crores. Region-wise and institution-wise classification of such accounts is given in Annexure X. Nearly 4,700 branches of the credit institutions have yet to submit the necessary information in that regard.

Participating credit institutions—Corporation's Scheme

14.1 The number of institutions participating in the Scheme rose from 362 as on 31st December, 1983 to 416 as on 31st December, 1984 as against 328 credit institutions which were participating in the Government's Scheme (since cancelled). Fifty-five credit institutions joined the Corporation's scheme during the year whereas one co-operative bank, viz., Belgaum Industrial Co-operative Bank Ltd. was allowed to withdraw from the Scheme. Out of those which joined the Corporation's Scheme, 31 are co-operative banks, 23 regional rural banks and one State Development Agency. A list of such credit institutions and their classification are given in Annexure XI.

14.2 During the year, Manipur Small Industries Corporation Ltd., a wholly owned undertaking of the Government of Manipur, was specified as a credit institution for joining the

Corporation's Scheme under clause 2 (vi) thereof and has been asked to execute the agreement deed. This is awaited.

Guaranteed advances

15. The guaranteed advances to small scale industries as on 30th June, 1984 amounting to Rs.4,890.86 crores showed an increase of Rs.737.13 crores as compared to the guaranteed advances as on 30th June, 1983 at Rs.4,153.73 crores, the percentage increase over the year being 17.7. Details of guaranteed advances to the small scale industrial sector covered by the Corporation's Scheme since 1981 are given in Annexure VI.

Settlement of claims—Corporation's Scheme

16. During the year under report, the Corporation received the largest number of claims i.e. 18,300 for Rs.53.98 crores (against 9,325 for Rs.32.58 crores received last year) and was able to accelerate the output by scrutinising and settling 9,522 claims for Rs.13.73 crores, leaving 12,991 claims for Rs.68.91 crores pending as on 31st December, 1984. Of the pending claims, 4,767 claims amounting to Rs. 15.83 crores have already been processed and are pending awaiting clarification from the respective credit institutions. The recoveries received during the year in exercise of the Corporation's subrogation rights in respect of paid claims aggregated Rs.43.19 lakhs. Such recoveries since 1981 aggregated Rs.51.52 lakhs.

Settlement of claims—Government's Scheme (since cancelled)

17.1 As at the end of 1983, 17,701 claims amounting to Rs.97.45 crores were pending under the Government's Scheme. During the year 1984, 7,921 claims for an aggregate amount of Rs.16.50 crores were received (in respect of accounts in default upto 31st March, 1981) while 18,262 claims amounting to Rs.33.53 crores were disposed of. As on 31st December, 1984, 7,360 claims amounting to Rs.80.42 crores were pending out of which 5,867 claims for Rs.55.17 crores have already been processed and were pending for want of certain additional information/clarifications from the credit institutions. The matter has been taken up with the respective credit institutions giving them reasonable time so that the Corporation could decide these claim cases one way or the other. After the expiry of such time, these pending claims would be treated as "withdrawn". The credit institutions could, however, refile them when they are ready with complete information/documentation.

Amount-wise and age-wise classification of claims pending as on 31st December, 1984 is given in Annexure XII.


Reimbursement of funds by Government of India

17.2 During the year, claims worth Rs.18.09 crores were paid on behalf of the Government of India. Since the takeover by the Corporation of the discharge of residual functions under the Government's Scheme, the Corporation has paid following amounts and has received reimbursement as shown thereagainst.

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR

CHART-IX

(CRORES OF RUPEES)



RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR

CHART I
NUMBER-WISE





CHART II
AMOUNT-WISE



	(In crores of rupees)		
	Amount actually paid on behalf of the Government of India	Reimbursement received from the Government of India till end of the year	Balance Due (1 - 2)
	(1)	(2)	(3)
April, 1981 to December, 1983	33.37*	29.48	(-) 3.89*
January, 1984 to December, 1984	18.09	17.55	(-) 0.54
Total :	<u>51.46</u>	<u>47.03</u>	<u>(-) 4.43</u>

Government have since reimbursed the Corporation with the balance amount.

17.3 Details of claims received and disposed of both under the Corporation's Scheme and the Government's Scheme are given in Annexure XIII a summary of which is given below :

(Amount in crores of rupees)

A. Corporation's Scheme for Small Scale Industrial Units	Claims received		Claims disposed of	
	Number	Amount	Number	Amount
Period				
i) April—December 1981	1,308	1.74	—	—
ii) January—December 1982	4,013	9.40	3,105	2.13
iii) January—December 1983	9,325	32.58	7,328	12.93
iv) January—December 1984	18,300	53.98	9,522	13.73
TOTAL :	<u>32,946</u>	<u>97.70</u>	<u>19,955</u>	<u>28.79</u>
B. Government's Scheme				
i) Pending claims taken over from the Reserve Bank of India on 1st April, 1981	30,826	98.18		
Period				
ii) April—December 1981	13,911	20.56	5,447	10.69
iii) January—December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43
iv) January—December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78
v) January—December 1984	7,921	16.50	18,262	33.53
TOTAL :	<u>70,983</u>	<u>175.85</u>	<u>63,623</u>	<u>95.43</u>

The total amount of claims received till 1984 under the SSI Schemes at Rs.293.70 crores form 6 per cent of total guaranteed advances to this sector at Rs.4,890.86 crores, the relative percentage till 1983 being 5.4.

*The figure represents amounts actually paid on behalf of Government instead of amounts claimed by credit institutions reported in last year's Annual Report.

(c) Credit Guarantee Schemes relating to co-operative sector

18.1 As per the recommendations of the Hate Working Group which were accepted by the Board, a new Scheme titled 'Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984' has been introduced from 1st July, 1984 providing guarantee cover to primary (urban) co-operative banks in respect of their lending to single transport operators, retail traders, small business and professional and self-employed persons as also for their consumer needs and housing etc. granted along with the loans for productive purposes. Participation in the Scheme is open to all primary (urban) co-operative banks licensed by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (which are not sub-standard banks) as well as to the unlicensed primary (urban) co-operative banks which are specifically recommended by the Reserve Bank for the purpose. As mentioned in the last year's Annual Report, once an eligible urban co-operative bank joins the Scheme by executing the necessary agreement in the manner and form prescribed and pays the guarantee fee at the prescribed rates, the guarantee cover would be automatic and would cover in bulk from the date of first disbursal, all eligible credit facilities granted to specified categories of borrowers and for purposes mentioned in the Scheme without requiring such banks to make a prior application to the Corporation for covering each facility provided that such eligible credit facilities have not been recalled before the 'material date' (1st July, 1984 or the date of joining the Scheme, whichever date is later) or they are not due from any borrower who has suspended his business or activities as on that date or they have not been treated as bad or doubtful of recovery or they are not utilised for the adjustment of any bad or doubtful debt. The rate of guarantee fee payable by urban co-operative banks will be the same as applicable to commercial banks under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, viz., 0.50 per cent per annum in respect of advances to "small borrowers" (i.e. to whom eligible credit facilities not exceeding Rs. 25,000 in the aggregate are provided) and 0.75 per cent per annum in respect of other borrowers. The guarantee cover would now be only 60 per cent of the amount in default with certain monetary ceilings on Corporation's claim liability in respect of such credit facilities granted/renewed/ altered on or after 1st January, 1985.

18.2 Out of 546 urban co-operative banks invited, 127 banks (87 licensed and 40 unlicensed) have, till the end of 1984, expressed their willingness to join the Scheme. Out of these, only 32 banks have executed the deeds of agreement with the Corporation, of which 21 banks have completed all the formalities and have been admitted till end of 1984 as participants in the Scheme. A list of credit institutions participating in the Scheme as on 31st December, 1984 is given in Annexure VII. The guaranteed advances as on 31st December, 1984 aggregated Rs.5.69 crores. Their sector-wise analysis is given in Annexure VI. The guarantee fee received from these banks upto 31st December, 1984 aggregated Rs.1.76 lakhs. The remaining 11 banks are in the process of completing the formalities.

18.3 Another Scheme for the co-operative sector, viz., Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 which was formulated for extension of guarantee cover to advances to be granted by the co-operative credit institutions at the primary level for agricultural and allied activities and offered on a pilot basis from 1st January, 1983 onwards to certain select Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and Primary Land Development Banks (PLDBs)/Branches of State Land Development Banks (SLDBs) has not so far evoked much response. Although, 2,476 PACS, 159 PLDBs and 200 branches of SLDBs were found to be

prima-facie eligible for participation in the Scheme and were invited to join the Scheme, only 14 PACS and 4 PLDBs have so far evinced lukewarm interest.

Committee for settlement of claims

19.1 With a view to improving the quality of scrutiny of large value claims arising out of advances to the SSI units, the Board of Directors had constituted in March, 1983 a Claims Committee with some of the Directors as members under the Chairmanship of Dr. P.D. Ojha, Executive Director, Reserve Bank of India for consideration of such individual claims for amounts in excess of Rs.2 lakhs. Since its inception, the Committee met on 12 occasions till the end of 1984 and considered 395 claims for Rs.16.34 crores both under the Government's as well as the Corporation's Schemes. Details of claims sanctioned/rejected etc. by it till the end of 1984 are as under :

Scheme	Claims sanctioned		Claims rejected		Claims deferred for further clarifications		Total	
	No. of Claims	Amount (Rs. in lakhs)	No. of claims	Amount (Rs. in lakhs)	No. of claims	Amount (Rs. in lakhs)	No. of claims	Amount (Rs. in lakhs)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Government's Scheme (since cancelled)	246	939.01	43	228.89	24	91.15	313	1,259.05
Corporation's Scheme	59	253.89	7	27.96	16	93.07	82	374.92
Total:	305	1,192.90	50	256.85	40	184.22	395	1,633.97

In addition, the Committee also reviewed under the direction of the Reserve Bank Nominee Director the policy and procedures followed in scrutiny and settlement of SSI claims and provided guidance to the Corporation's staff and to the participating credit institutions. Based on the above, the following changes have been introduced :

- i) Pre-settlement inspection of all claims for amounts exceeding Rs.2 lakhs, has been introduced. Such inspections have reduced the avoidable correspondence with credit institutions and also the time taken for settlement of claims;
- ii) Claims are being classified in categories 'A', 'B', and 'C' depending upon the realisability of the security available in such advances to enable vigorous follow-up of paid claims especially under 'A' and 'B' categories so as to accelerate recoveries in such accounts and transfer to the Corporation the proportionate share from such recoveries; and
- iii) Deficiencies observed in appraisal, monitoring and conduct of accounts etc. in cases for which guarantee is invoked are brought to the notice of Chief Executives of the concerned institutions so that there is improvement in pre-lending appraisal and post-lending follow-up and recovery of loans. Some of the irregularities noticed have been as below:
 - (a) Sanction and conduct of the advances were not in accordance with the (i) loan policy and procedures of the credit institutions (ii) terms and conditions of the sanction letters

- and (iii) various instructions issued by the Corporation/erstwhile Credit Guarantee Organisation in that regard;
- (b) Advances were not reported at all (and guarantee fee not paid) to the Corporation/erstwhile Credit Guarantee Organisation or were reported to the Corporation after they were recalled (under Government's Scheme) or after they were treated as bad/doubtful of recovery (under the Corporation's Scheme) or after the relative SSI units had ceased to function;
 - (c) Fresh credit facilities were sanctioned or drawals were allowed after recalling the particular advance (under Government's Scheme) or after the advance is treated as bad/doubtful of recovery (under Corporation's Scheme);
 - (d) Funds were diverted for non-eligible purposes and stern & prompt action was not taken against wilful defaulters;
 - (e) Borrowers had leased out the plant and machinery and the credit institution did not take effective steps to safeguard its own interest as also the Corporation's interest;
 - (f) Earnest and quick result-yielding efforts were not made to realise the security available in the accounts before such security got deteriorated, thereby saddling both the financing institutions and the Corporation with avoidable losses.

Significant developments

20.1 Advances granted by credit institutions to physically handicapped small borrowers including village artisans, DRI beneficiaries etc. upto Rs.2,500 per borrower for purchase of artificial limbs, hearing aids etc. were made eligible for cover under the Schemes from July, 1984 provided, inter alia, such advances were granted alongwith advances for productive purposes.

20.2 Credit facilities by participating banks to retail dealers of HSD oil/LP gas/kerosene oil appointed by public sector oil companies under their "Social Objective Scheme", have been included by the Reserve Bank of India under Priority Sector Advances. Such credit facilities have been extended guarantee cover under the category of 'Retail Traders' under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, subject to compliance of its various terms and conditions.

20.3 Special facilities of credit guarantee cover have been extended to rehabilitation assistance for productive purposes granted by credit institutions to persons who have suffered loss of their means of livelihood and other business assets during the disturbances in Delhi and other parts of the country in November, 1984.

20.4 Advances granted by credit institutions to master weavers who are not involved in the main activity of weaving but provide allied services like dyeing of yarn, providing designs, clipping, embossing, giving finishing touches to the carpets woven by weavers, etc. were hitherto not eligible for guarantee under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981. Keeping in view the services of allied weavers to the actual weavers, it was decided to provide guarantee cover only for those advances which are made for the "processing activities" (and not for trading activities) of such borrowers, subject to certain conditions.

Guarantee Fee

21. The present rate of the guarantee fee in force under the five schemes in operation is Rs. 0.75 per cent per annum (with a concessional rate of Rs.0.50 per cent per annum in the case of small borrowers having credit facilities not exceeding Rs.25,000 in the aggregate per borrower). As was mentioned in the last Annual Report, with the continuous increase in the inflow of credit guarantee claims and the use of mini-computer for their speedy settlement, it has become necessary to review the financial viability of these schemes. In 1982, fee receipts totalled Rs.57.67 crores against claim receipts amounting to Rs.34.11 crores. In 1983, fee receipts were Rs.71.17 crores against claim receipts amounting to Rs.60.42 crores. In 1984, the fee receipts at Rs.87.91 crores fell much short of the claim receipts at Rs.115.69 crores, thereby distorting completely the financial viability of the Credit Guarantee Schemes. The Corporation, therefore, reviewed the extent of guarantee cover and with a view, inter alia, to ensuring the financial viability of the schemes and also that there is no dilution in the quality of lendings to the small borrowers, the guarantee cover has been brought down to 60 per cent of the amount in default (from 66 2/3 per cent, 75 per cent or 90 per cent wherever it was so available) in respect of such lendings (including renewals/alterations in the existing credit facilities) from 1st January, 1985 onwards. This will have some effect on improving the viability of the schemes. Although the existing fee rates have not been changed for the present, the Corporation may soon have to consider revision in the fee rate in order that the schemes are operated on a viable basis and receipts by way of guarantee fee are adequate enough to meet the claims including those in the pipeline.

ACCOUNTS

Balance Sheets & Revenue Accounts

22. The Balance Sheets and Revenue Accounts of the Corporation showing separately the position of the three funds, viz., the Deposit Insurance Fund, the Credit Guarantee Fund and the General Fund as on 31st December, 1984 together with the Auditors' Report thereon, are attached.

Deposit Insurance Fund

23.1 As stated in paragraphs 8.1 and 8.3 above, the Corporation settled a claim of Rs. 18.51 lakhs in respect of one co-operative bank and received repayments (including the write-back) aggregating Rs.2.64 lakhs. Accordingly, the provision for estimated insurance liability was increased by a net amount of Rs.15.87 lakhs from Rs.186.83 lakhs as on 31st December, 1983 in respect of 12 co-operative banks to Rs.202.70 lakhs as on 31st December, 1984 in respect of 13 co-operative banks.

23.2 During the year, the Corporation received an aggregate amount of Rs.48.13 crores as below, by way of insurance premium and interest on investments as compared to Rs.39.69 crores received during the previous year.

	(Rs. Crores)
1. Deposit insurance premium	28.97
2. Income from investments	19.16
	<hr/>
	48.13
	<hr/>

After appropriating a sum of Rs.6.08 crores to the Investment Reserve and Rs.0.16 crore towards additional provision for estimated insurance liability (after taking into account the payment of insurance claim of Rs.0.18 crore in respect of depositors of Dadhich Sahakari Bank Ltd. taken into liquidation and repayments aggregating Rs.0.02 crore) a net amount of Rs.41.89 crores has been transferred to Deposit Insurance Fund which now stands at Rs.218.89 crores as against Rs.177 crores at the end of the previous year. The Fund now constitutes 0.35 per cent of the total assessable deposits and 0.47 per cent of the aggregate insured deposits. The relative figures for 1983 were also the same.

Credit Guarantee Fund

24. The Credit Guarantee Fund had a balance of Rs.117.05 crores as at the end of 1983. The income by way of guarantee fee for the year amounted to Rs.87.91 crores. The income from investment of the Fund during the year amounted to Rs.20.85 crores. The amounts received by the Corporation as its share of recoveries made in claims paid accounts under its three credit guarantee schemes pertaining to the non-industrial sector, in exercise of its right of subrogation, aggregated Rs.3.71 crores while recoveries received under the Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 aggregated Rs.0.43 crore. Against these receipts totalling Rs.112.90 crores, the guarantee claims paid under the above four schemes as well as the estimated liability in respect of claims intimated to the Corporation but not admitted at the end of the year amounted to Rs.104.70 crores (after taking into account the provision of Rs.66.82 crores available at the end of 1983) leaving a small surplus of only Rs.8.20 crores. Of the above surplus, a sum of Rs.7.21 crores was appropriated to the Investment Reserve and the balance of Rs.0.99 crore transferred to the Credit Guarantee Fund raising it to Rs. 118.04 crores as at the end of the year 1984.

General Fund

25.1 The expenses of the Corporation are met from the income in the General Fund which is derived from investments made out of the capital and the reserves. During the year, the authorised capital of the Corporation which was raised from Rs.10 crores to Rs.15 crores with effect from 1st January, 1981, was further raised to Rs.50 crores with effect from 1st May, 1984. Reserve Bank which had agreed to meet the entire additional capital contribution of Rs.35 crores over a period of three years and was kind enough to place with the Corporation two interest-free deposits of Rs.15 crores and Rs.10 crores in 1982 and 1983 respectively, pending enactment of the relative amending legislation, paid to the Corporation the final instalment of Rs.10 crores and the earlier two instalments of interest-free deposits were also adjusted towards their additional capital contribution. The Corporation's capital now stands fully paid-up at Rs.50 crores.

25.2 After the cancellation of the Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI Sector on 31st March, 1981 the Corporation has been entrusted with the discharge of residual functions under the cancelled scheme as their agent and in that capacity it has been receiving and scrutinising claims in respect of accounts in default as on 31st March, 1981 and settling them on behalf of the Government of India. For this agency function, since the Government was not paying any remuneration or fee and also as heavy claim liability started devolving on the Corporation soon on introducing a new scheme for the SSI sector

providing continuity of guarantee cover to advances covered by the cancelled scheme, the Corporation took up the matter with the Ministry of Industry who have since agreed to allow it to retain recoveries in Government's claim paid accounts, initially till 31st March, 1986. Accordingly, such amounts aggregating Rs.9.45 crores were transferred from Government to the Corporation and have been retained in the General Fund in terms of provisions of Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

25.3 The income in the General Fund during the year 1984 amounted to Rs.13.73 crores as below :

Interest on investments	Rs. 4.28 crores
Amount transferred by the Ministry of Industry	Rs. 9.45 crores
Total	<u>Rs.13.73 crores</u>

As against the above income, the establishment and other expenses aggregated Rs.1.73 crores leaving a surplus of Rs.12 crores. Of the surplus, Rs.2.65 crores have been transferred to the Investment Reserve as provision for depreciation and the balance of Rs.9.35 crores to the General Reserve.

Investments

26. In accordance with the provisions of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts held in the three funds are invested entirely in the Central Government securities. Particulars of these investments of the Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund are given in Annexure XIV.

(a) Deposit Insurance Fund

The market value of investments in Deposit Insurance Fund as on 31st December, 1984 stood at Rs.217.45 crores as against their book value at Rs.256.91 crores. The depreciation in investments at Rs.39.54 crores (which has been arrived at without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.08 crore), has been fully provided for.

(b) Credit Guarantee Fund

The market value of the investments in Credit Guarantee Fund as on 31st December, 1984 stood at Rs.239.23 crores as against their book value of Rs.266.46 crores. The depreciation in investments at Rs.27.53 crores (which has been arrived at without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.30 crore) stands fully provided for.

(c) General Fund

The market value of investments in the General Fund as at the close of the year 1984 was Rs.58.57 crores as against their book value of Rs.63.21 crores. The depreciation in investments at Rs.4.76 crores (which has been arrived at without taking into account the

appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.12 crore) has been fully provided for.

GENERAL

Promotion of Hindi

27.1 The Corporation issues its circulars bilingually and also brings out Annual Report on its working and relative Balance Sheets and Revenue Accounts in both Hindi and English. Its publicity leaflets are also brought out in Hindi. It subscribes to Hindi dailies and encourages its non-Hindi knowing staff to learn Hindi. The Corporation also deutes its staff to Hindi workshops conducted by the Reserve Bank of India.

27.2 The Corporation continues to supply free of cost to all insured banks, copies of posters in English, Hindi and other regional languages publicising the protection afforded to bank depositors by the Corporation. Attractive leaflets are brought out in regional languages to spread the message of deposit insurance and these are supplied to the indenting banks at subsidised rates for distribution among the public.

Establishment

28.1 The Reserve Bank of India continues to make available to the Corporation the required staff, office accommodation and other incidental facilities for discharging its functions. The expenses incurred are reimbursed to the Bank. Since the services of the staff placed on duty by the Reserve Bank are governed by the Reserve Bank regulations, a financial audit of the Corporation's Head Office was conducted by the Inspection Department of the Reserve Bank of India covering the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1984. Similar audit of the branch offices has also been conducted by them. The Reserve Bank also provides training facilities in its training centres for the staff on duty with the Corporation.

28.2 As stated earlier, the expenditure of the Corporation is met from income on investment of the share capital of the Corporation which is contributed entirely by the Reserve Bank. When the credit guarantee functions relating to small scale industrial sector were transferred from the Reserve Bank to the Corporation from 1st April, 1981, the Corporation was unable to meet the extra expenditure from its income. Accordingly, it requested the Reserve Bank to kindly make available to the Corporation, the services of the required staff and other office establishment, free of cost to the Corporation initially for five years till March, 1986 pending augmentation of its resources. The Reserve Bank has kindly made available to the Corporation the requisite assistance on an annual basis and in a tapering manner and asked the Corporation to work out a phased plan of action so that gradually it becomes independent of the Reserve Bank's support latest from 1st April, 1986 onwards. Accordingly, the Corporation has taken several measures including pegging of its staff strength at the 1982 level, introduction of computerisation in its work systems from September, 1983 onwards and raising its capital to Rs.50 crores from 1st May, 1984. Meanwhile, in view of the expansion in the volume and range of its activities and with a view to building up some reserves to enable the Corporation to meet itself the entire expenditure from 1st April, 1986 onwards, the Corporation is requesting the Reserve Bank for limited assistance for a further period upto March, 1986. The Board expresses its deep gratitude to the Reserve Bank of India for all the assistance provided by it to the Corporation.

Auditors

29. In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors, with the prior approval of the Reserve Bank of India, appointed Messrs A.J. Shah and Co., Chartered Accountants, Bombay as Auditors of the Corporation for the year 1984.

Training

30. The staff from various commercial banks visited the Corporation to study the operation of credit guarantee schemes. Facilities were also provided to the officers from Bank of Uganda and from Credit Guarantee Corporation (P) Limited, Kathmandu, Nepal to study the operations of the schemes. The Corporation also deputed its officers to participate in seminars organised by some commercial banks and to various training institutions of commercial banks and the Reserve Bank of India for explaining the provisions of its various schemes.

31. The Board records its appreciation of the rich and valuable contribution made during the year by the General Manager and staff at all levels in coping with the increased range and volume of work devolving on the Corporation, especially in adopting smoothly changes in the work systems and achieving increased productivity.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION
BOMBAY 400 039

For and on behalf of
the Board of Directors

DATED THE 21ST MARCH, 1985

(C. Rangarajan)
Chairman

ANNEXURE I

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED DECEMBER, 1984

A. Names of the banks registered as insured banks during the year 1984

COMMERCIAL BANK

1. The Bank of Nova Scotia

REGIONAL RURAL BANKS

1. Surendranagar—Bhavnagar Gramin Bank
2. Ratlam—Mandsaur Kshetriya Gramin Bank
3. Solapur Gramin Bank
4. Bhandara Gramin Bank
5. Chambal Kshetriya Gramin Bank
6. Valsad—Dangs Gramin Bank
7. Surat Bharuch Gramin Bank
8. Bundi—Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank
9. Bhilwara—Ajmer Kshetriya Gramin Bank
10. Dungarpur—Banswara Kshetriya Gramin Bank
11. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank
12. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank
13. Chickmagalur Kodagu Grameena Bank
14. Giridih Kshetriya Gramin Bank
15. Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank
16. Sabarkantha—Gandhinagar Gramin Bank
17. Sahyadri Gramin Bank
18. Hissar—Sirsa Kshetriya Gramin Bank
19. Netravati Grameena Bank
20. Varada Grameena Bank
21. Indore—Ujjain Kshetriya Gramin Bank
22. Ambala—Kurukshetra Gramin Bank
23. Murshidabad Gramin Bank

CO-OPERATIVE BANKS

Andhra Pradesh

1. Cumbum Co-operative Town Bank Ltd.
2. Visakhapatnam District Co-operative Bank Ltd.
3. Sree Mahayogi Lakshamma Co-operative Town Bank Ltd.
4. Sircilla Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat

1. Surendranagar Mercantile Co-operative Bank Ltd.
2. Sardar Vallabhbhai Sahakari Bank Ltd.
3. Shreyas Co-operative Bank Ltd.
4. Mahila Utkarsh Nagrik Sahakari Bank Ltd.
5. Una Peoples' Co-operative Bank Ltd.
6. Ahmedabad Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.

Himachal Pradesh

1. Chamba Urban Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

Nil

Karnataka

1. Sri Bhagavathi Co-operative Bank Ltd.
2. Jagruti Co-operative Bank Ltd.
3. Srichamaraja Co-operative Bank Ltd.
4. Navodaya Sahakara Bank Ltd.
5. Urban Co-operative Bank Ltd.

Kerala

1. Wynad District Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

1. The Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur
2. The Samata Sahakari Bank Seemit
3. The Datia Nagrik Sahkari Bank Ltd.
4. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Sehore
5. Nagrik Sahakari Bank Maryadit

Maharashtra

1. The Commercial Co-operative Bank Ltd., Amravati
2. Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Ltd., Bombay
3. Baramati Urban Co-operative Bank Ltd.
4. Jalna District Central Co-operative Bank Ltd.
5. Sindhudurg District Central Co-operative Bank Ltd.
6. Kalwa—Belapur Sahakari Bank Ltd.
7. Progressive Co-operative Bank Ltd.
8. Wardha Zilla Parishad Employees' (Urban) Co-operative Bank Ltd.
9. Vartaknagar—Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd.
10. Parshwanath Co-operative Bank Ltd.
11. Partur Peoples Co-operative Bank Ltd.

12. Arihant Co-operative Bank Ltd.
13. Latur District Central Co-operative Bank Ltd.
14. Vasai Vikas Sahakari Bank Ltd.
15. Deogiri Nagari Sahakari Bank Ltd.

Orissa

Nil

Rajasthan

1. Sri Ganganagar Urban Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Rajapalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Varaganeri Co-operative Credit Society Ltd.
3. Triplicane Co-operative Bank Ltd.
4. Saidapet Co-operative Credit Society Ltd.

Tripura

Nil

Uttar Pradesh

1. Ghaziabad District Co-operative Bank Ltd.
2. Kamla Nagar (Agra) Urban Co-operative Bank Ltd.

West Bengal

1. Union Co-operative Bank Ltd.
2. Bagnan Co-operative Credit Society Ltd.

UNION TERRITORIES

Goa, Daman & Diu

1. Citizen Co-operative Bank Ltd.

B. Statement showing the names of the banks deregistered during the year 1984

CO-OPERATIVE BANKS

Maharashtra

1. Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay
2. Urban Co-operative Bank Ltd., Telhara

SUMMARY OF INSURED BANKS

(As on 31st December, 1984)

I. Commercial Banks	84
II. Regional Rural Banks	171
III. Co-operative Banks	

State	Apex	Central	Primary	Total
Andhra Pradesh	1	27	57	85
Gujarat	1	21	285	307
Himachal Pradesh	1	2	4	7
Jammu & Kashmir	1	3	1	5
Karnataka	1	23	205	229
Kerala	1	12	52	65
Madhya Pradesh	1	45	32	78
Maharashtra	1	30	356	387
Orissa	1	17	10	28
Rajasthan	1	26	14	41
Tamil Nadu	1	18	135	154
Tripura	1	—	1	2
Uttar Pradesh	1	57	18	76
West Bengal	1	17	49	67
Union Territories				
Delhi	1	—	10	11
Goa, Daman & Diu	1	—	5	6
Pondicherry	1	—	1	2
<hr/>				
Total (Co-operative Banks)	17	298	1235	1550
<hr/>				
Total I, II and III :				1805

ANNEXURE II

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS (COMMERCIAL, REGIONAL RURAL AND CO-OPERATIVE) COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME, SINCE 1962

Year	No. of registered banks at the commencement of the year	No. of banks registered during the year	No. of banks deregistered			No. of registered banks at the close of the year (2+3-6)
			Where Corporation's liability		Total (4+5)	
			was attracted	was not attracted		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1962	287	-	2	9	11	276
1963	276	-	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	-	-	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	-	-	9	9	91
1968	91	-	-	3	3	88
1969	88	-	2	1	3	85
1970	85	-	1	1	2	83
1971	83	385	-	3	3	465
1972	465	16	-	5	5	476
1973	476	18	-	2	2	492
1974	492	37	-	3	3	526
1975	526	88	-	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	-	4	4	1,392
1980	1,392	191	-	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	-	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805

Note : Break-up of insured banks at the end of 1982-84

Year	No. of insured banks				Total
	Commercial	Regional Rural	Co-operative		
1.	2.	3.	4.	5.	
1982	82	123	1,478	1,683	
1983	83	148	1,505	1,736	
1984	84	171	1,550	1,805	

ANNEXURE III

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks & Co-operative Banks)

(As on the last Fridays of December 1961, September each of 1967, 1970, 1971, 1976,
1st July, 1980 and the last working day of June 1981, 1982, 1983 and 1984)

Year	No. of fully protected accounts @ (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	% of (2) to (3)	Insured deposits £ (Rs. in crores)	Total assess- able deposits (Rs. in crores)	% of (5) to (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984 + +	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8

@ i.e., number of accounts with balances not exceeding Rs.1,500 till end of 1967, Rs.5,000 till 31st March, 1970, Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

£ i.e., deposits upto Rs.1,500 in all accounts till the end of 1967, Rs.5,000 till 31st March, 1970, Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

+ + Provisional.

ANNEXURE IV

**STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE
DEPOSITORS OF INSURED BANKS, (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS
1982, 1983 & 1984**

Year	Category of Banks	Total No. of Banks	No. of Reporting Banks	Insured deposits (Rs. in crores)	Total assessable deposits (Rs. in crores)	% of 3 to 4
		1.	2.	3.	4.	5.
1982	Commercial Banks	82	77	28,648.99	38,133.17	75.1
	Regional Rural Banks	123	108	253.65	285.14	89.0
	Co-operative Banks	1,478	1,284	2,871.28	3,942.10	72.8
	TOTAL :	1,683	1,469	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	Commercial Banks	83	74	34,269.87	46,118.92	74.3
	Regional Rural Banks	148	110	352.63	405.09	87.0
	Co-operative Banks	1,505	1,097	3,123.89	4,272.53	73.1
	TOTAL :	1,736	1,281	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	Commercial Banks	84	79	42,071.49	56,103.02	75.0
	Regional Rural Banks	171	113	410.49	461.32	89.0
	Co-operative Banks	1,550	1,109	3,857.55	5,315.89	72.6
	TOTAL :	1,805	1,301	46,339.53	61,880.23	74.8

ANNEXURE V

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENTS RECEIVED AS ON 31st DECEMBER, 1984

Commercial and Co-operative Banks whose claims were met.

(Amount in Lakhs of Rupees)

Sr. No.	Name of Bank (indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3)— (4)
1.	2.	3.	4.	5.
I. COMMERCIAL BANKS				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full :				
£1.	Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
* 2.	Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
Total 'A' :		9.37	9.37	—
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off:				
* 3.	Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37	@@
* 4.	Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.08	0.31	@@
* 5.	Chawla Bank Ltd., Dehra Dun (1969)	0.18	0.14	@@
Total 'B' :		3.79	1.82	@@
iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full :				
* 6.	Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963)	0.28	0.18	0.10
* 7.	Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	4.39
* 8.	Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.10	4.15	2.95
* 9.	Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	1.14	0.94
* 10.	Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.26	4.08
+ 11.	National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
+ 12.	Habib Bank Ltd., Bombay (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
* 13.	Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	46.32	46.14	0.18
* 14.	National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
Total 'C' :		99.86 (2.03)	76.94	22.92 (2.03)
Total 'A' + 'B' + 'C' :		113.02 (2.03)	88.13	22.92 @@ (2.03)

ANNEXURE-V (Concl.)

1	2	3	4	5
II. CO-OPERATIVE BANKS				
i) Particulars relating to bank in respect of which the Corporation has been reimbursed in full :				
££ 15.	Malvan Co-operative Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.86	1.84	— + +
	Total 'D':	<u>1.86</u>	<u>1.84</u>	—
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full :				
@ 16.	Bombay Commercial Co-operative Bank Ltd., Bombay (1976)	5.73	—	5.73
@ 17.	Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977)	2.76	—	2.76
@ 18.	Bombay Peoples' Co-operative Bank Ltd., Bombay (1978)	10.72	7.24	3.48
@ 19.	Aarey Milk Colony Co-operative Bank Ltd., Bombay (1978)	0.60	—	0.60
* 20.	Ratnagiri Urban Co-operative Bank Ltd., Ratnagiri (1978)	46.43	8.66	37.77
* 21.	Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	—	11.57
* 22.	Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979)	4.22	—	4.22
* 23.	Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Bombay (1979)	13.16	2.41	10.75
@ 24.	Ramdurg Urban Co-operative Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.30	—	2.30
* 25.	Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	—	91.31
@ 26.	Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.51	—	18.51
	Total 'E':	<u>207.31</u>	<u>18.31</u>	<u>189.00</u>
	Total 'D' + 'E':	<u>209.17</u>	<u>20.15</u>	<u>189.00 + +</u>
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E':	<u>322.19</u> (2.03)	<u>108.28</u>	<u>211.92 @ @</u> (2.03) + +

£ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.

@ @ Balances aggregating Rs.1.97 lakhs have been written off. These include a sum of Rs.0.04 lakh not paid but only provided for.

* Scheme of Amalgamation.

@ Banks taken into liquidation.

+ Scheme of arrangement.

+ + Provision of Rs.0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

££ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.

NOTES : (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.

(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

ANNEXURE VI

STATEMENT OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S VARIOUS SCHEMES

(In crores of rupees)

Scheme/Category of borrowers	As at the end of June									1984
	1972	1974	1976	1978	1980	1981	1982	1983	Amount	Percentage to the total of I, II, III
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR										
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	205.71	471.46	993.20	1,706.29	2,789.13	3,546.24	4,819.77	5,736.44	7,045.38	99.25
i) Farmers & Agriculturists	134.67	306.71	650.18	1,057.04	1,796.10	2,267.52	3,041.59	3,594.84	4,181.98	58.91
ii) Transport Operators	28.29	58.58	149.91	282.66	368.50	477.56	731.31	937.68	1,239.58	17.46
iii) Retail Traders	28.34	61.16	99.40	178.92	316.65	398.86	511.83	574.80	709.84	10.00
iv) Professional & Self-employed persons	9.14	28.87	51.33	87.96	127.09	165.66	199.12	240.76	326.94	4.61
v) Business Enterprises	5.27	15.00	31.90	68.07	116.64	150.08	209.70	239.62	322.51	4.54
vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	1.14	10.48	31.64	64.15	86.56	126.22	148.74	264.53	3.73
II Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	2.56	2.87	5.25	8.66	10.23	10.89	18.58	35.64	52.68	0.74
i) Transport Operators	2.35	2.68	5.01	7.97	9.58	10.33	18.35	35.40	52.28	0.73
ii) Business Enterprises	0.21	0.19	0.24	0.69	0.65	0.56	0.23	0.24	0.40	0.01
III Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	0.12	0.75	0.29	0.22	0.36	1.32	1.53	1.75	0.50	0.01
Total of I, II & III :	208.39	475.08	998.74	1,715.17	2,799.72	3,558.45	4,839.88	5,773.83	7,098.56	100.00
(B) SMALL LOANS (SMALL SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE SCHEME, 1981										
All SSI units including artisans village/cottage industries etc.	—	—	—	—	—	3,716.43	3,822.13	4,153.73	4,890.86	—
(C) SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984										
	—	—	—	—	—	—	—	—	5.69	@
i) Transport Operators	—	—	—	—	—	—	—	—	1.81	—
ii) Retail Traders	—	—	—	—	—	—	—	—	2.59	—
iii) Professional & Self-employed persons	—	—	—	—	—	—	—	—	1.03	—
iv) Business Enterprises	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	—
v) Consumption & Housing	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—

* As at the end of March, 1981

@ As at the end of December, 1984

ANNEXURE VII

LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO THE NON-INDUSTRIAL SECTOR AND THE SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984 AS ON 31ST DECEMBER, 1984

I. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner and Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank
17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India
27. United Commercial Bank
28. Vijaya Bank

Foreign Banks

29. Algemene Bank Nederland N.V.
30. American Express International Banking Corporation

31. Bank of America National Trust and Savings Association
32. Bank of Tokyo Ltd.
33. Banque Nationale de Paris
34. British Bank of the Middle East
35. Chartered Bank
36. Citibank N.A.
37. Grindlays Bank p.l.c
38. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
39. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

40. Bank of Cochin Ltd.
41. Bank of Karad Ltd.
42. Bank of Madura Ltd.
43. Bank of Rajasthan Ltd.
44. Bank of Tamilnad Ltd.
45. Bank of Thanjavur Ltd.
46. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
47. Benares State Bank Ltd.
48. Bharat Overseas Bank Ltd.
49. Catholic Syrian Bank Ltd.
50. Dhanalakshmi Bank Ltd.
51. Federal Bank Ltd.
52. Hindustan Commercial Bank Ltd.
53. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
54. Karnataka Bank Ltd.
55. Karur Vysya Bank Ltd.
56. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
57. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
58. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
59. Lord Krishna Bank Ltd.
60. Miraj State Bank Ltd.
61. Naini Tal Bank Ltd.

ANNEXURE—VII (Contd.)

62. Nedungadi Bank Ltd.
63. Punjab Co-operative Bank Ltd.
64. Purbanchal Bank Ltd.
65. Ratnakar Bank Ltd.
66. Sangli Bank Ltd.
67. South Indian Bank Ltd.
68. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
69. Traders' Bank Ltd.
70. United Industrial Bank Ltd.
71. United Western Bank Ltd.
72. Vysya Bank Ltd.

Regional Rural Banks

73. Akola Gramin Bank
74. Aligarh Gramin Bank
75. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
76. Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank
77. Aravali Kshetriya Gramin Bank Ltd.
78. Aurangabad—Jalna Gramin Bank
79. Baitarani Gramya Bank
80. Balasore Gramya Bank
81. Ballia Kshetriya Gramin Bank
82. Banaskantha—Mehsana Gramin Bank
83. Bara Banki Gramin Bank
84. Bardhaman Gramin Bank
85. Bareilly Kshetriya Gramin Bank
86. Bastar Kshetriya Gramin Bank
87. Basti Gramin Bank
88. Bhagirath Gramin Bank
89. Bhilwara—Ajmer Kshetriya Gramin Bank
90. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
91. Bijapur Grameena Bank
92. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
93. Bolangir Anchalik Gramya Bank
94. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
95. Cachar Gramin Bank
96. Cauvery Grameena Bank
97. Champaran Kshetriya Gramin Bank
98. Chaitanya Grameena Bank
99. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
100. Chhatrasal Gramin Bank
101. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank
102. Chickmagalur—Kodagu Grameena Bank
103. Chitradurga Gramin Bank
104. Cuttack Gramya Bank
105. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
106. Dewas—Shajapur Kshetriya Gramin Bank
107. Dhenkanal Gramya Bank
108. Durg—Rajnandgaon Gramin Bank
109. Ellaquai Dehati Bank
110. Etah Gramin Bank
111. Etawah Kshetriya Gramin Bank
112. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
113. Farrukhabad Gramin Bank
114. Fatehpur Kshetriya Gramin Bank
115. Gaur Gramin Bank
116. Gomati Gramin Bank
117. Gopalganj Kshetriya Gramin Bank
118. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
119. Gurdaspur—Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank
120. Gurgaon Gramin Bank
121. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
122. Haryana Kshetriya Gramin Bank
123. Hardoi Unnao Gramin Bank
124. Himachal Gramin Bank
125. Howrah Gramin Bank
126. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
127. Jammu Rural Bank
128. Jamnagar Gramin Bank
129. Jamuna Gramin Bank
130. Jhabua—Dhar Kshetriya Gramin Bank
131. Kakathiya Grameena Bank
132. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
133. Kalpatharu Grameena Bank
134. Kamraz Rural Bank
135. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
136. Kapurthala—Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
137. Kashi Gramin Bank
138. Khasi Jaintia Rural Bank
139. Kisan Gramin Bank
140. Kolar Gramin Bank

ANNEXURE—VII (Contd.)

- | | |
|---|--|
| 141. Koraput Panchabati Gramya Bank | 184. Rewa Sidhi Gramin Bank |
| 142. Kosi Kshetriya Gramin Bank | 185. Rushikulya Gramya Bank |
| 143. Krishna Grameena Bank | 186. Sagar Gramin Bank |
| 144. Kshetriya Gramin Bank | 187. Samastipur Kshetriya Gramin Bank |
| 145. Kutch Gramin Bank | 188. Samyut Kshetriya Gramin Bank |
| 146. Lakhimi Gaonlia Bank | 189. Sangameshwara Grameena Bank |
| 147. Langpi Dehangi Rural Bank | 190. Santhal Pargana Gramin Bank |
| 148. Madhubani Kshetriya Gramin Bank | 191. Saran Kshetriya Gramin Bank |
| 149. Magadh Gramin Bank | 192. Saryu Gramin Bank |
| 150. Malaprabha Grameena Bank | 193. Sharda Gramin Bank |
| 151. Mallabhum Gramin Bank | 194. Shahdol Kshetriya Gramin Bank |
| 152. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank | 195. Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 153. Manipur Rural Bank | 196. Shekhawati Gramin Bank |
| 154. Manjira Grameena Bank | 197. Shivalik Kshetriya Gramin Bank |
| 155. Marathwada Gramin Bank | 198. Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank |
| 156. Marudhar Kshetriya Gramin Bank | 199. Shri Venkateswara Grameena Bank |
| 157. Marwar Gramin Bank | 200. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank |
| 158. Mayurakshi Gramin Bank | 201. Siwan Kshetriya Gramin Bank |
| 159. Mewar Anchalik Gramin Bank | 202. Solapur Gramin Bank |
| 160. Mithila Kshetriya Gramin Bank | 203. South Malabar Gramin Bank |
| 161. Mizoram Rural Bank | 204. Sravasthi Grameena Bank |
| 162. Monghyr Kshetriya Gramin Bank | 205. Sree Anantha Grameena Bank |
| 163. Nadia Gramin Bank | 206. Sri Saraswathi Grameena Bank |
| 164. Nagaland Rural Bank | 207. Sri Sathavahana Grameena Bank |
| 165. Nagarjuna Grameena Bank | 208. Sri Visakha Gramin Bank |
| 166. Nalanda Gramin Bank | 209. Subansiri Gaonlia Bank |
| 167. Nimar Kshetriya Gramin Bank | 210. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 168. North Malabar Gramin Bank | 211. Surat Bharuch Gramin Bank |
| 169. Palamau Kshetriya Gramin Bank | 212. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank |
| 170. Panchamahar Gramin Bank | 213. Surguja Kshetriya Gramin Bank |
| 171. Pandyan Grama Bank | 214. Thar Anchalik Gramin Bank |
| 172. Pinakini Grameena Bank | 215. Tripura Gramin Bank |
| 173. Pragjyotish Gaonlia Bank | 216. Tulsi Gramin Bank |
| 174. Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank | 217. Tungabhadra Gramin Bank |
| 175. Prathama Bank | 218. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank |
| 176. Puri Gramya Bank | 219. Vaishali Kshetriya Gramin Bank |
| 177. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank | 220. Valsad Dangs Gramin Bank |
| 178. Raigarh Kshetriya Gramin Bank | 221. Vidur Gramin Bank |
| 179. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank | 222. Vindhya Vasini Gramin Bank |
| 180. Ranchi Kshetriya Gramin Bank | |
| 181. Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank | Non-Scheduled Commercial Banks |
| 182. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank | 223. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd. |
| 183. Rayalaseema Grameena Bank | 224. Kashi Nath Seth Bank Ltd. |
| | 225. Parur Central Bank Ltd. |

II. SMALL LOANS (FINANCIAL CORPORATIONS) GUARANTEE SCHEME, 1971

- | | |
|--|--|
| 1. Andhra Pradesh State Financial Corporation. | 9. Karnataka State Financial Corporation |
| 2. Assam Financial Corporation | 10. Kerala Financial Corporation |
| 3. Bihar State Financial Corporation | 11. Madhya Pradesh Financial Corporation |
| 4. Delhi Financial Corporation | 12. Maharashtra State Financial Corporation |
| 5. Gujarat State Financial Corporation | 13. Orissa State Financial Corporation |
| 6. Haryana Financial Corporation | 14. Punjab Financial Corporation |
| 7. Himachal Pradesh Financial Corporation | 15. Rajasthan Financial Corporation |
| 8. Jammu & Kashmir State Financial Corporation | 16. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd. |
| | 17. Uttar Pradesh Financial Corporation |
| | 18. West Bengal Financial Corporation |

III. SERVICE CO-OPERATIVE SOCIETIES GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank
17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India

27. United Commercial Bank
28. Vijaya Bank

Foreign Banks

29. American Express International Banking Corporation
30. Bank of America National Trust & Savings Association
31. British Bank of the Middle East
32. Citibank N.A.
33. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

34. Bank of Karad Ltd.
35. Bank of Madura Ltd.
36. Bank of Rajasthan Ltd.
37. Bank of Tamilnad Ltd.
38. Bank of Thanjavur Ltd.
39. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
40. Benares State Bank Ltd.
41. Bharat Overseas Bank Ltd.
42. Catholic Syrian Bank Ltd.
43. Federal Bank Ltd.
44. Hindustan Commercial Bank Ltd.
45. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
46. Karnataka Bank Ltd.

- | | |
|--|--|
| 47. Karur Vysya Bank Ltd. | 87. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank |
| 48. Kumbakonam City Union Bank Ltd. | 88. Kakathiya Grameena Bank |
| 49. Lakshmi Commercial Bank Ltd. | 89. Kalpatharu Grameena Bank |
| 50. Lakshmi Vilas Bank Ltd. | 90. Kanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 51. Lord Krishna Bank Ltd. | 91. Kapurthala—Ferozepur Kshetriya Gramin Bank |
| 52. Miraj State Bank Ltd. | 92. Kosi Kshetriya Gramin Bank |
| 53. Nedungadi Bank Ltd. | 93. Koraput Panchabati Gramya Bank |
| 54. Purbanchal Bank Ltd. | 94. Kshetriya Gramin Bank |
| 55. Ratnakar Bank Ltd. | 95. Lakhimi Gaonlia Bank |
| 56. Sangli Bank Ltd. | 96. Mandla—Balaghat Kshetriya Gramin Bank |
| 57. South Indian Bank Ltd. | 97. Manipur Rural Bank |
| 58. Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 98. Marathwada Gramin Bank |
| 59. Traders' Bank Ltd. | 99. Mayurakshi Gramin Bank |
| 60. United Industrial Bank Ltd. | 100. Mewar Anchalik Gramin Bank |
| 61. United Western Bank Ltd. | 101. Mithila Kshetriya Gramin Bank |
| Regional Rural Banks | |
| 62. Akola Gramin Bank | 102. Mizoram Rural Bank |
| 63. Aligarh Gramin Bank | 103. Monghyr Kshetriya Gramin Bank |
| 64. Aravali Kshetriya Gramin Bank | 104. Nagarjuna Grameena Bank |
| 65. Aurangabad—Jalna Gramin Bank | 105. Nainital—Almora Kshetriya Gramin Bank |
| 66. Basti Gramin Bank | 106. Nalanda Gramin Bank |
| 67. Bhilwara—Ajmer Kshetriya Gramin Bank | 107. North Malabar Grameena Bank |
| 68. Bhojpur Rohtas Gramin Bank | 108. Palamau Kshetriya Gramin Bank |
| 69. Bijapur Grameena Bank | 109. Panchmahal Gramin Bank |
| 70. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank | 110. Pandyan Grama Bank |
| 71. Bolangir Anchalik Gramya Bank | 111. Pragjyotish Gaonlia Bank |
| 72. Cachar Gramin Bank | 112. Puri Gramya Bank |
| 73. Cauvery Grameena Bank | 113. Ranchi Kshetriya Gramin Bank |
| 74. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank | 114. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank |
| 75. Cuttack Gramya Bank | 115. Rayalaseema Grameena Bank |
| 76. Durg—Rajnandgaon Gramin Bank | 116. Rushikulya Gramya Bank |
| 77. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank | 117. Samastipur Kshetriya Gramin Bank |
| 78. Gurdaspur—Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank | 118. Sangameshwara Grameena Bank |
| 79. Gurgaon Gramin Bank | 119. Saryu Gramin Bank |
| 80. Hadoti Kshetriya Gramin Bank | 120. Shri Venkateswara Grameena Bank |
| 81. Haryana Kshetriya Gramin Bank | 121. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank |
| 82. Himachal Gramin Bank | 122. Siwan Kshetriya Gramin Bank |
| 83. Howrah Gramin Bank | 123. Solapur Gramin Bank |
| 84. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank | 124. Sree Anantha Grameena Bank |
| 85. Jamnagar Gramin Bank | 125. Sri Saraswathi Grameena Bank |
| 86. Jamuna Gramin Bank | 126. Sri Sathavahana Grameena Bank |
| | 127. Surguja Kshetriya Gramin Bank |
| | 128. Thar Anchalik Gramin Bank |

129. Tungabhadra Gramin Bank
 130. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
 131. Valsad Dangs Gramin Bank
- Co-operative Banks**
- Andhra Pradesh**
132. Adilabad Jila Kendra Sahakari Bank Ltd.
 133. Bhongir Co-operative Central Bank Ltd.
 134. Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd.
 135. Co-operative Central Bank Ltd., Nellore
 136. Co-operative Central Bank Ltd., Vizianagaram
 137. Khammam District Co-operative Central Bank Ltd.
 138. Kurnool District Co-operative Central Bank Ltd.
- Gujarat**
139. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
 140. Kaira District Central Co-operative Bank Ltd.
 141. Panchmahals District Co-operative Bank Ltd.
- Jammu & Kashmir**
142. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.
 143. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.
- Karnataka**
144. Kanara District Central Co-operative Bank Ltd.
 145. District Co-operative Central Bank Ltd., Bidar
- Kerala**
146. Malabar Co-operative Central Bank Ltd.
- Madhya Pradesh**
147. Bastar Central Co-operative Bank Ltd.
 148. Bishnudatta Co-operative Central Bank Ltd.
 149. Gwalior District Co-operative Central Bank Ltd.
 150. Mandla District Co-operative Central Bank Ltd.
 151. Raigarh Co-operative Central Bank Ltd.
 152. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.
 153. Shujalpur Central Co-operative Bank Ltd.
- Maharashtra**
154. Ahmednagar District Central Co-operative Bank Ltd.
 155. Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.
 156. Bhir District Central Co-operative Bank Ltd.
 157. Buldana District Central Co-operative Bank Ltd.
 158. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.
 159. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.
 160. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
 161. Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.
 162. Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.
 163. Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.
- Orissa**
164. Sambalpur District Co-operative Central Bank Ltd.
- Rajasthan**
165. Bharatpur Central Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE—VII (Concl.)

166. Chittorgarh Kendriya Sahakari
Bank Ltd.
Tamil Nadu

Uttar Pradesh

168. Roorkee Co-operative Bank Ltd.

167. Tirunelveli Central Co-operative
Bank Ltd.

IV SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984

Primary (Urban) Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Mahesh
Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat

1. Bavla Nagarik Sahakari Bank Ltd.
2. Textile Traders Co-operative
Bank Ltd.
3. Ahmedabad Mercantile
Co-operative Bank Ltd.
4. Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
5. Porbandar Vibhagiya Nagarik
Sahakari Bank Ltd.
6. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
7. Ankleshwar Nagarik
Sahakari Bank Ltd.

Karnataka

1. Janatha Co-operative Bank Ltd.

Kerala

1. Tirur Urban Co-operative Bank Ltd.

Maharashtra

1. Mandavi Co-operative Bank Ltd.
2. Akola Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd.
4. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
5. Rupee Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Bhupathiraju Co-operative Credit
Bank Ltd.
2. Salem Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Sankari Co-operative Urban Bank Ltd.
4. Attur Town Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh

1. United Mercantile Co-operative Bank Ltd.

West Bengal

1. Bhatpara Naihati Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE VIII

**SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT
GUARANTEE SCHEMES RELATING TO THE NON-INDUSTRIAL SECTOR**

(Amount in crores of rupees)

Sr. No.	Category of borrowers	Total claims received upto 31st December, 1983		Claims received during 1984		% to total amount in column (6)	Total		% to total amount in column (9)
		Number	Amount	Number	Amount		Number (3 + 5)	Amount (4 + 6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
I.	Farmers & Agriculturists	2,80,124	60.81	1,43,643	33.89	54.92	4,23,767	94.70	55.00
II.	Transport Operators	33,437	21.63	10,574	9.61	15.57	44,011	31.24	18.15
III.	Retail Traders	1,15,845	15.76	39,574	10.34	16.76	1,55,419	26.10	15.16
IV.	Professional & Self-employed persons	90,408	7.07	17,057	3.28	5.31	1,07,465	10.35	6.01
V.	Business Enterprises	21,215	3.62	14,241	2.84	4.60	35,456	6.46	3.75
VI.	Residual category of borrowers under the DRI Scheme	29,492	1.51	29,007	1.72	2.79	58,499	3.23	1.88
VII	Credit facilities for consump- tion needs and for purchase or construction of house or tenement	203	0.06	596	0.03	0.05	799	0.09	0.05
	TOTAL:	5,70,724	110.46	2,54,692	61.71	100.00	8,25,416	172.17	100.00

ANNEXURE IX

**STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S
CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO THE NON-INDUSTRIAL SECTOR**

(Amount in crores of rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of vide Column 4 and 5					
	Number	Amount	Number	Amount	Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected	
					Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Upto end of 1976	6,806	2.28	2,529	0.70	2,137	0.58	230	0.06	162	0.07
During 1977	14,832	4.42	9,881	2.60	9,469	2.36	193	0.07	219	0.16
1978	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
1979	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
1980	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77
1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
Sub Total 'A' (1971 to 1983)	5,70,724	110.46	4,07,510	66.07	3,92,223	57.67	5,692	2.08	9,595	6.32
During 1984										
(i) Old format	61	0.17	19,204	4.37	18,397	3.75	524	0.18	283	0.45
(ii) Claims on old formats transcribed into New format	—	—	1,07,666	12.27	1,07,666	12.27	—	—	—	—
(iii) New format NI-11	2,54,631	61.54	1,09,755	15.45	1,02,356	14.97	217	0.04	7,182	0.43
Sub Total 'B' (i + ii + iii)	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
Grand Total : (A + B) (1971 to 1984)	8,25,416	172.17	6,44,135	98.16	6,20,642	88.66	6,433	2.30	17,060	7.20

ANNEXURE X

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF ACCOUNTS IN DEFAULT IN RESPECT OF THE GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED) AS ON 31ST MARCH, 1981*

(Amount in crores of rupees)

	Bombay		Calcutta		Madras		New Delhi		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1. State Bank Group	5209	12.11	4315	8.98	15292	18.12	8429	12.71	33245	51.92
2. Nationalised Banks	6241	38.39	6809	20.74	16753	37.01	6597	35.71	36400	131.85
3. Scheduled Commercial Banks	192	1.40	58	1.08	769	3.95	315	2.28	1334	8.71
4. Non-Scheduled Commercial Banks	2	(0.001)	—	—	—	—	—	—	2	—
5. State Co-operative Banks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Co-operative Banks	12681	3.71	2	(0.001)	—	—	72	0.08	12755	3.79
7. Regional Rural Banks	240	0.01	1	(0.001)	403	0.02	—	—	644	0.03
8. State Financial Corporations	404	3.80	63	1.59	490	8.91	415	8.04	1372	22.34
	24969	59.42	11248	32.39	33707	68.01	15828	58.82	85752	218.64

* (Information received upto 31st December, 1984).

Figures mentioned in brackets are less than Rs. 1 lakh and hence not taken into account while taking total.

N.B. : The information, however, is incomplete as about 4,700 branches of credit institutions are yet to report the figures.

ANNEXURE XI

LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S SMALL LOANS (SMALL SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31ST DECEMBER, 1984

A. Commercial Banks

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

1. Allahabad Bank
2. Andhra Bank
3. Bank of Baroda
4. Bank of India
5. Bank of Maharashtra
6. Canara Bank
7. Central Bank of India
8. Corporation Bank
9. Dena Bank
10. Indian Bank
11. Indian Overseas Bank
12. New Bank of India
13. Oriental Bank of Commerce
14. Punjab National Bank
15. Punjab & Sind Bank
16. Syndicate Bank
17. Union Bank of India
18. United Bank of India
19. United Commercial Bank
20. Vijaya Bank

Foreign Banks

1. Algemene Bank—Nederland N.V.
2. American Express International Banking Corporation
3. Bank of America National Trust & Savings Association
4. Bank of Tokyo Ltd.
5. Banque Nationale De Paris

6. British Bank of the Middle East
7. Citibank N.A.
8. Emirates Commercial Bank Ltd.
9. Grindlays Bank Ltd.
10. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
11. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

1. Bank of Cochin Ltd.
2. Bank of Madura Ltd.
3. Bank of Rajasthan Ltd.
4. Bank of Tamilnad Ltd.
5. Bank of Thanjavur Ltd.
6. Benares State Bank Ltd.
7. Bareilly Corporation Bank Ltd.
8. Bharat Overseas Bank Ltd.
9. Catholic Syrian Bank Ltd.
10. Dhanalakshmi Bank Ltd.
11. Federal Bank Ltd.
12. Hindustan Commercial Bank Ltd.
13. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
14. Karnataka Bank Ltd.
15. Karur Vysya Bank Ltd.
16. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
17. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
18. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
19. Lord Krishna Bank Ltd.
20. Naini Tal Bank Ltd.
21. Nedungadi Bank Ltd.
22. Parur Central Bank Ltd.
23. Punjab Co-operative Bank Ltd.
24. Purbanchal Bank Ltd.
25. Ratnakar Bank Ltd.
26. Sangli Bank Ltd.
27. South Indian Bank Ltd.
28. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
29. Traders' Bank Ltd.
30. United Industrial Bank Ltd.
31. United Western Bank Ltd.
32. Vysya Bank Ltd.

Non-Scheduled Commercial Bank

1. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

B. Regional Rural Banks

1. Akola Gramin Bank
2. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank
3. Aligarh Gramin Bank
4. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
5. Aravali Kshetriya Gramin Bank
6. Aurangabad Jalna Gramin Bank
7. Baitarani Gramya Bank
8. Balasore Gramya Bank
9. Barabanki Gramin Bank
10. Bardhaman Gramin Bank
11. Bastar Kshetriya Gramin Bank
12. Bhandara Gramin Bank
13. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank
14. Bhojpur Rohtas Kshetriya Gramin Bank
15. Bijapur Grameena Bank
16. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
17. Bolangir Anchalik Gramya Bank
18. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
19. Cachar Gramin Bank
20. Cauvery Grameena Bank
21. Chaitanya Grameena Bank
22. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank
23. Chitradurga Gramin Bank
24. Cuttack Gramya Bank
25. Damoh-Panna Sagar Kshetriya Gramin Bank
26. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
27. Dewas Shajapur Kshetriya Gramin Bank
28. Dhenkanal Gramya Bank
29. Durg Rajnandgaon Gramin Bank
30. Ellaquai Dehati Bank
31. Etah Gramin Bank
32. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
33. Farrukhabad Gramin Bank
34. Gaur Gramin Bank
35. Gomati Gramin Bank
36. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
37. Gurgaon Gramin Bank
38. Haryana Kshetriya Gramin Bank
39. Himachal Gramin Bank
40. Howrah Gramin Bank
41. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
42. Jamnagar Gramin Bank
43. Jamuna Gramin Bank
44. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
45. Kakathiya Grameena Bank
46. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
47. Kalpatharu Grameena Bank
48. Kamraz Rural Bank
49. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
50. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
51. Kashi Gramin Bank
52. Khasi Jaintia Rural Bank
53. Kisan Gramin Bank
54. Kolar Gramin Bank
55. Koraput Panchabati Gramya Bank
56. Kosi Kshetriya Gramin Bank
57. Krishna Grameena Bank
58. Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad
59. Kutch Gramin Bank
60. Lakhimi Gaonlia Bank
61. Magadh Grameena Bank
62. Malaprabha Grameena Bank
63. Mallabhum Gramin Bank
64. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank
65. Manipur Rural Bank
66. Manjira Grameena Bank
67. Marathwada Gramin Bank
68. Marwar Gramin Bank
69. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
70. Mayurakshi Gramin Bank

- | | |
|--|--|
| 71. Mewar Anchalik Gramin Bank | 113. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 72. Mithila Kshetriya Gramin Bank | 114. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank |
| 73. Mizoram Rural Bank | 115. Surguja Kshetriya Gramin Bank |
| 74. Monghyr Kshetriya Gramin Bank | 116. Thar Anchalik Gramin Bank |
| 75. Nadia Gramin Bank | 117. Tripura Gramin Bank |
| 76. Nagaland Rural Bank | 118. Tulsi Gramin Bank |
| 77. Nagarjuna Grameena Bank | 119. Tungabhadra Gramin Bank |
| 78. Nalanda Gramin Bank | 120. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank |
| 79. Nimar Kshetriya Gramin Bank | |
| 80. North Malabar Gramin Bank | C. State Financial Corporations |
| 81. Palamau Kshetriya Gramin Bank | 1. Assam Financial Corporation |
| 82. Panchmahal Gramin Bank | 2. Bihar State Financial Corporation |
| 83. Pandyan Grama Bank | 3. Delhi Financial Corporation |
| 84. Pragjyotish Gaonlia Bank | 4. Gujarat State Financial Corporation |
| 85. Prathama Bank | 5. Haryana Financial Corporation |
| 86. Puri Gramya Bank | 6. Himachal Pradesh Financial Corporation |
| 87. Raigarh Kshetriya Gramin Bank | 7. Jammu & Kashmir State Financial Corporation |
| 88. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank | 8. Karnataka State Financial Corporation |
| 89. Ranchi Kshetriya Gramin Bank | 9. Kerala Financial Corporation |
| 90. Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank | 10. Madhya Pradesh Financial Corporation |
| 91. Ratlam—Mandsaur Kshetriya Gramin Bank | 11. Maharashtra State Financial Corporation |
| 92. Rayalaseema Grameena Bank | 12. Orissa State Financial Corporation |
| 93. Rewa Sidhi Gramin Bank | 13. Punjab Financial Corporation |
| 94. Rushikulya Gramya Bank | 14. Rajasthan Financial Corporation |
| 95. Sagar Gramin Bank | 15. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd. |
| 96. Samastipur Kshetriya Gramin Bank | 16. West Bengal Financial Corporation |
| 97. Sangameshwara Grameena Bank | |
| 98. Santhal Parganas Gramin Bank | D. Other Term Lending Institutions |
| 99. Saryu Gramin Bank | 1. Arunachal Pradesh Industrial Development & Financial Corporation Ltd. |
| 100. Sharda Gramin Bank | 2. Economic Development Corporation of Goa, Daman & Diu Ltd. |
| 101. Shekhavati Gramin Bank | 3. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd. |
| 102. Shivalik Kshetriya Gramin Bank | |
| 103. Shivpuri Guna Kshetriya Gramin Bank | |
| 104. Siwan Kshetriya Gramin Bank | |
| 105. Solapur Gramin Bank | |
| 106. South Malabar Gramin Bank | |
| 107. Sravasthi Gramin Bank | |
| 108. Sri Saraswathi Grameena Bank | |
| 109. Sri Sathavahana Grameena Bank | |
| 110. Sri Venkateswara Grameena Bank | |
| 111. Sri Visakha Grameena Bank | |
| 112. Subansiri Gaonlia Bank | |

4. Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.
5. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd.
6. Sikkim Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
7. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

E. Co-operative Banks

State Co-operative Banks

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
2. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
3. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
4. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit
5. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

Central Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Viziavada Co-operative Central Bank Ltd.

Bihar

1. Dhanbad Central Co-operative Bank Ltd.

Gujarat

1. Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd.
2. Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd.
3. Jamnagar District Co-operative Bank Ltd.
4. Kachchh District Central Co-operative Bank Ltd.
5. Sabarkantha District Central Co-operative Bank Ltd.

Haryana

1. Brayne Central Co-operative Bank Ltd.

Himachal Pradesh

1. Kangra Central Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

1. Kanara District Central Co-operative Bank Ltd.

Kerala

1. Alleppey District Co-operative Bank Ltd.
2. Cannanore District Co-operative Central Bank Ltd.
3. Idukki District Co-operative Bank Ltd.
4. Kottayam District Co-operative Bank Ltd.
5. Malabar Co-operative Central Bank Ltd.
6. Quilon District Co-operative Bank Ltd.
7. Trivandrum District Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

1. Bhopal Co-operative Central Bank Ltd.
2. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur
3. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara
4. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Jabalpur
5. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Khandwa
6. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Rewa
7. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Ujjain
8. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.

Maharashtra

1. Ahmednagar District Central Co-operative Bank Ltd.
2. Akola District Central Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE—XI (Contd.)

3. Amravati District Central Co-operative Bank Ltd.
4. Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.
5. Beed District Central Co-operative Bank Ltd.
6. Bhandara District Central Co-operative Bank Ltd.
7. Bombay District Central Co-operative Bank Ltd.
8. Buldhana District Central Co-operative Bank Ltd.
9. Chandrapur District Central Co-operative Bank Ltd.
10. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.
11. Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd.
12. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.
13. Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.
14. Nanded District Central Co-operative Bank Ltd.
15. Nasik District Central Co-operative Bank Ltd.
16. Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd.
17. Parbhani District Central Co-operative Bank Ltd.
18. Pune Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit
19. Raigad District Central Co-operative Bank Ltd.
20. Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.
21. Sangli District Central Co-operative Bank Ltd.
22. Satara District Central Co-operative Bank Ltd.
23. Sholapur District Central Co-operative Bank Ltd.
24. Sindhudurg District Central Co-operative Bank Ltd.

25. Solapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.
26. Thane District Central Co-operative Bank Ltd.
27. Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
28. Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Central Co-operative Bank Ltd., Kumbakonam
2. Coimbatore Central Co-operative Bank Ltd.
3. Ramnathpuram District Central Co-operative Bank Ltd.
4. Salem Central Co-operative Bank Ltd.

West Bengal

1. Burdwan Central Co-operative Bank Ltd.

Primary Urban Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Bhimavaram Co-operative Urban Bank Ltd.
3. Guduwada Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat

1. Ahmedabad Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Ltd.
3. Anand Peoples Co-operative Bank Ltd.
4. Ankleshwar Nagaric Sahakari Bank Ltd.
5. Anyonya Sahayakari Mandli Co-operative Bank Ltd.
6. Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE—XI (Contd.)

7. Bavala Nagarik Sahakari Bank Ltd.
 8. Bharuch Nagaric Sahakari Bank Ltd.
 9. Citizen Co-operative Bank Ltd.,
Rajkot
 10. Co-operative Bank of
Ahmedabad Ltd.
 11. Dhinoj Nagrik Sahakari Bank Ltd.
 12. Dohad Urban Co-operative
Bank Ltd.
 13. General Co-operative Bank Ltd.,
Ahmedabad
 14. Himatnagar Nagarik Sahakari
Bank Ltd.
 15. Jhalod Urban Co-operative
Bank Ltd.
 16. Kalupur Commercial
Co-operative Bank Ltd.
 17. Karamsad Urban
Co-operative Bank Ltd.
 18. Madhavpura Mercantile
Co-operative Bank Ltd.
 19. Maneckchowk Co-operative
Bank Ltd.
 20. Nadiad Mercantile Co-operative
Bank Ltd.
 21. Natpur Co-operative Bank Ltd.
 22. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
 23. Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
 24. Patan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
 25. Progressive Mercantile
Co-operative Bank Ltd.
 26. Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd.
 27. Sahyog Co-operative Bank Ltd.
 28. Sardar Bhiladwala Pardi People's
Co-operative Bank Ltd.
 29. Sardarganj Mercantile Co-operative
Bank Ltd., Anand
 30. Sardargunj Mercantile Co-operative
Bank Ltd., Patan
 31. Sarvodaya Commercial
Co-operative Bank Ltd.
 32. Shree Lakshmi Co-operative
Bank Ltd.
 33. Shree Mahalaxmi Mercantile
Co-operative Bank Ltd.
 34. Surendranagar People's
Co-operative Bank Ltd.
 35. Textile Traders Co-operative
Bank Ltd.
 36. Uma Co-operative Bank Ltd.
 37. Unjha Nagarik Sahakari Bank Ltd.
 38. United Mercantile Co-operative
Bank Ltd., Nadiad
 39. Vijay Co-operative Bank Ltd.
 40. Visnagar Nagarik Sahakari
Bank Ltd.
- Jammu & Kashmir**
1. Citizens' Co-operative Bank Ltd.,
Jammu
- Karnataka**
1. Bijapur Shri Siddheshwar Urban
Co-operative Bank Ltd.
 2. City Co-operative Bank Ltd., Mysore
 3. Honavar Urban Co-operative
Bank Ltd.
 4. Karnataka Industrial Co-operative
Bank Ltd.
 5. Mysore Co-operative Bank Ltd.
 6. Navodaya Sahakara Bank Ltd.
 7. Sri Kanyakaparameswari
Co-operative Bank Ltd.
- Kerala**
1. Kasargod Co-operative Town
Bank Ltd.
 2. Palghat Co-operative Urban
Bank Ltd.
 3. Perintalmanna Co-operative
Urban Bank Ltd.
 4. Trichur Urban Co-operative
Bank Ltd.
- Madhya Pradesh**
1. Bhilai Nagarik Sahakari Bank
Maryadit
 2. Citizen Co-operative Bank Ltd.
Damoh

ANNEXURE—XI (Contd.)

- | | |
|---|--|
| 3. Indore Cloth Market Co-operative Bank Ltd. | 28. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd. |
| Maharashtra | 29. Pravara Sahakari Bank Ltd. |
| 1. Abhyudaya Co-operative Bank Ltd. | 30. Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd. |
| 2. Akola Urban Co-operative Bank Ltd. | 31. Rupee Co-operative Bank Ltd. |
| 3. Alen Co-operative Bank Ltd. | 32. Sahyadri Sahakari Bank Ltd. |
| 4. Amalner Co-operative Urban Bank Ltd. | 33. Sangamner Merchants' Co-operative Bank Ltd. |
| 5. Chopda Peoples Urban Co-operative Bank Ltd. | 34. Sangli Urban Co-operative Bank Ltd. |
| 6. Deccan Merchant's Co-operative Bank Ltd. | 35. Saraswat Co-operative Bank Ltd. |
| 7. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd. | 36. Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd. |
| 8. Indira Mahila Sahakari Bank Ltd. | 37. Shirpur Merchant's Co-operative Bank Ltd. |
| 9. Jalna Peoples' Co-operative Bank Ltd. | 38. Sholapur Merchants' Co-operative Bank Ltd. |
| 10. Janata Commercial Co-operative Bank Ltd., Akola | 39. Sholapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Niyamit |
| 11. Janata Sahakari Bank Ltd., Nandurbar | 40. Solapur Janata Sahakari Bank Ltd. |
| 12. Janata Sahakari Bank Ltd., Pune | 41. Swastik Janata Sahakari Bank Ltd. |
| 13. Janata Sahakari Bank Ltd., Sangli | 42. Thane Janata Sahakari Bank Ltd. |
| 14. Karad Janata Sahakari Bank Ltd. | 43. Vaidyanath Co-operative Urban Bank Ltd. |
| 15. Kokan Mercantile Co-operative Bank Ltd. | 44. Vita Merchant's Co-operative Bank Ltd. |
| 16. Kolhapur Maratha Co-operative Bank Ltd. | Manipur |
| 17. Kopargaon Taluka Merchant's Co-operative Bank Ltd. | 1. Imphal Urban Co-operative Bank Ltd. |
| 18. Mandvi Co-operative Bank Ltd. | Pondicherry |
| 19. Memon Co-operative Bank Ltd. | 1. Pondicherry Co-operative Urban Bank Ltd. |
| 20. Murgharajendra Sahakari Bank Ltd. | Tamil Nadu |
| 21. Muslim Co-operative Bank Ltd. | 1. Ammapet Urban Co-operative Bank Ltd. |
| 22. Nagar Urban Co-operative Bank Ltd. | 2. Attur Town Co-operative Bank Ltd. |
| 23. Nandura Urban Co-operative Bank Ltd. | 3. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd. |
| 24. Nasik Merchants' Co-operative Bank Ltd. | 4. Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd. |
| 25. New India Co-operative Bank Ltd. | 5. Chintadripet Co-operative Bank Ltd. |
| 26. North Kanara Goud Saraswat Brahmin Co-operative Bank Ltd. | 6. Coimbatore City Co-operative Bank Ltd. |
| 27. Pachora People's Co-operative Bank Ltd. | 7. Coonoor Co-operative Urban Bank Ltd. |

ANNEXURE—XI (Concl.)

8. Dharampuri Co-operative Town Bank Ltd.
 9. Krishnagiri Urban Co-operative Bank Ltd.
 10. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
 11. Mannargudi Co-operative Bank Ltd.
 12. Mettupalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
 13. Namakkal Co-operative Urban Bank Ltd.
 14. Nazareth Co-operative Bank Ltd.
 15. Palani Co-operative Urban Bank Ltd.
 16. Paramkudi Co-operative Urban Bank Ltd.
 17. Pollachi Co-operative Urban Bank Ltd.
 18. Purasawalkam Co-operative Bank Ltd.
 19. Rasipuram Co-operative Town Bank Ltd.
 20. Salem Urban Co-operative Bank Ltd.
 21. Sankari Co-operative Urban Bank Ltd.
 22. Shevapet Urban Co-operative Bank Ltd.
 23. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
 24. Thyagarayanagar Co-operative Bank Ltd.
 25. Tinnevely Junction Co-operative Bank Ltd.
 26. Tirupattur Town Co-operative Bank Ltd.
 27. Tiruppur Co-operative Urban Bank Ltd.
 28. Tiruchirapalli City Co-operative Bank Ltd.
 29. Tiruvannamalai Co-operative Urban Bank Ltd.
 30. Vaniyambadi Town Co-operative Bank Ltd.
 31. Villupuram Co-operative Urban Bank Ltd.
- Uttar Pradesh**
1. United Mecantile Co-operative Bank Ltd., Kanpur
- West Bengal**
1. Bhatpara Naihati Co-operative Credit Bank Ltd.

**CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S
SMALL LOANS (SMALL SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31ST DECEMBER, 1984**

Category of Credit Institutions	Credit institutions participating in the Government's Scheme (since cancelled)	Of the institutions participating in the Old Scheme			Those who had been participating in the Old Scheme but have joined the New Scheme	Those which have withdrawn from the New Scheme	Total (3+6-7)
		those who have joined the New Scheme	those who have expressed their willingness but have not yet executed the agreement	those who have not joined the New Scheme			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. SBI and its subsidiaries	8	8	—	—	—	—	8
2. Nationalised Banks	20	20	—	—	—	—	20
3. Other Scheduled Commercial Banks	44	42	—	2	2	1	43
4. Non-Scheduled Commercial Banks	2	—	1	1	1	—	1
5. Regional Rural Banks	34	32	—	2	88	—	120
6. State Financial Corporations	18	16	1	1	—	—	16
7. Other State Development Agencies	5	5	—	—	2	—	7
8. Co-operative Banks	197	124	4	69	80	3	201
Total:	328	247	6	75	173	4	416

ANNEXURE XII

GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES AND CORPORATION'S SMALL LOANS (SS) GUARANTEE SCHEME, 1981—AMOUNT-WISE AND AGE-WISE CLASSIFICATION OF CLAIMS PENDING AS ON 31ST DECEMBER, 1984

(Amount in crores of rupees)

Claims for amounts	1 Year		1 to 2 Years		2 to 3 Years		3 to 4 Years		Over 4 Years		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Government's Scheme (Cancelled as on 31st March, 1981)												
1. Upto Rs.25,000/-	2,823	0.62	102	0.08	285	0.09	98	0.06	249	0.31	3,557	1.16
2. Above Rs.25,000 and upto Rs.1 lakh	456	2.45	313	1.55	160	1.04	186	1.03	564	3.00	1,679	9.07
3. Above Rs.1 lakh and upto Rs.2 lakhs	182	2.63	137	1.92	118	1.71	117	1.74	300	4.42	854	12.42
4. Above Rs.2 lakhs and upto Rs.5 lakhs	146	4.45	144	4.11	115	3.59	147	4.60	345	10.86	897	27.61
5. Above Rs. 5 lakhs	45	3.36	53	4.18	45	3.91	81	6.13	149	12.58	373	30.16
Total :	3,652	13.51	749	11.84	723	10.34	629	13.56	1,607	31.17	7,360	80.42
II. Corporation's Scheme (Introduced from 1st April, 1981)												
1. Upto Rs.25,000/-	9,036	2.72	287	0.20	53	0.05	1	*	—	—	9,377	2.97
2. Above Rs.25,000/- and upto Rs.1 lakh	1,499	7.48	284	1.61	53	0.30	2	0.01	—	—	1,838	9.40
3. Above Rs.1 lakh and upto Rs.2 lakhs	644	9.23	171	2.41	15	0.22	2	0.03	—	—	832	11.89
4. Above Rs.2 lakhs and upto Rs.5 lakhs	449	13.79	151	4.82	27	0.83	3	0.11	—	—	630	19.55
5. Above Rs.5 lakhs	221	17.37	77	6.48	15	1.15	1	0.10	—	—	314	25.10
Total :	11,849	50.59	970	15.52	163	2.55	9	0.25	—	—	12,991	68.91

* Amount is less than Rs.1 lakh and hence not taken into account while taking total.

ANNEXURE XIII

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES

(Amount in crores of rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of						Claims pending as at the end of the year	
					Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected			
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
'Part A'—Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981*												
1st April, 1981 to 31st December, 1981	1308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	1308	1.74
1st January, 1982 to 31st December, 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
1st January, 1983 to 31st December, 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
1st January, 1984 to 31st December, 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91@
Total :	32946	97.70	19955	28.79	14581	13.71	5213	13.64	161	1.44		
Part 'B'—Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (Since cancelled as on 31st March, 1981)**												
Claims pending as on 1st April, 1981 (taken over from the Reserve Bank of India)	30,826	98.18										
1st April, 1981 to 31st December, 1981	13911	20.56	5447	10.69	4225	6.54	462	1.94	760	2.21	39290	108.05
1st January, 1982 to 31st December, 1982	10447	20.53	20445	24.43	16936	14.62	2309	5.57	1200	4.24	29292	104.15
1st January, 1983 to 31st December, 1983	7878	20.08	19469	26.78	16394	16.28	1734	7.23	1341	3.27	17701	97.45
1st January, 1984 to 31st December, 1984	7921	16.50	18262	33.53	10214	21.32	5496	8.33	2552	3.88	7360	80.42£
Sub Total :	40157	77.67	63623	95.43	47769	58.76	10001	23.07	5853	13.60		
Total :	70983	175.85	63623	95.43	47769	58.76	10001	23.07	5853	13.60		

@ Of these, 4767 claims for Rs.15.83 crores have already been scrutinised and clarifications have been sought for from the credit institutions.

£ Of these, 5867 claims for Rs.55.17 crores have already been scrutinised and clarifications have been sought for from the credit institutions.

* Part A : This is Corporation's Liability

** Part B : This is Government's Liability.

ANNEXURE XIV

INVESTMENTS OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND THE GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON THE 31ST DECEMBER, 1984

Sr. No.	PARTICULARS	DEPOSIT INSURANCE FUND				CREDIT GUARANTEE FUND				GENERAL FUND				
		Market rate %	Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value	Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value	Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
A. SECURITIES WHICH HAVE DEPRECIATED														
	1. 6½% Loan 2002	75.00	—	—	—	—	3.37	3.38	2.53	74.85	—	—	—	—
	2. 6½% Loan 2003	73.75	—	—	—	—	2.66	2.66	1.96	73.68	—	—	—	—
	3. 6½% Loan 2004	73.00	12.66	11.78	9.24	78.44	2.80	2.81	2.04	72.60	—	—	—	—
	4. 6½% Loan 2005	71.50	5.95	5.98	4.25	71.07	3.00	3.02	2.15	71.19	—	—	—	—
	5. 6¾% Loan 2006	77.00	14.30	14.28	11.01	77.10	2.42	2.42	1.86	76.86	2.15	2.15	1.65	76.74
	6. 6¾% Loan 2007	74.95	9.41	9.36	7.05	75.32	4.00	4.01	3.00	74.81	—	—	—	—
	7. 7% Loan 2009	72.75	34.63	34.66	25.19	72.68	6.00	6.01	4.37	72.71	0.05	0.05	0.04	80.00
	8. 7½% Loan 2010	77.20	41.29	39.50	31.88	80.71	11.29	11.13	8.71	78.26	5.88	5.84	4.54	77.74
	9. 8% Loan 2011	81.75	42.30	41.32	34.58	83.69	59.91	59.35	48.98	82.53	6.80	6.24	5.56	89.10
	10. 8¾% Loan 2010	89.00	0.78	0.78	0.70	89.74	3.00	3.00	2.67	89.00	—	—	—	—
	11. 9% Loan 2013	88.50	34.82	34.80	30.82	88.56	61.65	60.76	54.56	89.80	15.00	15.02	13.27	88.35
	12. 9½% Loan 2008	96.65	6.02	5.92	5.82	98.31	17.17	17.04	16.59	97.36	0.65	0.65	0.63	96.92
	13. 10% Loan 2014	96.00	40.66	40.74	39.04	95.83	32.75	32.79	31.44	95.88	12.00	12.02	11.52	95.84
	14. 10½% Loan 2012	100.00 [@]	2.38	2.38	2.38	100.00	7.05	7.06	7.05	99.86	0.43	0.43	0.43	100.00
	15. 10½% Loan 2014 (II ISSUE)	100.00	0.47	0.47	0.47	100.00	4.70	4.70	4.70	100.00	—	—	—	—
	TOTAL 'A':		245.67	241.97	202.43	83.66	221.77	220.14	192.61	87.49	42.96	42.40	37.64	88.77
B. SECURITIES WHICH HAVE APPRECIATED														
	1. 10¼% Loan 2012 (II ISSUE)	100.60	11.03	11.04	11.09	100.45	19.11	19.15	19.23	100.42	9.83	9.84	9.88	100.41
	2. 10½% Loan 2014	101.00	3.75	3.76	3.79	100.80	21.75	21.75	21.97	101.01	7.21	7.21	7.29	101.11
	Total 'B':	101.00	14.78	14.80	14.88	100.54	40.86	40.90	41.20	100.73	17.04	17.05	17.17	100.70

ANNEXURE—XIV (Concl.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES UNDER 'BUY-BACK' ARRANGEMENT*														
1.	6¼% Loan 2004	73.75									1.13	0.83	0.83	
2.	7¼% Loan 2001	85.75									2.13	1.83	1.83	
3.	7¼% Loan 2010	76.85									0.16	0.12	0.12	
4.	9¼% Loan 2008	97.00									0.60	0.59	0.59	
5.	10% Loan 2014	100.20									0.06	0.06	0.06	
6.	10½% Loan 2014	100.20					3.80	3.81	3.81		0.29	0.29	0.29	
7.	10½% Loan 2014 (II ISSUE)	100.20					1.61	1.61	1.61		0.04	0.04	0.04	
	Total 'C':						5.41	5.42	5.42		4.41	3.76	3.76	
D. TREASURY BILLS														
			0.14	0.14	0.14	100.00								
GRAND TOTAL (A+B+C+D) :			<u>260.59</u>	<u>256.91</u>	<u>217.45</u>	<u>84.64</u>	<u>268.04</u>	<u>266.46</u>	<u>239.23</u>	<u>89.78</u>	<u>64.41</u>	<u>63.21</u>	<u>58.57</u>	<u>92.66</u>

Market rates are as per Stock Exchange quotations as on 21st December, 1984 indicating rates at which business was last done.

@ Issue price, as there have been no transactions since issue of securities.

- * Under 'buy-back' arrangement, which has been extended by the Reserve Bank of India to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as a special case, the Reserve Bank of India sells to DICGC Central Government Securities and purchases the same from DICGC at the same rates at which the securities were sold, if and when the DICGC needs liquid cash to meet claims and other payments.

(Rupees in crores)

	Depreciation in the market value of investments	Existing provision
	Rs.	Rs.
Deposit Insurance Fund	39.54	39.54
Credit Guarantee Fund	27.53	27.53
General Fund	4.76	4.76

अनुबंध XIV

31 दिसंबर 1984 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के निवेश

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	बाज़ार दर प्रतिशत	जमा बीमा निधि				ऋण गारंटी निधि				सामान्य निधि			
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य	वही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य	वही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अ. जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ है														
1.	6 1/2 प्रतिशत ऋण 2002	75.00	-	-	-	-	3.37	3.38	2.53	74.85	-	-	-	-
2.	6 1/2 प्रतिशत ऋण 2003	73.75	-	-	-	-	2.66	2.66	1.96	73.68	-	-	-	-
3.	6 1/2 प्रतिशत ऋण 2004	73.00	12.66	11.78	9.24	78.44	2.80	2.81	2.04	72.60	-	-	-	-
4.	6 1/2 प्रतिशत ऋण 2005	71.50	5.95	5.98	4.25	71.07	3.00	3.02	2.15	71.14	-	-	-	-
5.	6 3/4 प्रतिशत ऋण 2006	77.00	14.30	14.28	11.01	77.10	2.42	2.42	1.86	76.86	2.15	2.15	1.65	76.74
6.	6 3/4 प्रतिशत ऋण 2007	74.95	9.41	9.36	7.05	75.32	4.00	4.01	3.00	74.81	-	-	-	-
7.	7 प्रतिशत ऋण 2009	72.75	34.63	34.66	25.19	72.68	6.00	6.01	4.37	72.71	0.05	0.05	0.04	80.00
8.	7 1/2 प्रतिशत ऋण 2010	77.20	41.29	39.50	31.88	80.71	11.29	11.13	8.71	78.26	5.88	5.84	4.54	77.74
9.	8 प्रतिशत ऋण 2011	81.75	42.30	41.32	34.58	83.69	59.91	59.35	48.98	82.53	6.80	6.24	5.56	89.10
10.	8 3/4 प्रतिशत ऋण 2010	89.00	0.78	0.78	0.70	89.74	3.00	3.00	2.67	89.00	-	-	-	-
11.	9 प्रतिशत ऋण 2013	88.50	34.82	34.80	30.82	88.56	61.65	60.76	54.56	89.80	15.00	15.02	13.27	88.35
12.	9 1/2 प्रतिशत ऋण 2008	96.55	6.02	5.92	5.82	98.31	17.17	17.04	16.59	97.36	0.65	0.65	0.63	96.92
	आगे ले जाया गया		202.16	198.38	160.54		177.27	175.59	149.42		30.53	29.95	25.69	

अनुबंध XIV (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	आगे लाया गया	-	202.16	198.38	160.54		177.27	175.59	149.42		30.53	29.95	25.69	
13.10	प्रतिशत ऋण 2014	96.00	40.66	40.74	39.04	95.83	32.75	32.79	31.44	95.88	12.00	12.02	11.52	95.84
14.10 ^{1/4}	प्रतिशत ऋण 2012	100.00	2.38	2.38	2.38	100.00	7.05	7.06	7.05	99.86	0.43	0.43	0.43	100.00
15.10 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2014 (दूसरा निर्गम)	100.00	@ 0.47	0.47	0.47	100.00	4.70	4.70	4.70	100.00	-	-	-	-
जोड़ "अ"			245.67	241.97	202.43	83.66	221.77	220.14	192.61	87.49	42.96	42.40	37.64	88.77
आ. जिन प्रतियुक्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है														
1.10 ^{1/4}	प्रतिशत ऋण 2012 (दूसरा निर्गम)	100.60	11.03	11.04	11.09	100.45	19.11	19.15	19.23	100.42	9.83	9.84	9.88	100.41
2.10 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2014	101.00	3.75	3.76	3.79	100.80	21.75	21.75	21.97	101.01	7.21	7.21	7.29	101.11
जोड़ "आ"		101.00	14.78	14.80	14.88	100.54	40.86	40.90	41.20	100.73	17.04	17.05	17.17	100.70
इ. "वापस खरीद" व्यवस्था के अधीन केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश *														
1.6 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2004	73.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13	0.83	0.83	
2.7 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2001	85.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13	1.83	1.83	
3.7 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2010	76.85	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.12	0.12	
4.9 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2008	97.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.59	0.59	
5.10	प्रतिशत ऋण 2014	100.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	
6.10 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2014	100.20	-	-	-	-	3.80	3.81	3.81	-	0.29	0.29	0.29	
7.10 ^{1/2}	प्रतिशत ऋण 2014 (दूसरा निर्गम)	100.20	-	-	-	-	1.61	1.61	1.61	-	0.04	0.04	0.04	
जोड़ "इ"							5.41	5.42	5.42	-	4.41	3.76	3.76	

अनुबंध XIV (समाप्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ई. खजाना बिल			0.14	0.14	0.14	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल जोड़ (अ+आ+इ+ई)			260.59	256.91	217.45	84.64	268.04	266.46	239.23	89.78	64.41	63.21	58.57	92.66

बाजार दरें 21 दिसंबर 1984 की स्टॉक एक्चेंज की दरों के अनुसार हैं और पिछला कारोबार जिस दर पर किया गया था उसकी सूचक हैं।

@ निर्गम मूल्य, चूंकि प्रतिभूतियां जारी करने के बाद कोई लेन-देन नहीं हुए हैं।

- * "वापस खरीद" व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को एक विशेष मामले के तौर पर प्रदान की गयी है। इसके अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रतिभूतियां बेचता है तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम को जब कभी दावों की अदायगी तथा अन्य अदायगियों के लिए नकदी राशि की आवश्यकता हो तो वह उन प्रतिभूतियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से खरीदता है।

(राशि करोड़ रुपयों में)

	निवेशों के बाजार मूल्य/हास	वर्तमान व्यवस्था
जमा बीमा निधि	39.54	39.54
ऋण गारंटी निधि	27.53	27.53
सामान्य निधि	4.76	4.76

तुलनपत्र
आय-व्यय लेखा
और
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के
विनियम 18
31 दिसंबर 1984 को कारोबार समाप्त
I. जमा बीमा निधि

पिछले वर्ष		बेयताएं	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15,403.68	8876.48	1. निधि :				
		वर्ष के आरंभ में शेष	17,699.51		11,705.17	
		जोड़िए :				
		वर्ष के दौरान निधि में शुद्ध उपचय				
<u>2,295.83</u>	<u>2,828.69</u>	आय-व्यय लेखे से अंतरित	<u>4,189.17</u>		<u>98.77</u>	
17,699.51	11,705.17	वर्ष के अंत में शेष		21,888.68		11,803.94
		2. निवेश प्रारक्षित निधि :				
		वर्ष के आरंभ में शेष	3,346.53		2,032.30	
		जोड़िए :				
		वर्ष के दौरान व्यवस्था				
<u>1,685.12</u>	<u>1,193.25</u>	की गयी राशि	<u>608.29</u>		<u>721.33</u>	
3,346.53	2,032.30	वर्ष के अंत में शेष		3,954.82		2,753.63
7.56	—	3. अदावी बीमाकृत जमा राशियां		7.67		
		4. जिन बैंकों का बीमाकृत बैंकों				
		के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया				
13.70	—	है, उनकी बीमाकृत जमा राशियां		13.70		
21,067.30	13,737.47	आगे ले जाया गया		25,864.87		14,557.57

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
— फार्म "अ"

होने के समय का तलनपत्र
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आस्तियां	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13.77	115.22	1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा (टिप्पणी सं. 2 देखें)		3.19		72.68
—	40.00	2. मार्गस्थ नकदी		—		—
20894.97	19574.30	3. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		25691.38		26645.91
		जमा बीमा निधि				
		ऋण गारंटी निधि				
		लाख रुपये				
		(अंकित				
		मूल्य 26059.48				
		बाज़ार				
		मूल्य 21,744.82				
		23922.44)				
204.06	210.16	4. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		264.64		340.40
21,112.80	19,939.68	आगे ले जाया गया		25,959.21		27,058.99

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के
विनियम 18
31 दिसंबर 1984 को कारोबार समाप्त
I. जमा बीमा निधि

1	2	3	4	5	6	7
21,067.30	13,737.47	आगे लाया गया		25,864.87		14,557.57
—	—	5. वे दावे जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी है और स्वीकृत हो चुके हैं परन्तु अदा नहीं किये गये हैं				161.49
—	6682.03	6. उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं				12944.58
48.84	24.01	7. अन्य देयताएं फुटकर लेनदार		109.10		69.00*
		* (दुर्घटना समायोजनाधीन लेखा 46.63 लाख रुपये)				
21,116.14	20,443.51	जोड़		25,973.97		27,732.64

टिप्पणियाँ :

जमा बीमा निधि

1. तुलन-पत्र की तारीख को, जमाकर्ताओं को अदा किये दावों के सम्बन्ध में प्रत्यासीन अधिकारों के रूप में निगम को 2,25,60,788 रुपये (पिछले वर्ष 2,09,73,138 रुपये) प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में प्राप्त होनेवाली वसूली का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उसे उसी वर्ष हिसाब में लिया जायेगा जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 दिसंबर 1984 के विवरण के अनुसार चालू खाते में शेष राशि, निगम में रखी गयी भारतीय रिज़र्व बैंक खाता बही से मेल खाती है। परंतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के बही खाते और भारतीय रिज़र्व बैंक लेखे के शेष में 20,530.35 रुपये अंतर का समाधान किया जा रहा है। आय व्यय लेखे और तुलनपत्र पर इसका प्रभाव तभी मालूम होगा जब अंतिम रूप से उनकी जाँच होने के बाद समायोजन हो जायेगा।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

ए. जे. शहा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
बंबई, दिनांक 21 मार्च 1985

के. के. सक्सेना
महा प्रबंधक

एस. पी. सेन गुप्ता
निदेशक

सी. रंगराजन
अध्यक्ष

एच. के. समल
निदेशक

पी. डी. ओझा
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
— फार्म "अ"
होने के समय का तुलनपत्र
और ऋण गारंटी निधि

8	9	10	11	12	13	14
21,112.80	19,939.68	आगे लाया गया		25,959.21		27,058.99
		5. अन्य आस्तियाँ :				
		अ) बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्त प्रीमियम गारंटी शुल्क और अतिरिक्त प्रदत्त दावों की बकाया राशि	13.76		148.83	
2.36	201.23					
		ब) अतिदेय प्रीमियम और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	0.94		9.17	
0.92	11.89					
		क) एक बैंक के परिसमापक के पास अवितरित रहनेवाले दावों के संबंध में अदा की गयी राशि	0.06		—	
0.06	—					
		ड) लघु उद्योग के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)	—		469.02	
—	290.71					
		इ) समायोजनाधीन लेखा (टिप्पणी सं. 4 देखें) दुरतरफ	—	14.76	46-63*	673.65
3.34	503.83					
21,116.14	20,443.51	जोड़		25,973.97		27,732.64

ऋण गारंटी निधि

3. ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत दावों का निपटान होने पर प्रत्यासीन अधिकारों के कारण प्राप्य वसूली की राशि, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उस वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।
4. समायोजनाधीन लेखा सहायक गारंटी शुल्क समाधान पंजी तथा निगम की लेखा बहियों में अन्तर के रूप में है। इस अंतर का समाधान किया जा रहा है। तुलनपत्र पर इसका प्रभाव अभी मालूम होगा जब अंतिम रूप से उनकी जाँच होने के बाद समायोजन हो जायेगा।

के. के. मिश्र
निदेशक

एस. वी. घाटलिया
निदेशक

आर. वी. माधव राव
निदेशक

एम. आर. बी. पुंजा
निदेशक

ए. एस. पुरी
निदेशक

आई. एस. शर्मा
उप महा प्रबंधक

पी. कृष्णमूर्ति
उप महा प्रबंधक

जे. फोन्सेका
मुख्य लेखाकार

**निक्षेप बीमा और
(फार्म
31 दिसंबर 1984 को समाप्त
I. जमा बीमा निधि**

<u>पिछले वर्ष</u>		व्यय	<u>जमा बीमा निधि</u>		<u>ऋण गारंटी निधि</u>	
<u>जमा बीमा निधि</u>	<u>ऋण गारंटी निधि</u>		<u>लाख रुपये</u>	<u>लाख रुपये</u>	<u>लाख रुपये</u>	<u>लाख रुपये</u>
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
-	2,128.32	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त दावे	18.51		4,045.98	
-	-	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किये गये दावे	-		161.49	
		जोड़िए :				
		उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी इस वर्ष के अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं			12,944.58	
-	6,682.03		-		17,152.05	
-	8810.35		18.51			
		घटाइए :				
		उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी पिछले वर्ष के अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है, परंतु जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं			6,682.03	
-	4,092.34		-			
-	4,718.01	शुद्ध दावे		18.51		10,470.02
		निवेश प्रारंभित निधि में जमा किये गये निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए व्यवस्था निधि में अंतरित कुल उपचय		608.29		721.33
1,685.12	1,193.25			4,189.17		98.77
2,295.83	2,828.69					
3,980.95	8,739.95	जोड़	4,815.97		11,290.12	

इसे तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

ए. जे. शहा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
बंबई, दिनांक 21 मार्च 1985

के. के. सक्सेना
महा प्रबंधक

सी. रंगरजन
अध्यक्ष

पी. डी. ओझा
निदेशक

एस. पी. सेन गुप्ता
निदेशक

एच. के. समल
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

- आ)

हुए वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि लाख रुपये	ऋण गारंटी निधि लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
2,485.90		जमा बीमा प्रीमियम (अति- देय प्रीमियम पर ब्याज सहित)	2,897.25			
-	7,116.81	गारंटी शुल्क (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)	-		8,790.49	
12.39	263.58	जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियां	2.64		414.17	
1,482.66	1,359.56	निवेशों से प्राप्त आय	1,916.08		20.85.46	
3,980.95	8,739.95	जोड़	4,815.97		11,290.12	

- टिप्पणी : 1. ऐसे दावे जो सूचित तो किये जा चुके हैं परंतु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में सामान्य रूप से अस्वीकार किये जानेवाले/वापस लिये जाने वाले दावों के संबंध में 8.39 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.53 प्रतिशत) जितनी राशि घटा दी गयी है।
2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे उनसे गारंटी शुल्क के लिए प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय लेख में हिसाब में लिया गया है।
3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ राशियां जहां अपर्याप्त समझी गयी हैं वहां अपेक्षित अधिक राशि के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है।
4. प्रत्येक छमाही के शुरु में प्राप्त होने वाले अतिदेय जमा बीमा प्रीमियम/ऋण गारंटी शुल्क के ब्याज को बैंकों/ऋण संस्थाओं से बीमाकृत जमा राशियों/गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण तथा प्रीमियम/शुल्क की वास्तविक प्राप्त होने पर ही हिसाब में लिया जाता है।
5. पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश के मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई मूल्य वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है।

के. के. मिश्र
निदेशक

एस. वी. घाटलिया
निदेशक

आर. वी. माधव राव
निदेशक

एम. आर. वी. पूजा
निदेशक

ए. एस. पुरी
निदेशक

आई. एस. शर्मा
उप महा प्रबंधक

पी. कृष्णमूर्ति
उप महा प्रबंधक

जे. फोन्सेका
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
विनियम 18
31 दिसंबर 1984 को कारोबार
II — सामान्य

पिछले वर्ष लाख रुपये	वेयताएँ	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
1500.00	1. पूंजी : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी			5000.00
0.20	2. प्रारक्षित निधियाँ (क) सामान्य प्रारक्षित निधि वर्ष के आरंभ में शेष	0.20		
—	जोड़िए: आय-व्यय लेखे से अन्तरित अधिशेष	935.08		
(च) 0.20	वर्ष के अन्त में शेष		935.28	
45.02	(ख) निवेश प्रारक्षित निधि वर्ष के आरंभ में	211.46		
166.44	जोड़िए :	264.92		
(छ) 211.46	वर्ष के दौरान की गयी व्यवस्था की राशि		476.38	
(च+छ) 211.66	वर्ष के अंत में शेष			1411.66
2,500.00	3. भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त व्याज-रहित जमा राशि जिसे पूंजी में परिवर्तित किया जाना है			
0.36	4. चालू देयताएँ और व्यवस्था : कर्मचारी भविष्य निधि :			
17.56	कर्मचारी उपदान निधि		0.31	
8.68	अन्य देयताएँ :		26.58	
8.80	स्टाफ छुट्टी/सेवा निवृत्ति किराया रियायत	8.68		
0.65	अदत्त व्यय	28.86		
18.13	फुटकर लेनदार	0.50		
36.05			38.04	
4,247.71	जोड़			64.93
				6,476.59

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

ए. जे. शहा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
बंबई, दिनांक 21 मार्च 1985

के. के. सक्सेना
महा प्रबंधक

एस. पी. सेन गुप्ता
निदेशक

सी. रंगराजन
अध्यक्ष

एच. के. समल
निदेशक

पी. डी. ओझा
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

— फार्म "अ"

समाप्त होने के समय का तुलनपत्र

निधि

पिछले वर्ष लाख रुपये	आस्तियां	लाख रुपये	लाख रुपये
	1. नकदी :		
0.08	i) हाथ में	0.10	
0.42	ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	4.82	
0.50			4.92
4,190.09	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर):		6321.77
	(अंकित मूल्य : लाख रुपये 6440.69)		
	(बाज़ार मूल्य : 5857.01)		
41.43	3. निवेशों पर प्रोवभूत ब्याज		75.99
	4. अन्य आस्तियां :		
4.18	मूल्यहास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण	4.25	
0.67	लेखन-सामग्री का स्टॉक	0.75	
0.25	पूर्वदत्त व्यय	1.34	
10.59	व्ययों के लिए अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक आदि से वसूली योग्य		
	स्टाफ को दिये जानेवाले भत्ते तथा अन्य ज़मानाशायी	67.57	
15.69			73.91
	जोड़		6,476.59
4.247.71			

के. के. मिश्र
निदेशक

एस. वी. घाटलिया
निदेशक

आर. वी. माधव राव
निदेशक

एम. आर. वी. पुंजा
निदेशक

ए. एस. पुरी
निदेशक

आई. एस. शर्मा
उप महा प्रबंधक

पी. कृष्णमूर्ति
उप महा प्रबंधक

जे. फोन्सेका
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

फार्म "आ"

31 दिसंबर 1984 को समाप्त हुए वर्ष का आय व्यय लेखा

II - सामान्य निधि

पिछले वर्ष लाख रुपये	व्यय	लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये	आय	लाख रुपये
	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	122.25	296.71	निवेशों से प्राप्त आय	427.76
95.66	कर्मचारी उपदान निधि में अंशदान	9.19		लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ (टिप्पणी सं. 1 देखें)	945.39
3.52	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.02		विविध प्राप्तियाँ	0.07
0.02	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.06	0.05		
0.05	किरया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	18.67			
13.40	स्थापना-यात्रा और विराम भत्ते	1.53			
1.07	मुद्रण और लेखन-सामग्री	4.84			
4.90	डाक, तार और टेलीफोन	2.42			
1.79	लेखा परीक्षकों का शुल्क	0.30			
0.30	विधि प्रभार	0.59			
0.20	विविध व्यय	12.69			
8.77	मूल्यहास	0.66			
0.65	निवेश प्रारक्षित निधि में जमा किये गये निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए व्यवस्था सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित व्यय की तुलना में हुई अधिक आय की शेष राशि	264.92			
166.44		935.08			
296.77	जोड़	1,373.22	296.77	जोड़	1,373.22

- टिप्पणी:** 1. भारत सरकार द्वारा निगम को लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1986 तक प्राप्त/प्राप्य वसूलियाँ धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप, 1 अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1984 तक की अवधि के दौरान प्राप्त कुल 945.39 लाख रुपये की राशियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अधीन, वर्ष के दौरान, अंतरित करके सामान्य निधि के आय व्यय लेखे में लिया गया है। इस राशि में से 333.71 लाख रुपये, वर्ष 1984 के दौरान प्राप्त वसूलियों से संबंधित हैं।
2. पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश के मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई मूल्य वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

ए. जे. शहा एण्ड कं. के. के. सक्सेना सी. रंगराजन पी. डी. ओझा के. के. मिश्र एस. वी. घाटलिया आर. वी. माधव राव एम. आर. वी. पुंजा ए. एस. पुरी
सनदी लेखाकार महा प्रबंधक अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक
बंबई, दिनांक 21 मार्च 1985

एस. पी. सेन गुप्ता एच. के. समल आई. एस. शर्मा पी. कृष्णमूर्ति जे. फोन्सेका
निदेशक निदेशक उप महा प्रबंधक उप महा प्रबंधक मुख्य लेखाकार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि तथा (ii) सामान्य निधि के 31 दिसंबर 1984 तक के संलग्न तुलनपत्रों तथा उपर्युक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित तीनों निधियों के आय-व्यय लेखे की भी लेखा परीक्षा कर ली है, तथा हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :

1. लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये अपेक्षित सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है ;
2. उक्त तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 में विहित रीति की अपेक्षानुसार तैयार किये गये हैं;
3. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके अनुसार उक्त तुलनपत्र पूर्ण और सही है और वे सभी आवश्यक विवरणों को दर्शाते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किये गये हैं कि उनसे निगम के कारोबार की 31 दिसंबर 1984 तक की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो।
4. हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके अनुसार ऋण गारंटी निधि का उक्त तुलनपत्र :

कतिपय लेखों के समाधान न होने और तुलनपत्र पर उनके तदनुरूप प्रभाव के संबंध में दी गयी टिप्पणी सं. 4 के अध्याधीन पूर्ण और सही तुलनपत्र है और वह सभी आवश्यक विवरणों को दर्शाते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि उससे निगम के कारोबार की 31 दिसंबर 1984 तक की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो।

बंबई

दिनांक 21 मार्च 1985

ह./-

ए.जे. शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

**Balance Sheet
Revenue Account
And
Auditor's Report**

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance and Credit
Regulation 18
Balance Sheet as at the close of
I—DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous Year		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs					
		1. FUND :				
15,403.68	8,876.48	Balance at the beginning of the year	17,699.51		11,705.17	
		<i>Add :</i>				
		Net accretion to the Fund during the year transferred from the Revenue Account	4,189.17		98.77	
2,295.83	2,828.69	Balance at the end of the year		21,888.68		11,803.94
<u>17,699.51</u>	<u>11,705.17</u>					
		2. INVESTMENT RESERVE :				
1,661.41	839.05	Balance at the beginning of the year	3,346.53		2,032.30	
		<i>Add :</i>				
		Amount provided for during the year	608.29		721.33	
1,685.12	1,193.25	Balance at the end of the year		3,954.82		2,753.63
<u>3,346.53</u>	<u>2,032.30</u>					
		3. INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED		7.67		
7.56	—					
		4. INSURED DEPOSITS IN BANKS WHOSE REGISTRATION AS INSURED BANKS HAS BEEN CANCELLED		13.70		
13.70	—					
		5. CLAIMS INTIMATED AND CLAIMS ADMITTED BUT NOT PAID				161.49
—	—					
		6. ESTIMATED LIABILITY IN RESPECT OF CLAIMS INTIMATED BUT NOT ADMITTED		—		12,944.58
—	6,682.03					
		7. OTHER LIABILITIES :				
		Sundry Creditors		109.10		69.00*
	24.01	*(Per contra Suspense Account Rs. 46.63 lakhs)				
48.84						
<u>21,116.14</u>	<u>20,443.51</u>	TOTAL		<u>25,973.97</u>		<u>27,732.64</u>

NOTES : DEPOSIT INSURANCE FUND

- As on the date of balance sheet, in respect of claims paid to depositors, the Corporation is entitled to receive by way of subrogation an amount of Rs.2,25,60,788. (Previous Year Rs.2,09,73,138). The recovery against the same will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year it is received.
- Current Account balance as per Reserve Bank of India statement as on 31st December, 1984, has been reconciled with the Reserve Bank of India ledger maintained by the Corporation. However, reconciliation of the difference of Rs.20,530.35 between the balance of the Reserve Bank of India ledger and the balance as per Reserve Bank of India Account in the General Ledger is in progress. The effect of this on Revenue Account and Balance Sheet will be known only when they are finally scrutinised and adjusted.

As per our report of even date attached.

A.J. SHAH & CO.,
Chartered Accountants
Bombay, dated the 21st March, 1985

K.K. SAKSENA
GENERAL MANAGER

C.RANGARAJAN
CHAIRMAN

P.D.OJHA
DIRECTOR.

S.P. SEN GUPTA
DIRECTOR

H.K. SAMAL
DIRECTOR

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Guarantee Corporation Act, 1961)
—Form 'A'
business on the 31st December, 1984
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous Year		ASSETS	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
13.77	115.22	1. BALANCE WITH THE RESERVE BANK OF INDIA (See Note 2)		3.19		72.68
—	40.00	2. CASH IN TRANSIT		—		—
20,894.97	19,574.30	3. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (At Cost)		25,691.38		26,645.91
			Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		
			Rs. in lakhs	Rs in lakhs		
		(Face Value	26,059.48	26,803.81		
		Market Value	21,744.82	23,922.44)		
204.06	210.16	4. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		264.64		340.40
		5. OTHER ASSETS :				
2.36	201.23	i) Outstanding premium, guarantee fees and excess claims paid, due from banks/credit institutions.	13.76		148.83	
0.92	11.89	ii) Outstanding interest on overdue premium and guarantee fees	0.94		9.17	
0.06	—	iii) Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of a bank	0.06		—	
—	290.71	iv) Government of India Credit Guarantee Scheme (Old) for Small Scale Industries	—		469.02	
—	—	v) Suspense Account (See Note 4)	—		46.63*	
3.34	503.83	*Per contra		14.76		673.65
<u>21,116.14</u>	<u>20,443.51</u>	TOTAL		<u>25,973.97</u>		<u>27,732.64</u>

CREDIT GUARANTEE FUND

3. The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund, which cannot be estimated, will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year it is received.
4. The Suspense Account is the difference between the Subsidiary Guarantee Fee Reconciliation Register and the Account books of the Corporation. The reconciliation of the difference is in progress. The effect of this on Balance Sheet will be known only when they are finally scrutinised and adjusted.

K.K. MISRA
DIRECTOR

S.V. GHATALIA
DIRECTOR

R.V. MADHAVA RAO
DIRECTOR

M.R.B. PUNJA
DIRECTOR

A.S. PURI
DIRECTOR

I.S. SHARMA
DY. GENERAL MANGER

P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

J. FONSECA
CHIEF ACCOUNTANT

DEPOSIT INSURANCE AND

(Form

Revenue Account for the year

I—DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous Year		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
—	2,128.32	To Claims :				
—	—	(a) Paid during the year	18.51		4,045.98	
		(b) Admitted but not paid	—		161.49	
		<i>Add :</i>				
		Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	—		12,944.58	
—	6,682.03		—		—	
—	8,810.35		18.51		17,152.05	
		<i>Less :</i>				
		Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year	—		6,682.03	
—	4,092.34		—		—	
—	4,718.01	Net Claims		18.51		10,470.02
1,685.12	1,193.25	To Provision for depreciation in the value of investments credited to Investment Reserve		608.29		721.33
2,295.83	2,828.69	To Net accretion transferred to the Fund		4,189.17		98.77
<u>3,980.95</u>	<u>8,739.95</u>	TOTAL		<u>4,815.97</u>		<u>11,290.12</u>

- Notes :* 1. Estimated liability for claims intimated but not admitted is arrived at by deducting from such claims, a sum equal to 8.39% (previous year 8.53%) thereof on account of usual rejections/withdrawals.
 2. In cases where the statements of guaranteed advances were not received from the credit institutions, the ad hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.
 3. In respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, provision for guarantee fee has not been made over and above the ad hoc amounts received where the latter is considered inadequate.

As per our report of even date attached.

A.J. SHAH & CO.,
Chartered Accountants
Bombay, dated the 21st March, 1985

K.K. SAKSENA
GENERAL MANAGER

C.RANGARAJAN
CHAIRMAN

F.D.OJHA
DIRECTOR

S.P. SEN GUPTA
DIRECTOR

H.K. SAMAL
DIRECTOR

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

— B)

ended the 31st December, 1984

AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous Year		INCOME	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
2,485.90	—	By Deposit Insurance premia (including interest on overdue premium)	2,897.25	—	—	—
—	7,116.81	By Guarantee fees (including interest on overdue guarantee fees)	—	—	8,790.49	8,790.49
12.39	263.58	By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/guarantee claims paid	2.64	—	414.17	414.17
1,482.66	1,359.56	By Income from Investments	1,916.08	—	2,085.46	2,085.46
<u>3,980.95</u>	<u>8,739.95</u>	TOTAL	<u>4,815.97</u>	—	<u>11,290.12</u>	<u>11,290.12</u>

4. Interest on overdue Deposit Insurance Premium/Credit Guarantee Fee receivable at the beginning of every half year, is accounted for only on the actual receipt of the Premium/Fee and the corresponding details of insured deposits/guaranteed advances from the Banks/Credit Institutions.
5. As per past practice, provision for depreciation in investment is arrived at without taking into account the appreciation in market value over book value of certain securities.

K.K. MISRA
DIRECTOR

S.V. GHATALIA
DIRECTOR

R.V. MADHAVA RAO
DIRECTOR

M.R.B. PUNJA
DIRECTOR

A.S. PURI
DIRECTOR

I.S. SHARMA
DY. GENERAL MANGER

P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

J. FONSECA
CHIEF ACCOUNTANT

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18
Balance Sheet as at the close of
II—GENERAL

Previous Year Rs.in lakhs	LIABILITIES	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
1,500.00	1. CAPITAL: Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.			5,000.00
	2. RESERVES.			
0.20	General Reserve Balance at the beginning of the year	0.20		
—	Add : Surplus transferred from the Revenue Account	935.08		
(X) 0.20	Balance at the end of the year		935.28	
45.02	Investment Reserve Balance at the beginning of the year	211.46		
166.44	Add : Amount provided during the year	264.92		
(Y) 211.46	Balance at the end of the year		476.38	
(X) + (Y) 211.66				1,411.66
2,500.00	3. INTEREST-FREE DEPOSIT FROM RESERVE BANK OF INDIA TO BE CONVERTED INTO CAPITAL			
0.36	4. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:			
17.56	Staff Provident Fund		0.31	
	Staff Gratuity Fund		26.58	
8.68	Other liabilities :			
8.80	Staff Leave/Retirement Fare Concession	8.68		
0.65	Outstanding Expenses	28.86		
18.13	Sundry Creditors	0.50		
36.05			38.04	
4,247.71	TOTAL			64.93
				6,476.59

As per our report of even date attached.

A.J. SHAH & CO.,
Chartered Accountants
Bombay, dated the 21st March, 1985

K.K. SAKSENA
GENERAL MANAGER

C.RANGARAJAN
CHAIRMAN

P.D.OJHA
DIRECTOR

S.P. SEN GUPTA
DIRECTOR

H.K. SAMAL
DIRECTOR

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

—Form 'A'

business on the 31st December, 1984

FUND

Previous Year	ASSETS		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
Rs.in lakhs				
	1. CASH :			
0.08	i) In hand		0.10	
0.42	ii) With the Reserve Bank of India		4.82	
0.50				4.92
4,190.09	2. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (AT COST)			6,321.77
	Rs. in lakhs			
	(Face Value	6,440.69)		
	(Market Value	5,857.01)		
41.43	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS			75.99
	4. OTHER ASSETS :			
4.18	Furniture, Fixtures and Equipment less Depreciation		4.25	
0.67	Stock of Stationery		0.75	
0.25	Prepaid Expenses		1.34	
10.59	Advances for expenses, Staff Allowances recoverable from Reserve Bank of India etc. and other deposits		67.57	
15.69				73.91
<u>4,247.71</u>	TOTAL			<u>6,476.59</u>

K.K. MISRA
DIRECTOR

S.V. GHATALIA
DIRECTOR

R.V. MADHAVA RAO
DIRECTOR

M.R.B. PUNJA
DIRECTOR

A.S. PURI
DIRECTOR

I.S. SHARMA
DY. GENERAL MANGER

P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

J. FONSECA
CHIEF ACCOUNTANT

DEPOSIT INSURANCE AND

(Form

Revenue Account for the year

II—GENERAL

Previous Year Rs. in lakhs	EXPENDITURE	Rs. in lakhs
95.66	To Salaries and Allowances and Contributions to Staff Provident Fund	122.25
3.52	To Contributions to Staff Gratuity Fund	9.19
0.02	To Directors' and Committee Members' Fees	0.02
0.05	To Directors' and Committee Members' Travelling and other Allowances	0.06
13.40	To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	18.67
1.07	To Establishment—Travelling and Haking Allowances	1.53
4.90	To Printing and Stationery	4.84
1.79	To Postage, Telegrams and Telephones	2.42
0.30	To Auditors' Fees	0.30
0.20	To Legal Charges	0.59
8.77	To Miscellaneous Expenses	12.69
0.65	To Depreciation	0.66
166.44	To Provision for depreciation in value of investments credited to Investment Reserve	264.92
—	To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve	935.08
<u>296.77</u>	TOTAL	<u>1,373.22</u>

Notes : 1. Consequent on Government of India's decision permitting the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid accounts under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old), received/to be received upto 31st March, 1986, amounts aggregating Rs.945.39 lakhs received during the period 1st April, 1981 to 31st December, 1984, have been transferred and accounted for in Revenue Account of General Fund, during the year, under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. Of the amount, Rs.333.71 lakhs pertains to recoveries received during the year 1984.

2. As per past practice, provision for depreciation in investment is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.

As per our report of even date attached

A.J. SHAH & CO.,
Chartered Accountants
Bombay, dated the 21st March, 1985

K.K. SAKSENA
GENERAL MANAGER

C.RANGARAJAN
CHAIRMAN

P.D.OJHA
DIRECTOR

S.P. SEN GUPTA
DIRECTOR

H.K. SAMAL
DIRECTOR

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

'B')

ended the 31st December, 1984

FUND

<u>Previous Year</u>		
<u>Rs. in lakhs</u>	INCOME	<u>Rs. in lakhs</u>
296.72	By Income from Investments	427.76
—	By Recoveries in Claims Paid Accounts in Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) (See Note 1)	945.39
0.05	By Miscellaneous Receipts	0.07
<u>296.77</u>	TOTAL	<u>1,373.22</u>

K.K. MISRA
DIRECTOR

S.V. GHATALIA
DIRECTOR

R.V. MADHAVA RAO
DIRECTOR

M.R.B. PUNJA
DIRECTOR

A.S. PURI
DIRECTOR

I.S. SHARMA
DY. GENERAL MANGER

P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

J. FONSECA
CHIEF ACCOUNTANT.

REPORT OF THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund, of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st December, 1984 and also the respective Revenue Accounts of each of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report as under :

1. We have been given all the explanations and information we had called for and have found the same to be satisfactory;
2. The said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961;
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Balance Sheets of General Fund and the Deposit Insurance Fund are full and fair Balance Sheets containing all necessary particulars and are properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs of the said Funds as at 31st December, 1984;
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet of the Credit Guarantee Fund subject to :

Note 4 regarding non reconciliation of certain accounts and corresponding effect of the same on the Balance Sheet

is full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs of the said Fund as at 31st December, 1984.

BOMBAY
DATE : 21st MARCH, 1985

Sd/-
A.J. SHAH & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(संसद की अधिनियम द्वारा स्थापित)
प्रधान कार्यालय: छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,
17 कूपरेज रोड, बम्बई 400 039.

31 दिसम्बर 1984 को समाप्त
हुए वर्ष के लिए निदेशकों की
23 वीं वार्षिक रिपोर्ट, तुलनपत्र और लेखे

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय
गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं-1076,
बम्बई-400 039.

बीएस/109/डीआइसीजीसी/50 (बी)-85

23 मार्च 1985
2 चैत्र 1907 (शक)

सचिव
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
न्यू केन्द्रीय कार्यालय भवन,
बम्बई-400 023.

प्रिय महोदय,

1984 के लिए तुलनपत्र और वार्षिक रिपोर्ट

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश दिया है:

- (I) 31 दिसम्बर 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट-सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लेखों की एक प्रति और;
- (II) वर्ष 1984 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।

भवदीय,

ह/- के. के. सक्सेना
महा प्रबंधक

प्रेषण पत्र

(भारत सरकार को)

निकषेप बीमा और प्रत्यय
गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, इंडिया रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बम्बई-400 039.

23 मार्च 1985
2 चैत्र 1907 (शक)

बीएस / 107 / डीआइसीजीसी / 50 (सी) -85

सचिवभारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग),
“जीवनदीप” बिल्डिंग,
संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

1984 के लिए तुलनपत्र और वार्षिक रिपोर्ट

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है:

(i) 31 दिसम्बर 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलनपत्र और लेखे और;

(ii) वर्ष 1984 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. उक्त तुलनपत्र और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी हैं। उसकी तीन अतिरिक्त प्रतियां इस पत्र के साथ भी भेजी जा रही हैं।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32 (2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख / तारीखें सूचित करें।

भवदीय,

ह- / -के. के. सक्सेना
महाप्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

डॉ. म. वि. हाटे

उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई
(11 मार्च 1985 तक)

डॉ. सी. रंगराजन

उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई
(12 मार्च 1985 से 20 मई 1985 तक)

डॉ पी. डी. ओझा

उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई
(21 मई 1985 से)

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ख)
के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

डॉ. पी. डी. ओझा

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई
(28 अप्रैल 1985 तक)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6 (1) (ग) के
अधीन नामित

के. के. मिश्रा

निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम विभाग

अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (घ) के अधीन नामित

एस. वी. घाटलिया

सनदी लेखाकार, बम्बई

आर. वी. माधव राव

प्रबंध निदेशक, जनरल इन्शोरेंस
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, बम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6 (1) (ङ) के
अधीन नामित

एम. आर. बी. पुंजा

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई

ए. एस. पुरी

प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई

एस. पी. सेन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता

एच. के. समल

सह-कर्मी, उड़िसा

निगम के कार्यालय

प्रधान कार्यालय

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बाक्स सं. 1076,
बम्बई-400 039.

टेलीफोन तार
2027323
2022408 "क्रेडिटगार्ड"
2020299

महा प्रबंधक का सचिवालय
तथा बोर्ड अनुभाग
उप महा प्रबंधक
कम्प्यूटर प्रभाग
लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग
सहकारी ऋण गारंटी अनुभाग
नावेल्टी चेम्बर्स
4 थी, 5 वीं, 6 ठी और 8 वीं मंजिल,
ग्रान्ट रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 4095,
बम्बई-400 007.

उप महा प्रबंधक
निक्षेप बीमा विभाग
गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी
विभाग
लेखा विभाग

892364
892577 "डिपॉजिटर्स"
375027
893256

शाखाएं

(i) बम्बई

इरॉस बिल्डिंग,
5 वीं मंजिल
चर्चगेट,
बम्बई-400 020

222321 "क्रेडिटगार्ड"

(ii) कलकत्ता

8, कौन्सिल हाउस स्ट्रीट,
(पहली मंजिल) पोस्ट बॉक्स सं. 17,
कलकत्ता-700 001.

226029 "डिसिनार"

(iii) मद्रास

कुरालगम बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड,
पोस्ट बॉक्स सं. 5021
मद्रास-600 108.

26524
28139 "क्रेडिटगार्ड"

(iv) नयी दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग,
6, संसद मार्ग,
पोस्ट बॉक्स सं. 123,
नयी-दिल्ली-110 001.

386487
383901 "डिपॉजिटर्स"

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

श्री. के. के. सक्सेना

उप महा प्रबंधक
श्री. इन्द्र सेन शर्मा
श्री. एम. एल. सेठ
श्री. पी. कृष्णमूर्ति

मुख्य लेखाकार
श्री. जे. फोन्सेका
प्रबंधक, प्रशासन
श्री. एस. टी. खानझोडे

अन्य अधिकारी

प्रबंधक

श्री. ए. डी. नाडकर्णी
श्रीमती एम. ए. मालशे
श्री. एल. राजाराम

सचिव

श्री. एस. एन. तलाटी
श्री. पी. टी. कुरियन
(भार-ग्रहण करना)

शाखा प्रबंधक

बम्बई

श्री. जी. एस. कुलकर्णी

मद्रास

श्री. वाय. एस. पी. थोरात

कलकत्ता

श्री. एस. पी. चत्तर्जी

नयी-दिल्ली

श्री. एम. एम. एस. रेखराव

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखापरीक्षक

मेसर्स ए. जे. शाह एवं कंपनी
सनदी लेखाकार,
फोर्ट चेम्बर्स 'सी' ब्लॉक,
65, टेमरिड लेन, फोर्ट,
बम्बई-400 023.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

31 दिसंबर 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड 31 दिसंबर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 23 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

परिणाम : एक विहंगम दृष्टि

2.1 1984 के दौरान भी निगम ने बैंकों में छोटी राशि, जमा करनेवालों को बीमा रक्षा और कतिपय श्रेणियों के छोटे ऋणकर्ताओं (किसानों, ग्रामीण कारीगरों सहित) को, और खास तौर से समाज के कमजोर और अब तक अपेक्षित वर्गों को, दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान करने के अपने दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। बीमाकृत बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के 1736 से बढ़कर 1805 हो गयी। बीमाकृत जमा राशियों में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे बढ़कर 46,339.53 करोड़ रुपये * हो गयीं, और पूर्णतया जमा खाते 12.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,000 लाख हो गये। एक सहकारी बैंक का सम्मेलन कर दिया गया और 18.51 लाख * रुपये का उसका दावा निपटाया गया। जमा बीमा निधि 177.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 218.89 करोड़ रुपये हो गयी। यह कुल बीमाकृत जमा राशियों का 0.47 प्रतिशत रही।

2.2 जहां तक ऋण गारंटी योजनाओं का संबंध है, गैर-औद्योगिक क्षेत्र को, गारंटीकृत अग्रिम, 22.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,098.56 करोड़ रुपये तथा लघु औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,890.86 करोड़ रुपये हो गये। पहली जुलाई, 1984 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक नयी योजना शुरु की गयी जिसके अन्तर्गत छोटे परिवहन परिचालकों, खुदरा व्यापारियों, छोटे कारोबारों तथा व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को गारंटी रक्षा देने की व्यवस्था है। वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत गारंटीकृत अग्रिम 5.69 करोड़ रुपये के थे। निगम की चारों योजनाओं और सरकार की योजना (अब निरस्त), के अंतर्गत, सरकार के एजेंट के रूप में, दोनों के अंतर्गत नीचे दर्शाये गये अनुसार 79.35 करोड़ रुपये के 2,64,409 के रिकार्ड दावे निपटाये गये। इससे इस प्रकार निपटाये गये दावों की संख्या में 71.1 प्रतिशत और राशि में 33.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

	1984		1983	
	सं.	राशि	सं	राशि
1. गैर-औद्योगिक योजनाओं के अंतर्गत दावे	2,36,625	रु. 32.09 करोड़	1,27,714	रु. 19.64 करोड़
2. लघु उद्योग योजनाओं (निगम की तथा भारत सरकार की) के अंतर्गत दावे	27,784	रु. 47.26 करोड़	26,797	रु. 39.71 करोड़
	2,64,409	रु. 79.35 करोड़	1,54,511	रु. 59.35 करोड़

हासिल की गयी दावा निपटान दर 22,034 दावे प्रति माह रही जो अब तक का रिकार्ड है। पिछले वर्ष यह 12,876 थी। अलबत्ता, कुल दावा प्राप्तियां भी अब तक की सर्वाधिक रहीं। ये 132.19 करोड़ रुपये के लिए 2,80,913 दावे थी (1983 में प्राप्त 80.50 करोड़ रुपये के लिए 1,64,677 दावे) जिसमें से सिर्फ निगम की योजनाओं के लिए 115.69 करोड़ रुपये के लिए 2,72,992 दावे रहे। इसकी तुलना में 1984 के दौरान निगम को हुई गारंटी शुल्क प्राप्तियां सिर्फ 87.90 करोड़ रुपये रहीं जिससे इन योजनाओं की अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतएव अन्य बातों के साथ-साथ योजनाओं की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने और साथ ही यह भी देखने के लिए कि छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देने और निधियों का बेहतर तरीके से फिर से इस्तेमाल करने के स्तर में कोई गिरावट न आये, प्रथम उपाय के रूप में गारंटी रक्षा की सीमा की समीक्षा की गयी और ऐसे ऋणों के संबंध में पहली जनवरी 1985 से गारंटी रक्षा (जहां कहीं यह $66^2/3$, 75 अथवा 90 प्रतिशत तक उपलब्ध थी) घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गयी। 1984 के अंत तक निगम की योजनाओं के अन्तर्गत किये गये सभी दावों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् ऋण गारंटी निधि पिछले वर्ष के 117.05 करोड़ रुपये से आंशिक रूप से बढ़कर 118.04 करोड़ रुपये हो गयी। यह 11,995 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों की 0.98 प्रतिशत होती है।

* एक करोड़ 10 मिलियन और 10 लाख एक मिलियन के बराबर होते हैं।

2.3 निगम की गतिविधियों की मात्रा और आयामों में काफी वृद्धि के बावजूद निगम अपने स्टाफ में बिना किसी वृद्धि के अतिरिक्त कार्य निपटाने में समर्थ रहा। स्टाफ की स्थिति 1982 के स्तर पर अपरिवर्तित रही। अधिक खुले संवाद की ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रबंध तंत्र के प्रति टीम एप्रोच की शुरुआत की गयी जिसके परिणामस्वरूप कार्मिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। सितम्बर 1983 से किये गये कम्प्यूटीकरण से स्थिरता बनी रही जिससे निगम छोटी-छोटी राशियों के लिए अनिर्णीत दावों को बड़ी मात्रा में निपटा सका और रुकावटें दूर कर सका। इसे अब कार्य के अन्य क्षेत्रों में भी शुरु किया जा रहा है। इस तरह, निगम अपने गारंटी आधार को विस्तार देने और उत्पादकता में सुधार लाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और अपनी क्षमता और संसाधनों का भरपूर उपयोग करने में समर्थ रहा है।

पूंजी और प्रबंध

3. पहली मई 1984 से निगम की पूंजी 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गयी और यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूरी तरह अभिदत्त है। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के अपने पद से सेवा-निवृत्ति के परिणामस्वरूप डॉ. म. वि. हाटे ने, 11 मार्च 1985 से निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का पद त्याग दिया। डॉ. सी. रंगराजन, उप गवर्नर को 12 मार्च 1985 से मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री. के. के. मिश्र, निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, (बैंकिंग प्रभाग) को श्री अशोक चंद्र के स्थान पर 24 अप्रैल 1984 से निदेशक मनोनीत किया गया है। श्री हरेकृष्ण समल, प्रमुख सहकार-कर्मी तथा ए. एस. पुरी प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को श्री एल. पी. भार्गव तथा वी. एन. नाडकर्णी के स्थान पर क्रमशः 19 जुलाई 1984 तथा 30 जुलाई 1984 से दो वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मनोनीत किया गया। श्री. एस. पी. सेनगुप्त, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कर्माशियल बैंक, कलकत्ता को भी श्री. वी. वी. सोनालकर के स्थान पर 18 अगस्त 1984 से 18 जुलाई 1986 तक के लिए निदेशक मनोनीत किया गया है। श्री एम. आर. बी. पुंजा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पहली जनवरी 1984 से 14 दिसम्बर 1985 तक की और अवधि के लिए निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया। निगम के अध्यक्ष के रूप में डॉ. म. वि. हाटे तथा निवर्तमान निदेशकों द्वारा प्रदान किये गये मूल्यवान योगदान के लिए मंडल (बोर्ड) हार्दिक सरहना अभिलेखित करता है और नये अध्यक्ष तथा नये निदेशकों का स्वागत करता है।

4. रिपोर्ट के अधीन व वर्ष के दौरान निगम के मंडल की पांच बैठकें, कार्यकारी समिति की चार बैठकें तथा दांवा समिति की नौ बैठकें आयोजित की गयीं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली में चार शाखा कार्यालयों के साथ निगम का प्रधान कार्यालय बम्बई में बना रहा।

जमा बीमा संबंधी कार्य

बीमाकृत बैंक


5.1 जमा बीमा योजना समस्त वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर और ऐसे राज्यों में स्थित सहकारी बैंकों पर लागू होती है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन करते हुए आवश्यक शक्ति प्रदान करनेवाले विधान पारित कर लिये हैं। वर्ष के दौरान बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या में एक की वृद्धि 84 हो गयी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 23 और 171 और सहकारी बैंकों की संख्या 45 की वृद्धि के साथ 1,550 हो गयी। वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार, इस तरह बीमाकृत बैंकों की संख्या, पिछले वर्ष पंजीकृत की गयी संख्या 1,736 से बढ़कर 1,805 हो गयी।

5.2 वर्ष के दौरान 11 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में 47 सहकारी बैंक पंजीकृत किये गये। इनमें से 15 महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत किये गये। महाराष्ट्र में 2 बैंकों के पंजीकरण समाप्त किये गये, क्योंकि उनमें से एक अर्थात् दधीच सहकारी बैंक लि., मालाड का फरवरी 1984 में परिसमापन कर दिया गया और दूसरा अर्थात् अर्बन-को-ऑपरेटिव बैंक लि., तेलहरा, स्वैच्छिक रूप से 31 जुलाई 1984 से जनता कर्माशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के साथ मिला दिया गया। इस तरह जमा बीमा योजना के तहत आनेवाले बैंकों की संख्या बढ़कर वर्ष के दौरान 45 हो गयी। वर्ष के दौरान पंजीकृत किये गये/पंजीकरण-समाप्त किये गये बैंकों की सूची और साथ ही बीमाकृत बैंकों का सार अनुबंध 1 में दिया गया है। इस निगम की शुरुआत से अब तक योजना के तहत आनेवाले बैंकों की संख्या और 1984 के अंत तक पंजीकरण से हटाये गये बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण अनुबंध 11 में दिया गया है।


अन्य राज्यों के सहकारी बैंकों पर योजना को लागू किया जाना

5.3 जमा राशियों के बीमे की योजना को अब तक चौदह राज्यों अथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा तीन संघशासित क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली, गोवा


तालिका - I




तालिका - II



तालिका - III



तालिका - IV



दमन और दीव और पांडिचेरी के सहकारी बैंकों पर लागू किया जा चुका है। जहां तक बाकी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का संबंध है, बिहार राज्य सरकार द्वारा यथा पारित बिहार राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यथा पारित सहकारी समिति विधेयक, तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को सिक्किम राज्य में लागू किये जाने के मामले रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं। शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों की कुल संख्या 91 है।

बीमा प्रीमियम की दर और रक्षा की सीमा

6.1 4 पैसे प्रति सौ रुपये प्रति वर्ष की बीमा प्रीमियम की दर अपरिवर्तित बनी रही। (उसी अधिकार और हैसियत से) प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक बीमा रक्षा की दर भी 30,000 रुपये पर अपरिवर्तित बनी रही।

6.2 वर्ष के दौरान जमा किये गये बीमा प्रीमियम की कुल राशि 28.97 करोड़ रुपये रही, जिसमें से वाणिज्य बैंकों से 26.16 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 0.27 करोड़ रुपये तथा सहकारी बैंकों से 2.54 करोड़ रुपये जुटाये गये थे।

बीमाकृत जमाराशियां

7.1 जून 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार निगम के पात बैंकों की 61,880.23 करोड़ रुपये की कुल निर्धारणीय जमाराशियों में से 46,339.53 करोड़ रुपये की सीमा तक बीमाकृत जमाराशियां[@] थीं। ये बीमाकृत जमाराशियां कुल निर्धारणीय जमाराशियों का 74.9 प्रतिशत थीं। इसी तरह, उसी तारीख की स्थिति के अनुसार पूर्णतया रक्षित खाते 2,000.19 लाख थे, जो कुल 2,025.94 लाख खातों के 98.7 प्रतिशत के बराबर बैठते हैं। पूर्णतया रक्षित खातों की संख्या, बीमाकृत बैंकों की बीमाकृत जमाराशियां और निर्धारणीय जमाराशियां दर्शनेवाला विवरण, जिसमें कुछ चुने हुए वर्षों की स्थिति दिखायी गयी है, अनुबंध III और अनुबंध IV में दिया गया है। इसे देखने से पता चलता है कि कुल निर्धारणीय जमाराशियों में कुल बीमाकृत जमाराशियों के प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह 1961 के 23.1 प्रतिशत से बढ़कर 1984 में 74.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसी अवधि के दौरान पूर्णतया रक्षित खातों का प्रतिशत भी 78.5 से बढ़कर 98.7 तक जा पहुंचा है।

7.2 पूर्णतया रक्षित खातों और आंशिक रूप से रक्षित खातों की राशि कुल निर्धारणीय जमाराशियों की क्रमशः 62.4 प्रतिशत तथा 37.6 प्रतिशत रही जो 1961 के अंत में पूर्णतया रक्षित खातों में जमाराशियों के प्रतिशत (9.7) की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति की द्योतक है।

प्रदत्त बीमाकृत दावे

8.1 दधीच सहकारी बैंक लि., मालाड, बम्बई (परिसमापनाधीन) के संबंध में 18.51 लाख रुपये के एक दावे को छोड़कर, जो वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ और अदा किया गया, कोई और दावा न तो प्राप्त हुआ और न ही अदा किया गया। अलबत्ता, परिसमापक, कोल्लूर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि. से पहले प्राप्त 13.70 लाख रुपये का दावा, प्रभावित पक्षों द्वारा दिये गये संशोधित आवेदनपत्र पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निपटान होने तक के लिए, निलंबित चल रहा है।

8.2 14 वाणिज्य बैंकों के संबंध में अदा किये गये या प्रावधान किये गये दावों की कुल राशि, 31 दिसंबर 1984 की स्थिति के अनुसार, 113.02 लाख रुपये पर परिवर्तित बनी रही। वर्ष के दौरान कोई चुकौती प्राप्त नहीं हुई। 1984 के अंत तक प्राप्त 88.13 लाख रुपये की चुकौतियों और 3 वाणिज्य बैंकों के संबंध में 1981 में बट्टे खाते डाले गये 1.97 लाख रुपये की राशि के समायोजन के पश्चात् निगम की बाकी देयताएं 22.92 लाख रुपये होती हैं।

8.3 जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है, अदा किये गये या प्रावधान किये गये दावों की कुल राशि 1983 के अंत में 11 सहकारी बैंकों के संबंध में, 190.66 लाख रुपये से बढ़कर 12 सहकारी बैंकों के संबंध में 209.17 लाख रुपये हो गयी। दो चुकौतियां, अर्थात् मालवण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. से 1.84 लाख रुपये और रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के संबंध में 0.78 लाख रुपये, संबंधित अंतरिती बैंकों से प्राप्त हुई थीं। इनके साथ 1984 तक प्राप्त कुल चुकौतियों की राशि 20.15 लाख रुपये हो गयी। मालवण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (जनवरी 1984 में सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक के साथ विलयित) के पता न चल रहे जमाकर्ताओं के संबंध में पहले प्रावधान की गयी 0.02 लाख रुपये की राशि भी पुनर्लिखित कर ली गयी, क्योंकि अब यह अंतरिती बैंक द्वारा अदा की जायेगी। उपर्युक्त राशि के समायोजन के बाद 31 दिसम्बर 1984 की स्थिति के अनुसार निगम को 12 सहकारी बैंकों से प्राप्य शेष राशि 189 लाख रुपये बनती है।

@ बीमाकृत जमाराशियों से अभिप्राय ऐसी जमा राशि या उसके किसी अंश से है जिसकी अदायगी निगम द्वारा 30,000/- रुपये तक बीमाकृत है।

* निर्धारणीय जमाराशियों की परिभाषा इस प्रकार है : किसी जमाकर्ता (किसी विदेशी सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बैंक को छोड़कर) को उसके सभी खातों में देय समग्र और अदत्त शेष राशियां।

8.4 अदा किये गये और प्रावधान किये गये दावों, प्राप्त चुकौतियों आदि के व्योरे अनुबन्ध V में दिये गये हैं।

प्रत्यय गारंटी संबंधी कार्य

(क) गैर-औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित प्रत्यय गारंटी योजनायें (लघु उद्योगों से संबंधित योजनाओं को छोड़कर)

गारंटीकृत अग्रिम

9.1 गैर-औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन योजनाओं अर्थात् लघु ऋण गारंटी योजना, 1971, लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 और सेवा सहकारी समितियां गारंटी योजना, 1971 के तहत गारंटीकृत अग्रिमों की वर्षवार स्थिति और साथ ही अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण दशनिवाला विवरण अनुबंध V में दिया गया है। कुल गारंटीकृत अग्रिम जो जून 1982 के अंत में 208.39 करोड़ रुपये थे, तेजी से बढ़कर जून 1983 के अंत में 5,777.83 करोड़ रुपये, तथा बढ़ते हुए, जून 1984 के अंत में पिछले वर्ष की राशि की तुलना में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,098.56 करोड़ रुपये हो गये। ये 1972 से 34 गुना से भी अधिक वृद्धि का द्योतक है। कुल गारंटीकृत अग्रिमों में लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 का अंश, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंक हिस्सा लेते हैं, सर्वाधिक, अर्थात् 99.3 प्रतिशत बना हुआ है।

क्षेत्रवार विश्लेषण

9.2 तीनों योजनाओं के तहत 7,098.56 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों में से कृषकों और खेती से जुड़े व्यक्तियों का हिस्सा सबसे अधिक (58.9) प्रतिशत बना रहा। उनके बाद परिवहन परिचालकों (18.2 प्रतिशत), खुदरा व्यापारियों (10 प्रतिशत), कारोबारी उद्यमों (4.6 प्रतिशत), व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्तियों (4.6 प्रतिशत) को दिये गये ऋणों और विभेदक व्याज दर योजना के तहत उधारकर्ताओं की बाकी श्रेणी को दिये गये ऋणों (3.7 प्रतिशत) का नम्बर आता है।

सहभागी ऋण संस्थायें

10. 31 दिसंबर 1984 की स्थिति के अनुसार इन योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध VII में दी गयी है। इस वर्ष के दौरान 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में शामिल हुए, जब कि सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 में, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक सहकारी बैंक शामिल हुए। इनके साथ 225 बैंक - 75 वाणिज्य बैंक और (171 में से) 150 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. सहित समस्त 18 राज्य वित्त निगम लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971 में हिस्सा ले रहे हैं। सेवा सहकारी समितियां गारंटी योजना, 1971 में, जिसमें जमा बीमा रक्षा के लिए पात्र (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक और (प्राथमिक सहकारी बैंकों के अलावा) सहकारी बैंक हिस्सा ले सकते हैं, भाग लेनेवाले बैंकों की संख्या बढ़कर 168 हो गयी। इनमें 61 वाणिज्य बैंक, 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 सहकारी बैंक हैं।

गारंटी दावों का निपटान


11.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को बहुत बड़ी संख्या में दावे प्राप्त हुए। 1982 में प्राप्त 24.71 करोड़ रुपये के लिए 1,50,926 दावों की तुलना में 1983 में 27.84 करोड़ रुपये के लिए 1,47,474 दावे प्राप्त हुए थे। 1984 में प्राप्त दावों की संख्या 2,54,692 रही जो कुल 61.71 करोड़ रुपये के लिए थे। इन 2,54,692 दावों से 0.17 करोड़ रुपये के लिए केवल 61 दावे लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना 1971 के लिए प्राप्त हुए थे। 1983 में, इनकी तुलना में 0.04 करोड़ रुपये के लिए 25 दावे प्राप्त हुए थे। 1984 तक तीनों योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त कुल दावे 172.11 करोड़ के रहे जो 7,098.56 करोड़ रुपये के कुल दावों का 2.4 प्रतिशत बैठते हैं। 1983 तक और 1982 तक ऐसी दावा प्राप्तियों का प्रतिशत उन वर्षों के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि का क्रमशः 1.9 और 1.7 रहा था।

11.2 प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण अनुबंध VII में दिया गया है। कृषकों और खेती से जुड़े व्यक्तियों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित दावे कुल दावों के 55.0 प्रतिशत के बराबर थे, जबकि कुल गारंटीकृत अग्रिमों में इस क्षेत्र का हिस्सा 58.9 प्रतिशत था। (1983 तक संबंधित प्रतिशत क्रमशः 55.1 और 62.3 थे।) इसके बाद आनेवाले परिवहन परिचालकों से संबंधित दावे, दावों की कुल राशि के 18.1 प्रतिशत रहे, हालांकि इस वर्ग को दिये गये अग्रिम कुल गारंटीकृत अग्रिमों के 18.2 प्रतिशत के बराबर थे। (1983 तक संबंधित प्रतिशत क्रमशः 19.6 और 16.8 थे।)

11.3 दावों के निपटान के संबंध में स्थिति अनुबंध IX में दर्शायी गयी है। इस वर्ष के दौरान 32.09 करोड़ रुपये के लिए 2,36,625 दावों पर

तालिका - V


गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों की वृद्धि जून के अंत में - करोड़ रुपये



तालिका - VI


गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण जून 1984 के अंत की स्थिति

व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति




गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

तालिका - VII



तालिका - VIII



कार्रवाई की गयी और उन्हें निपटाया गया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 19.64 करोड़ रुपये के लिए 1,27,714 दावे निपटाये गये थे। बाकी दावों में से, काफी अधिक दावों की जांच की जा चुकी है, और अपेक्षित स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। इस तरह, 1981 में औसतन 6,169 दावे प्रति माह, 1982 में 8,793 दावे प्रति माह और 1983 में 10,643 दावे प्रति माह निपटाने की तुलना में निगम 1984 के दौरान प्रति माह औसतन 19,719 दावे जांचने और निपटाने में समर्थ रहा। इस तरह छोटी राशियों से संबंधित अनिर्णीत दावों का सारा पिछला बकाया काम निपटा दिया गया है। शेष दावों में से बहुत से दावों की जांच कर ली गयी है और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। प्रस्तुत किये गये और निपटाये गये दावों के संक्षिप्त व्योरे नीचे दिये जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान	प्राप्त दावे		(राशियां करोड़ रुपये) निपटाये गये दावे	
	सं.	राशि	सं.	राशि
1973-78	51,563	15.46	27,033	6.64
1979	36,535	11.30	25,739	6.95
1980	83,557	14.90	47,481	7.20
1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14
1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50
1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64
1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09
कुल	8,25,416	172.17	6,44,135	98.16

वसूली और अनुवर्ती कार्रवाई

12.1 वर्ष 1984 के दौरान निगम ने वसूलियों में अपने हिस्से के रूप में 3.71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जबकि 1983 में 2.55 करोड़ रुपये राशि प्राप्त हुई थी। इन योजनाओं के शुरू होने से लेकर 1984 तक कुल 11.35 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि निगम द्वारा निपटाये और अदा किये गये दावों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली आदि से संबंधित क्रियाविधियों को संशोधित किया गया है तथा उनका कम्प्यूटरीकरण किया गया है। ऋण संस्थाएं निगम को वसूली का अंश शीघ्रतापूर्वक भेज सकें इस उद्देश्य से निगम ने पहली मार्च 1984 से वसूली का एक नया फार्मेट (एन आई- 21) शुरू किया है। इसी प्रकार कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बट्टे खाते डालने के मामलों अथवा उधारकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने से छूट देने के मामलों आदि के संबंध में निगम का साधारण अथवा विशेष अनुमोदन प्राप्त करने की क्रियाविधि को भी आशोधित किया गया है तथा ऐसे मामलों के संबंध में उसी तारीख से एक नया फार्मेट (एन आई- 22) शुरू किया गया है।

12.2 अभी तक जमा बीमा करेबार् से संबंधित विवरणियों का सत्यापन तथा ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों से संबंधित लेखों और प्रलेखों का निरीक्षण हमारी ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता था, हालांकि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) के अनुसार निगम को इन कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त है। अब निगम ने ही एक निरीक्षण और सत्यापन प्रभाग का गठन किया है ताकि उपर्युक्त कार्य उसके अपने अधिकारियों द्वारा किये जा सकें। इस संबंध में सभी बीमाकृत बैंकों/भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं को एक परिपत्र जारी किया गया है। बंबई स्थित दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का निरीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा, परिवहन चालकों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित अधिक मूल्य के कई दावों का भी निपटान-पूर्व निरीक्षण किया गया। लघु कम्प्यूटर में संग्रहीत आंकड़ों की सहायता से निरीक्षण और सत्यापन के तंत्र का विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमें चयनात्मक आधार पर अधिक बैंकों को शामिल किया जा सके।

(ख) लघु उद्योगों से संबंधित
ऋण गारंटी योजनाएं

ऋण गारंटी योजनाओं का समेकन -

सरकार की योजना के अन्तर्गत अवशिष्ट कार्यों का निर्वाह

13.1 31 मार्च 1981 को कारोबार की समाप्ति के समय से रद्द की गयी, "लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना" के अधीन अवशिष्ट कार्यों का निर्वाह करने के लिए निगम भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता आ रहा है। योजना रद्द होने की तारीख को अनिर्णीत दावों तथा बाद में प्रस्तुत किये गये ऐसे दावों का, जो सरकार की योजना रद्द होने की तारीख तक व्यतिक्रमवाले खातों के रूप में थे, निपटान पूर्ववत् निगम द्वारा किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आवधिक रूप से भारत सरकार से प्राप्त की जाती है।

सरकार की योजना -

- व्यतिक्रम वाले खाते

13.2 ऋण संस्थाओं से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 1981 को व्यतिक्रम वाले खातों की राशि 218.64 करोड़ रुपये थी। इन खातों का क्षेत्रवार और संस्थावार वर्गीकरण अनुबंध X में दिया गया है। ऋण संस्थाओं की लगभग 4,700 शाखाओं द्वारा अभी इस संबंध में आवश्यक सूचना दी जानी बाकी है।

भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएं -

निगम की योजना

14.1 योजना में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या 31 दिसम्बर के 362 से बढ़कर 31 दिसम्बर 1984 को 416 हो गयी जबकि सरकार की योजना (जो अब रद्द हो चुकी है) में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की संख्या 328 थी। इस वर्ष के दौरान 55 ऋण संस्थाएँ निगम की योजना में शामिल हुईं जबकि एक सहकारी बैंक अर्थात् बेलगाव इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. को योजना से निकल जाने की अनुमति दी गयी। निगम की योजना में शामिल होनेवालों में, 31 सहकारी बैंक, 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक राज्य विकास एजेंसी है। इन ऋण संस्थाओं की सूची और उनका वर्गीकरण अनुबंध XI में दिया गया है।

14.2 वर्ष के दौरान मणिपुर सरकार के एक पूर्णतया स्वाधिकृत उपक्रम, मणिपुर लघु उद्योग निगम लि. को निगम की योजना के खंड 2 (Vi) के अधीन योजना में शामिल होने के लिए एक ऋण संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया और उसे करार विलेख निष्पादित करने के वास्ते कहा गया है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

गारंटीकृत अग्रिम

15. 30 जून 1984 की स्थिति के मुताबिक लघु उद्योगों के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 4,890.86 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1983 के 4,153.73 करोड़ रुपये के गारंटीकृत अग्रिमों की तुलना में इसमें 737.13 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष भर में हुई प्रतिशत वृद्धि 17.7 है। वर्ष 1981 से निगम की योजना के अंतर्गत आनेवाले लघु औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों का विवरण अनुबंध VI दिया गया है।

दावों का निपटान -


निगम की योजना

16. आलोच्य वर्ष के दौरान निगम को सर्वाधिक संख्या में दावे प्राप्त हुए अर्थात् 53.98 करोड़ रुपये के 18,300 दावे प्राप्त हुए (जबकि पिछले वर्ष 32.58 करोड़ रुपये के 9,325 दावे प्राप्त हुए थे)। साथ ही, दावों के निपटान में भी तेजी लाकर 13.73 करोड़ रुपये के 9,522 दावे जाँचे और निपटारे गये। 31 दिसम्बर 1984 को 68.91 करोड़ रुपये के 12,991 दावे अनिर्णीत बचे थे। अनिर्णीत दावों में से 15.83 करोड़ रुपये के 4,767 दावों के संबंध में जाँच की जा चुकी है और ये दावे संबंधित ऋण संस्थाओं से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत पड़े हैं। निगम ने अदा किये गये दावों के संबंध में अपने प्रत्यासीन अधिकारों का प्रयोग करके इस वर्ष के दौरान कुल 43.19 लाख रुपये की राशि वसूल की। 1981 से अबतक इन वसूलियों की कुल राशि 51.52 लाख रुपये हो गयी।

औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजना के
संबंध में अग्रिमों में वृद्धि


तालिका - IX

(करोड़ रुपये)




औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

तालिका XX
संख्यावार



तालिका XX
राशिवार



**दावों का निपटान - सरकार की योजना
(जो अब रद्द हो चुकी है)**

17.1 वर्ष 1983 के अंत में सरकार की योजना के अंतर्गत कुल 97.45 करोड़ रुपये के 17,701 दावे विचाराधीन थे। 1984 के दौरान 31 मार्च 1981 तक व्यतिक्रमित होनेवाले खातों के संबंध में कुल 16.50 करोड़ रुपये के 7,921 दावे प्राप्त हुए, जबकि 33.53 करोड़ रुपये के 18,262 दावों का निपटान किया गया। 31 दिसम्बर 1984 को 80.42 करोड़ रुपये के 7,360 दावे अनिर्णीत थे जिनमें से 55.17 करोड़ रुपये के 5,867 दावों के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और ये दावे ऋण संस्थाओं से कतिपय अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत पड़े हुए हैं। इस मामले में संबंधित ऋण संस्थाओं को लिखा गया है और उन्हें उचित समय दिया गया है ताकि निगम दावों के इन मामलों के बारे में कोई निर्णय कर सके। उन्हें दिये गये समय के बाद इन अनिर्णीत दावों को "वापस ले लिये गये" मान लिया जायेगा। अलबत्ता, ऋण संस्थाएँ जब संपूर्ण सूचना/प्रलेख देने के लिए तैयार हों तो वे इन दावों को पुनः प्रस्तुत कर सकती हैं।

31 दिसम्बर 1984 को अनिर्णीत दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण अनुबंध XI में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा निधियों की प्रतिपूर्ति

17.2 वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से 18.09 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। सरकार की योजना के अधीन अवशिष्ट कार्यों के निगम द्वारा संभाल लिये जाने के बाद निगम ने निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया और उनके सामने दिखायी गयी प्रतिपूर्ति की :

	सरकार की ओर से वस्तुतः अदा की गयी राशि	वर्ष के अंत तक भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि	शेष प्राप्य राशि (1-2)
	(1)	(2)	(3)
अप्रैल 1981 से दिसम्बर 1983 तक	33.37 *	29.48	(-) 3.89
जनवरी 1984 से दिसम्बर 1984 तक	18.09	17.55	(-) 0.54
जोड़	51.46	47.03	(-) 4.43

इस बीच सरकार ने निगम को शेष राशि की प्रतिपूर्ति कर दी है।

17.3 निगम की योजना और सरकार की योजना दोनों के अधीन प्राप्त और निपटाये गये दावों के ब्योरे अनुबंध XIII में दिये गये हैं। उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है :

अ). लघु उद्योग की इकाइयों के लिए निगम की योजना

अवधि	प्राप्त दावे		(राशि करोड़ रुपयों में) निपटाये गये दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1). अप्रैल-दिसम्बर 1981	1,308	1.74	-	-
2). जनवरी-दिसम्बर 1982	4,013	9.40	3,105	2.13
3). जनवरी-दिसम्बर 1983	9,325	32.58	7,328	12.93
4). जनवरी-दिसम्बर 1984	18,300	53.98	9,522	13.73
जोड़	32,946	97.70	19,955	28.79

* ये आंकड़े पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में बताये अनुसार ऋण संस्थाओं द्वारा दावा की गयी राशियाँ न होकर सरकार की ओर से वास्तव में अदा की गयी राशियों के हैं।

आ). सरकार की योजना

1)	1 अप्रैल 1981 को रिज़र्व बैंक से लिये गये अनिर्णीत दावे	30,826	98.18		
अवधि					
2).	अप्रैल-दिसम्बर 1981	13,911	20.56	5,447	10.69
3).	जनवरी-दिसम्बर 1982	10,447	20.53	20,445	24.43
4).	जनवरी-दिसम्बर 1983	7,878	20.08	19,469	26.78
5).	जनवरी-दिसम्बर 1984	7,921	16.50	18,262	33.53
जोड़		70,983	175.85	63,623	95.43

लघु उद्योग की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1984 तक प्राप्त दावों की कुल राशि 293.70 करोड़ रुपये थी। यह इस क्षेत्र के 4,890.86 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों की 6 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 1983 तक संबंधित प्रतिशत 5.4 था।

(ग) सहकारी क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाएं

18.1 बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी हाटे कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार "लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984" नामक एक नयी योजना 1 जुलाई 1984 से शुरू की गयी है। इसका उद्देश्य प्राथमिक (शहरी) सरकारी बैंकों को, उनके द्वारा एकल परिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, छोटे कारोबार तथा व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को दिये जानेवाले उधारों तथा उत्पादक कार्यों के लिए दिये जानेवाले ऋणों के अलावा उनकी उपयोग संबंधी आवश्यकताओं और आवास आदि के वास्ते दिये जानेवाले ऋणों को गारंटी रक्षा प्रदान करना है। इस योजना में ऐसे सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक शामिल हो सकते हैं जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया हो (और जो निम्न स्तर के बैंक न हों)। साथ ही, ऐसे लाइसेंसरहित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से सिफारिश की गयी हो। जैसा कि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, एक बार कोई पात्र शहरी सहकारी बैंक निर्धारित रीति और रूप से आवश्यक करार का निष्पादन करके योजना में शामिल हो जाता है और निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क अदा करता है तो उसे गारंटी रक्षा स्वतः प्राप्त होगी और उसमें निर्दिष्ट श्रेणियों के ऋणकर्ताओं को तथा योजना में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए दी गयी सभी पात्र ऋण सुविधाओं के मामले में पहले वितरण की तारीख से सम्पूर्ण रक्षा प्राप्त होगी। इसके लिए ऐसे बैंकों को प्रत्येक ऋण सुविधा के संबंध में पहले आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि ऐसी पात्र ऋण सुविधाएं "महत्वपूर्ण तारीख" (1 जुलाई 1984 अथवा योजना में शामिल होने की तारीख, जो भी तारीख बाद की हो) से पहले वापस न मांगी गयी हों अथवा वे किसी ऐसे उधारकर्ता से प्राप्य न हों जिसने उस तारीख को अपना कारोबार या गतिविधियां बंद कर दी हों अथवा उन्हें अशोध्य या संदिग्ध वसूली वाली न मान लिया गया हो अथवा उनका उपयोग किसी अशोध्य या संदिग्ध ऋण को समायोजित करने के लिए नहीं किया जाना हो। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा देय गारंटी शुल्क की दर वही होगी जो लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन वाणिज्य बैंकों के लिए लागू है। "छोटे उधारकर्ताओं" (अर्थात् जिन्हें प्रधान की गयी पात्र ऋण सुविधाओं की राशि समग्रतः 25,000 रुपये से अधिक न हो) को दिये जानेवाले अग्रिमों के मामले में यह दर 0.50 प्रतिशत वार्षिक और अन्य उधारकर्ताओं के मामले में 0.75 प्रतिशत वार्षिक होगी। 1 जनवरी 1985 को या उसके बाद प्रदत्त/नवीकृत/परिवर्तित ऐसी ऋण सुविधाओं के मामले में गारंटी रक्षा अब व्यतिक्रम की राशि के केवल 60 प्रतिशत तक होगी।

18.2 आमंत्रित किये गये 546 शहरी सहकारी बैंकों में से, वर्ष 1984 के अन्त तक 127 बैंकों (87 लाइसेंस प्राप्त और 40 लाइसेंस रहित) ने योजना में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। इनमें से केवल 32 बैंकों ने निगम के साथ करार के विलेखों का निष्पादन किया है जिनमें 21 बैंकों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और 1984 के अन्त तक उन्हें योजना में सहभागी के रूप में शामिल कर लिया गया है। 31 दिसम्बर 1984 को योजना में शामिल होनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध V11 में दी गयी है। 31 दिसम्बर 1984

को गारंटीकृत अग्रिमों की कुल राशि 5.69 करोड़ रुपये थी। उनका क्षेत्रवार विश्लेषण अनुबंध VI में दिया गया है। 31 दिसम्बर 1984 तक इन बैंकों से प्राप्त गारंटी शुल्क की कुल राशि 1.76 लाख रुपये थी। शेष 11 बैंकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

18.3 सहकारी क्षेत्र के लिए एक अन्य योजना अर्थात् लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियों) गारंटी योजना, 1982 प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए दिये जानेवाले अग्रिमों को गारंटी रक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गयी थी। यह योजना प्रायोगिक आधार पर कुछ चुनी गयी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं के लिए 1 जनवरी 1983 से शुरू की गयी थी परन्तु अभी तक इस योजना के प्रति अधिक उत्साह प्रदर्शित नहीं हुआ है। हालाँकि 2,476 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, 159 प्राथमिक भूमि विकास बैंक और राज्य भूमि विकास बैंकों की 200 शाखाएं योजना में शामिल होने के लिए प्रत्यक्षतः पात्र पायी गयी थीं और उन्हें योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, परन्तु अब तक केवल 14 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और 4 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों ने ही थोड़ी-बहुत रुचि दिखायी है।

दावों के निपटान के लिए समिति

19.1 लघु उद्योग की इकाइयों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित अधिक राशि के दावों की जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से निदेशक बोर्ड ने मार्च 1983 में एक दावा समिति गठित की थी जो 2 लाख रुपये से अधिक राशि वाले ऐसे अलग-अलग दावों पर विचार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. पी. डी. ओझा इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा कुछ निदेशक इसके सदस्य हैं। प्रारंभ से लेकर वर्ष 1984 के अन्त तक दावा समिति की 12 बार बैठकें हुईं तथा इसमें सरकार की योजना और निगम की योजनाओं के अधीन 16.34 करोड़ रुपये के 395 दावों पर विचार किया गया। 1984 तक इस समिति द्वारा मंजूर/रद्द आदि किये गये दावों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

योजना	मंजूर किये गये दावे		अस्वीकृत दावे		अधिक स्पष्टीकरणों के वास्ते आस्थागित रखे गये दावे		कुल	
	दावों की संख्या	राशि (लाख रुपये)	दावों की संख्या	राशि (लाख रुपये)	दावों की संख्या	राशि (लाख रुपये)	दावों की संख्या	राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरकार की योजना (जो अब रद्द हो चुकी है)	246	939.01	43	228.89	24	91.15	313	1259.05
नयी योजना								
निगम की योजना	59	253.89	7	27.96	16	93.07	82	374.92
जोड़ :	305	1192.90	50	256.85	40	184.22	395	1633.97

इसके अलावा, समिति ने रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के निर्देशन में लघु उद्योग के दावों की जांच और निपटान के लिए अपनायी जानेवाली नीति और क्रियाविधि का पुनरीक्षण किया तथा निगम के स्टाफ और सहभागी ऋण संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं।

- 1) दो लाख रुपये से अधिक राशि के सभी दावों के संबंध में निपटान-पूर्व निरीक्षण लागू किया गया है। इन निरीक्षणों से ऋण संस्थाओं के साथ होनेवाले परिहार्य पत्र-व्यवहार तथा दावों के निपटान में लगनेवाले समय में कमी हुई है;

- 2) ऐसे अग्रिमों के संबंध में उपलब्ध प्रतिभूति की वसूली योग्यता के आधार पर दावों को "क", "ख", और "ग" श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है ताकि अदा किये गये दावों, विवेश रूप से "क" और "ख" श्रेणियों के अन्तर्गत आनेवाले दावों के संबंध में जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके जिससे ऐसे खातों में वसूली में तेजी आये और ऐसी वसूलियों में से निगम को आनुपातिक अंश अन्तरित किया जा सके;
- 3) जिन मामलों में गारंटी का उपयोग किया गया हो उनमें खातों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और प्रबंध आदि के संबंध में पायी गयी कमियां संबंधित संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों के ध्यान में लायी जाती हैं कि ऋण-पूर्व मूल्यांकन और ऋणोत्तर अनुवर्ती कार्रवाई तथा ऋणों की वसूली में सुधार लाया जा सके। इस संबंध में पायी गयी कुछ अनियमितताएं निम्नप्रकार हैं :
 - (क) अग्रिमों की मंजूरी और उनका प्रबंध (1) ऋण संस्थाओं की ऋण नीति और क्रियाविधि (2) मंजूरी पत्रों की शर्तों और (3) इस संबंध में निगम/भूतपूर्व ऋण गारंटी संगठन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार नहीं किया गया था;
 - (ख) अग्रिम निगम/भूतपूर्व ऋण गारंटी संगठन को बिल्कुल सूचित नहीं किये गये (और गारंटी शुल्क भी अदा नहीं किया गया) अथवा निगम को उनकी सूचना (सरकार की योजना के अधीन) अग्रिम वापस मांगे जाने के बाद दी गयी अथवा उन्हें सरकार की योजना के अधीन, अशोध्य/वसूली के लिए संदिग्ध मान लिये जाने के बाद दी गयी अथवा संबंधित लघु उद्योग इकाई द्वारा कार्य बंद कर बाद जाने के बाद दी गयी;
 - (ग) अग्रिम विशेष (सरकार की योजना के अधीन) वापस मांग लिये जाने के बाद अथवा अग्रिम (निगम की योजना के अधीन) अशोध्य/वसूली के लिए संदिग्ध मान लिये जाने के बाद नयी ऋण सुविधाएं मंजूरी की गयीं अथवा आहरणों की अनुमति दी गयी;
 - (घ) निधियों का अपात्र प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया और जान बूझकर व्यतिक्रम करनेवाले व्यतिक्रमियों के विरुद्ध कठोर और शीघ्र कार्रवाई नहीं की गयी;
 - (ङ) उधारकर्ताओं ने संयंत्र और मशीनें बट्टे पर दे दीं और ऋण संस्था ने स्वयं अपने हित तथा निगम के हित की रक्षा करने के लिए कारगर उपाय नहीं किये;
 - (च) खातों में उपलब्ध प्रतिभूति से राशि वसूल करने के लिए ऐसी प्रतिभूति में हास होने से पूर्व गंभीरता पूर्वक और तत्काल परिणाम देनेवाले प्रयास नहीं किये गये जिससे वित्तीय संस्था तथा निगम दोनों को ही परिहार्य हानियों की स्थिति का सामना करना पड़ा।

उल्लेखनीय गतिविधियाँ

20.1 ऋण संस्थाओं द्वारा शारीरिक रूप से अपंग छोटे ऋणकर्ताओं को, जिनमें ग्रामीण कारीगर, विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन हिताधिकारी आदि शामिल हैं, कृत्रिम अंग, श्रवण-साधन आदि खरीदने के लिए प्रति ऋणकर्ता 2,500 रुपये तक दिये जाने वाले अग्रिमों को जुलाई 1984 से योजना के अंतर्गत शामिल किया गया बशर्ते कि अन्य बातों के अलावा ऐसे अग्रिम उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों के साथ दिये गये हों।

20.2 सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपनी "सामाजिक लक्ष्य योजना" के अधीन नियुक्त एच एस डी तेल/एल पी गैस/मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं को सहभागी बैंकों द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिमों के अधीन शामिल किया है। ऐसी ऋण सुविधाओं को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन "फुटकर व्यापारियों" के वर्ग के अंतर्गत रक्षा प्रदान कर गयी है बशर्ते कि योजना की सभी शर्तें पूरी की जाएँ।

20.3 नवंबर 1984 में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में हुए दंगों के दौरान जिन व्यक्तियों ने रोजगार के जरिये और माल असबाब तथा अन्य कारोबारी संपत्तियों के संदर्भ में हानि उठायी है, उन्हें ऋण संस्थाओं द्वारा उत्पादक प्रयोजनों के लिए दी गयी पुनर्वास सहायता को ऋण गारंटी रक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं।

20.4 जो प्रदान (मास्टर) बुनकर बुनाई के मुख्य कार्यकलाप में तो लगे हुए नहीं परंतु जो उससे संबद्ध सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि धागे को रंगना, डिज़ाइन बनाकर देना, काढ़ी गयी बेल-बूटियों की कटाई करना, ठप्पे लगाना, बुनकरों द्वारा बुने गये कालीनों को अंतिम निखार देना आदि, उन्हें ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले अग्रिम अब तक लघु ऋण गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत गारंटी के लिए पात्र नहीं थे। वास्तविक बुनकरों को संबद्ध बुनकरों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि केवल ऐसे अग्रिमों के संदर्भ में गारंटी रक्षा प्रदान की जाए, जो ऐसे ऋणकर्ताओं को कतिपय शर्तों पर "अभिसंस्करण कार्यकलापों" के लिए (न कि व्यापारिक कार्यकलापों के लिए) दिये गये हों।

गारंटी शुल्क

21. अमल में रहनेवाली पाँच योजनाओं के अंतर्गत लागू गारंटी शुल्क की वर्तमान दर वार्षिक 0.75 प्रतिशत है (प्रति ऋणकर्ता 25,000/- रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं वाले छोटे ऋणकर्ताओं के मामले में रियायती दर वार्षिक 0.50 प्रतिशत है।) जैसा कि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, ऋण गारंटी के संबंध में प्राप्त किये जाने वाले दावों में निरंतर वृद्धि होने तथा उनके शीघ्र निपटान के लिए छोटे कम्प्यूटर का उपयोग किये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इन योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता का पुनरीक्षण किया जाए। वर्ष 1982 में प्राप्त शुल्क की कुल राशि 57.67 करोड़ रुपये थी जब कि प्राप्त दावों की राशि 34.11 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1983 में प्राप्त शुल्क की राशि 71.17 करोड़ रुपये थी जब कि प्राप्त दावों की राशि 60.42 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1984 में प्राप्त शुल्क की 87.91 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त दावों की 115.69 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले काफी कम थी जिसके फलस्वरूप ऋण गारंटी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पूर्णतः निष्फल सिद्ध हुई। अतः निगम ने गारंटी रक्षा की सीमा का पुनरीक्षण किया और अन्य बातों के साथ-साथ योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को तथा छोटे ऋणकर्ता को तथा छोटे ऋणकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋणों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आये यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1985 के बाद से ऐसे उधारों के संदर्भ में गारंटी रक्षा कम करके व्यतिक्रम की राशी का 60 प्रतिशत कर दिया है (पहले यह जहाँ उपलब्ध थी वहाँ 66²/3 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत थी)। इनमें वर्तमान ऋण सीमाओं का नवीकरण/परिवर्तन भी शामिल है। योजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार लाने में इससे कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि फिलहान वर्तमान शुल्क दरों को परिवर्तित नहीं किया गया है, निगम को शीघ्र ही शुल्क दरों को संशोधित करना पड़ सकता है ताकि योजनाओं को सक्षम आधार पर चलाया जा सके और गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि संभाव्य दावों सहित वर्तमान दावों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो जाए।

लेखे

तुलन पत्र और आय-व्यय लेखे

22. 31 दिसंबर 1984 को जमा-बीमा निधि, ऋण गारंटी योजना निधि और सामान्य निधि तीनों की अलग-अलग स्थिति को दर्शाते हुए निगम के तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखे तथा लेखा-परीक्षणों की रिपोर्ट संलग्न है।

जमा बीमा निधि

23.1 जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ 8.1 और 8.3 में कहा गया है, निगम ने एक सहकारी बैंक के संदर्भ में 18.51 लाख रुपये के दावे का निपटान किया और कुल 2.64 लाख रुपये की चुकौतियाँ (पुरांकों सहित) प्राप्त कीं। तदनुसार अनुमानित बीमा देयताओं के लिए किये गये प्रावधान की राशि में 15.87 लाख रुपये की शुद्ध राशि की वृद्धि की गयी और उससे 12 सहकारी बैंकों के संदर्भ में दिसंबर के 186.83 लाख रुपये से बढ़ाकर 31 दिसंबर 1984 को 13 सहाकारी बैंकों के संदर्भ में 202.70 लाख रुपये कर दिया गया।

23.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को बीमा प्रीमियम और निवेशों पर ब्याज के रूप में निम्नप्रकार 48.13 करोड़ रुपये की कुल राशि प्राप्त हुई जब कि पिछले वर्ष यह राशि 39.69 करोड़ रुपये थी।

	(करोड़ सपये)
1. जमा बीमा प्रीमियम	28.97
2. निवेशों से आय	19.16
	48.13

निवेश प्रारक्षित निधि में 6.08 करोड़ सपये की राशि का विनियोजन करने तथा अनुमानित बीमा देयता (परिसमापन में किये गये दधीच सहकारी बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के संदर्भ में 0.18 करोड़ रुपये के बीमा दावों की अदायगी की तथा 0.02 करोड़ रुपये की चुकौतियों को हिसाब में लेने के बाद) के लिए 0.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने के बाद 41.89 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि जमा बीमा निधि को अंतरित की गयी है; इससे निधि की राशि अब बढ़कर 218.89 करोड़ रुपये हो गयी है जब कि पिछले वर्ष के अंत में में वह 177 करोड़ रुपये थी। कुल करयोग्य जमा राशियों और सकल बीमाकृत जमा राशियों में अब निधि का अंश क्रमशः 0.35 प्रतिशत और 0.47 प्रतिशत है। वर्ष 1983 के लिए भी संबंधित आंकड़े यही थे।

ऋण गारंटी निधि

24. वर्ष 1983 के अंत में ऋण गारंटी निधि में 117.05 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। गारंटी शुल्क के रूप में पूरे वर्ष के लिए प्राप्त आय की राशि 87.91 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान निधि के निवेश से प्राप्त आय की राशि 20.85 करोड़ रुपये थी। गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं के अधीन दावा-चुकाये-गये खातों में की गयी वसूलियों के अपने अंश के रूप में निगम को प्राप्त कुल राशि 3.71 करोड़ रुपये थी जब कि लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अधीन प्राप्त वसूलियों की कुल राशि 0.43 करोड़ रुपये थी। कुल 112.90 करोड़ रुपये की इन प्राप्तियों के मुकाबले उपर्युक्त चारों योजनाओं के अधीन अदा किये गये गारंटी दावों तथा वर्ष के अंत तक निगम को सूचित किये गये, परंतु स्वीकार न किये गये, दावों के संदर्भ में अनुमानित देयता की कुल राशि 104.70 करोड़ रुपये (1983 के अंत में उपलब्ध 66.82 करोड़ रुपये के प्रावधान को हिसाब में लेने के बाद) थी; इस प्रकार केवल 8.20 करोड़ रुपये जितना कम अधिशेष रह गया। उपर्युक्त अधिशेष में से 7.21 करोड़ रुपये की राशि निवेश प्रारक्षित निधि में समायोजित की गयी जिस से वर्ष 1984 के अंत में इस निधि की राशि बढ़कर 118.04 करोड़ रुपये हो गयी।

सामान्य निधि

25.1 निगम के खर्चों की पूर्ति सामान्य निधि में होनेवाली आय से की जाती है जिसका हिसाब पूंजी तथा प्रारक्षित निधियों में से किये गये निवेशों से लगाया जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत पूंजी की राशि को जिसे 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 जनवरी 1981 से 15 करोड़ रुपये कर दिया गया था, 1 मई 1984 को और बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया। रिज़र्व बैंक ने तीन वर्ष की अवधि में 35 करोड़ रुपये के संपूर्ण अतिरिक्त अंशदान की पूर्ति करना स्वीकार किया था और उसने संबंधित संशोधक विधान का अधिनियमन किये जाने तक वर्ष 1982 और 1983 में क्रमशः 15 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की राशि की दो ब्याज मुक्त जमा राशि या निगम के पास रखने का अनुग्रह किया था और उसने निगम को 10 करोड़ रुपये की अंतिम किस्त की अदायगी की तथा ब्याज मुक्त जमा राशियों की पहली दो किस्तों को अपने अतिरिक्त पूंजीगत अंशदानों के संदर्भ में समायोजित कर दिया गया। अब निगम के पास 50 करोड़ रुपये की पूर्णतः चुकता पूंजी है।

25.2 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना की 31 मार्च 1981 को निरस्त किये जाने के बाद निरस्त योजना के अंतर्गत शेष कार्यों को सरकार के एजेंट के रूप में पूरा करने का दायित्व निगम को सौंपा गया है तथा वह 31 मार्च 1981 तक के व्यतिक्रम के खातों के संदर्भ में दावे प्राप्त करता है तथा उनकी छानबीन करता है एवं भारत सरकार की ओर से उनका निपटान करता है। इन एजेंसी कार्यों के लिए चूंकि सरकार कोई पारिश्रमिक या शुल्क अदा नहीं करती थी तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निरस्त योजना के द्वारा व्याप्त अग्रिमों को गारंटी रक्षा की निरंतरता बनाये रखते हुए एक नयी योजना शुरू करते ही निगम पर दावों के संबंध में भारी दायित्व भी आने लगा, अतः निगम ने इस मामले पर उद्योग मंत्रालय से संपर्क किया और उसके बाद उक्त मंत्रालय ने प्रारंभ में 31 मार्च 1986 तक सरकार के दावे-चुकाये-गये खातों में वसूलियों को अपने पास रखने की अनुमति निगम को दी है। तदनुसार ऐसी 9.45 करोड़ रुपये की कुल राशि सरकार से निगम को अंतरित की गयी जिसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के उपबंधों के अनुसरण में सामान्य निधि में रख लिया गया है।

25:3 वर्ष 1984 के दौरान सामान्य निधि में निम्न प्रकार 13,73 करोड़ रुपये की आय हुई :

	करोड़ रुपये
निवेश पर आय	4.28
उद्योग मंत्रालय द्वारा	
अंतरित राशि	9.45
जोड़	13.73

उपर्युक्त आय के मुकाबले स्थापना और अन्य कार्यों की कुल राशि 1.73 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार इस निधि में 12 करोड़ रुपये का अधिशेष बचा। इस अधिशेष में 2.65 करोड़ रुपये मूल्यहास के लिए प्रावधान के रूप में निवेश प्रारक्षित निधि में और शेष 9.35 करोड़ रुपये सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिये गये हैं।

निवेश

26. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त तीन निधियों में धारित संपूर्ण राशि का केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के इन निवेशों के विवरण अनुबंध XIV में दिये गये हैं।

(क) जमा बीमा निधि

जमा बीमा निधि में किये गये निवेशों का बाज़ार मूल्य 31 दिसंबर 1984 को 217.45 करोड़ रुपये था जबकि उनका बही मूल्य 256.91 करोड़ रुपये था। निवेशों में हुए 39.54 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास के संदर्भ में इस राशि का हिसाब लगाते समय 0.08 करोड़ रुपये की कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है, पूरी मात्रा तक व्यवस्था की गयी है।

(ख) ऋण गारंटी निधि

ऋण गारंटी निधि में किये गये निवेशों का बाज़ार मूल्य 31 दिसंबर 1984 को 239.23 करोड़ रुपये था जब कि उनका बही मूल्य 266.46 करोड़ रुपये था। निवेशों में हुए 27.53 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास के संदर्भ में (इस राशि का हिसाब लगाते समय 0.30 करोड़ रुपये की कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है) पूरी राशि के लिए व्यवस्था की गयी है। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि निगम सामान्यतः अपने निवेशों को उनकी अवधि समाप्त होने तक अपने पास ही रखता है।

(ग) सामान्य निधि

सामान्य निधि में किये गये निवेशों का बाज़ार मूल्य वर्ष 1984 के अंत में 58.57 करोड़ रुपये था जब कि उनका बही मूल्य 63.21 करोड़ रुपये था। निवेशों में हुए 4.76 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास के संदर्भ में (इस राशि का हिसाब लगाते समय 0.12 करोड़ रुपये की कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है) पूरी मात्रा तक व्यवस्था की गयी है।

सामान्य

हिन्दी का संवर्धन

27.1 निगम अपने परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी करता है तथा अपने कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट और संबंधित तुलन-पत्र एवं आय-व्यय लेखे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करता है। वह अपने प्रचार-पत्रक हिन्दी में भी प्रकाशित करता है। निगम हिन्दी के दैनिक समाचार पत्र खरीदता है तथा हिन्दी न जाननेवाले अपने कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भी निगम अपने स्टाफ को प्रतिनियुक्त करता है।

27.2 बैंको के जमा कर्ताओं को निगम द्वारा प्रदान किये जानेवाले संरक्षण का प्रचार करने के लिए निगम अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पोस्टरों की प्रतियाँ सभी बीमाकृत बैंको को निःशुल्क प्रदान करता रहा। जमा बीमा का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए निगम क्षेत्रीय भाषाओं में आकर्षक पत्रक प्रकाशित करता है और जनता के बीच वितरित करने के लिए पत्रकों की मांग करने वाले बैंकों को कम मूल्य पर उनकी आपूर्ति करता है।

स्थापना

28.1 निगम अपने कार्य कर सके, इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उसे पहले की तरह आवश्यक स्टाफ, कार्यालय स्थान और अन्य प्रासंगिक सुविधाएं उपलब्ध करता रहा। इन पर होने वाले खर्चों की रिज़र्व बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है। चूंकि रिज़र्व बैंक द्वारा ड्यूटी पर तैनात किये गये स्टाफ की सेवाएं रिज़र्व बैंक के विनियमों द्वारा शासित हैं, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा निगम के प्रधान कार्यालय की। अप्रैल 1981 से 31 मार्च 1984 तक की अवधि की वित्तीय लेखा परीक्षा की गयी। शाखा कार्यालयों की भी इस तरह की लेखा परीक्षा उनके द्वारा की गयी है। रिज़र्व बैंक अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में भी निगम में कार्यरत स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करता है।

28.2 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है निगम के व्यय की पूर्ति निगम की पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त शेयर पूंजी से होनेवाली आय से की जाती है। जब लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी कार्य 1 अप्रैल 1981 से रिज़र्व बैंक से निगम को सौंपे गये, तब निगम अपनी आय से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति नहीं कर सका। तदनुसार उसने रिज़र्व बैंक से यह अनुरोध किया कि निगम के अपने संसाधनों में वृद्धि होने तक, प्रारंभ में मार्च 1986 तक, की पांच वर्ष की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक उसे अपेक्षित स्टाफ की सेवाएं तथा अन्य कार्यालयीन स्थापना निःशुल्क उपलब्ध कराये। रिज़र्व बैंक ने निगम को वार्षिक आधार पर तथा क्रमशः घटती हुई मात्रा में अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने का अनुग्रह किया है तथा उसने निगम से चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया है ताकि अधिक से अधिक 1 अप्रैल 1986 के बाद से रिज़र्व बैंक की सहायता के बिना वह क्रमशः आत्मनिर्भर बन सके। तदनुसार निगम ने कई उपाय किये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: वर्ष 1982 के स्तर पर अपनी स्टाफ संख्या को प्रतिबंधित रखना, सितंबर 1983 के बाद से अपनी कार्यप्रणाली में कम्प्यूटर पद्धति अपनाना और 1 मई 1984 से अपनी पूंजी को बढ़ाकर

50 करोड़ रुपये कर देना। इस बीच निगम के कार्यकलापों की मात्रा और व्यापकता को देखते हुए तथा 1 अप्रैल 1986 के बाद से अपने संपूर्ण व्यय का स्वयं वहन कर सकने के उद्देश्य से कुछ प्रारक्षित निधियां निर्मित करने के प्रयोजन के लिए निगम मार्च 1986 तक कि अवधि के वास्ते सीमित सहायता उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक से अनुरोध कर रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गयी समस्त सहायता के लिए बोर्ड गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

लेखा परीक्षक

29. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, 1961 की धारा 29 (1) के अनुसार निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से मेसर्स ए. जे. शाह एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, बंबई को वर्ष 1984 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

प्रशिक्षण

30. विभिन्न वाणिज्य बैंकों के कर्मचारी ऋण गारंटी योजनाओं के परिचालन का अध्ययन करने के वास्ते निगम में आये। बैंक ऑफ़ युगांडा और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल से आये अधिकारियों को योजनाओं के परिचालन का अध्ययन करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं। निगम ने भौ कुछेक वाणिज्य बैंकों द्वारा आयोजित सेमिनारों में भाग लेने के लिए तथा वाणिज्य बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में निगम की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।

31. वर्ष के दौरान निगम के कार्य की सीमा और मात्रा में हुई वृद्धि को संभाल लेने तथा खास तौर पर कार्य प्रणाली में किये गये परिवर्तनों को सहजता से अपना कर अधिक उत्पादकता का लक्ष्य प्राप्त करने में महा प्रबंधक और सभी स्तरों की स्टाफ द्वारा किये गये श्रेष्ठ और बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
बंबई- 400 039
दिनांक 21 मार्च 1985

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
(सी रंगराजन)
अध्यक्ष

अनुबंध ।

उन बैंकों के नाम दर्शानेवाला विवरण जिनका दिसंबर 1984 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण किया गया तथा पंजीकरण रद्द किया गया

क) उन बैंकों के नाम जिनका वर्ष 1984 के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण किया गया

वाणिज्य बैंक

1. दि बैंक ऑफ़ नोवा स्कॉटिया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. सुरेन्द्रनगर - भावनगर ग्रामीण बैंक
2. रतलाम - मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. सोलापुर ग्रामीण बैंक
4. भंडारा ग्रामीण बैंक
5. चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
6. वलसाड - डांगस ग्रामीण बैंक
7. सूरत-भरुच ग्रामीण बैंक
8. बूंदी - चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. भीलवाड़ा - अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10. डूंगरपुर - बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. चिकमगलूर कोडगू ग्रामीण बैंक
14. गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. साबरकांठा - गांधीनगर ग्रामीण बैंक
17. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
18. हिसार - सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19. नेत्रवती ग्रामीण बैंक
20. वरदा ग्रामीण बैंक
21. इंदौर - उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22. अम्बाला - कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
23. मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. कुम्भम को ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
2. विशाखापट्टणम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

3. श्री महायोगी लक्षमम्मा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
4. सिरसिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

गुजरात

1. सुरेन्द्रनगर मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. सरदार वल्लभभाई सहकारी बैंक लि.
3. श्रेयस को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. महिला उत्कर्ष नागरिक सहकारी बैंक लि.
5. उना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.

हिमाचल प्रदेश

1. चम्बा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

कुछ नहीं

कर्नाटक

1. श्री भगवती को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. जागृति को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. श्रीचामराज को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. नवोदय सहकार बैंक लि.
5. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. वायनाड डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

1. दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुहरानपुर
2. दि समता सहकारी बैंक सीमित
3. दि दातिया नागरिक सहकारी बैंक लि.
4. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर
5. नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित

महाराष्ट्र

1. दि कमर्शियल को-ऑपरेटिव बँक लि., अमरावती
2. पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि., बंबई
3. बारामती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.
4. जालना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि.
5. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि.
6. कलवा - बेलापुर सहकारी बँक लि.
7. प्रोग्रेसिव को-ऑपरेटिव बँक लि.
8. वर्धा ज़िला परिषद इम्प्लाइज़ (अर्बन) को-ऑपरेटिव बँक लि.
9. वर्तकनगर - माजीवडे नागरी सहकारी बँक लि.
10. पार्श्वनाथ को-ऑपरेटिव बँक लि.
11. पार्तूर पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि.
12. अरिहंत को-ऑपरेटिव बँक लि.
13. लातूर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि.
14. वसई विकास सहकारी बँक लि.
15. देवगिरि नागरी सहकारी बँक लि.

उड़ीसा

कुछ नहीं

राजस्थान

1. श्री गंगानगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.

तमिलनाडु

1. राजापालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि.
2. वारंगनेरी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि.
3. त्रिप्लीकेन को-ऑपरेटिव बँक लि.
4. सैदापेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि.

त्रिपुरा

कुछ नहीं

उत्तर प्रदेश

1. गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बँक लि.
2. कमलानगर (आगरा) अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.

पश्चिम बंगाल

1. यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. बागनान को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि.

संघशासित क्षेत्र

1. सिटिज़न को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ख. वर्ष 1984 के दौरान विपंजीकृत बैंकों के नाम दर्शानेवाला विवरण

महाराष्ट्र

1. दधीच सहकारी बैंक लि., बंबई
2. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., तेलहरा

बीमाकृत बैंकों का सारांश

(31 दिसंबर 1984 की स्थिति के अनुसार)

I वाणिज्य बैंक	84
II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	171
III सहकारी बैंक

राज्य	शिखर	मध्यवर्ती	प्राथमिक	जोड़
आंध्र प्रदेश	1	27	57	85
गुजरात	1	21	285	307
हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
जम्मू और कश्मीर	1	3	1	5
कर्नाटक	1	23	205	229
केरल	1	12	52	65
मध्य प्रदेश	1	45	32	78
महाराष्ट्र	1	30	356	387
उड़ीसा	1	17	10	28
राजस्थान	1	26	14	41
तमिलनाडु	1	18	135	154
त्रिपुरा	1	-	1	2
उत्तर प्रदेश	1	57	18	76
पश्चिम बंगाल	1	17	49	67
संघशासित क्षेत्र				
दिल्ली	1	-	10	11
गोवा, दमन और दीव	1	-	5	6
पांडिचेरी	1	-	1	2
	-----	-----	-----	-----
जोड़ (सहकारी बैंक)	17	298	1235	1550
	-----	-----	-----	-----
जोड़ : I, II और III				1805

अनुबंध II

वर्ष 1962 से जमा बीमा योजना के अंतर्गत आनेवाले बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय प्राथीण तथा सहकारी) की संख्या दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	वर्ष के आरंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहाँ निगम पर देयता			वर्ष के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2 + 3 - 6)
			आयी	नहीं आयी	जोड़ (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	-	2	9	11	276
1963	276	-	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	-	-	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	-	-	9	9	91
1968	91	-	-	3	3	88
1969	88	-	2	1	3	85
1970	85	-	1	1	2	83
1971	83	385	-	3	3	465
1972	465	16	-	5	5	476
1973	476	18	-	2	2	492
1974	492	37	-	3	3	526
1975	526	88	-	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	-	4	4	1,392
1980	1,392	191	-	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	-	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805

टिप्पणी : 1982-84 के अंत में बीमाकृत बैंकों का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			
	वाणिज्य	क्षेत्रीय प्राथीण	सहकारी	जोड़
1	2	3	4	5
1982	82	123	1,478	1,683
1983	83	148	1,505	1,736
1984	84	171	1,550	1,805

अनुबंध III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदत्त रक्षा की मात्रा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार, 1967, 1970, 1971 तथा 1976 के प्रत्येक सितंबर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982, 1983 तथा 1984 के अंतिम कार्य-दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या (लाखों में) @	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) में (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा राशियाँ ₹ (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	(6) में (5) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984 ++	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8

@ 12 अर्थात् ऐसे खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियाँ थीं।

₹ अर्थात् सभी खातों में 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमा राशियाँ।

++ अंतिम

अनुबंध IV

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी रक्षा की सीमा दर्शानेवाला पिछले तीन वर्षों का (श्रेणीवार) विवरण

वर्ष	बैंक की श्रेणी	बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमा-राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	4 में 3 का प्रतिशत
		1.	2.	3.	4.	5.
1982	वाणिज्य बैंक	82	77	28,648.99	38,133.17	75.1
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	123	108	253.65	285.14	89.0
	सहकारी बैंक	1478	1284	2,871.28	3,942.10	72.8
	जोड़:-	1683	1469	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	वाणिज्य बैंक	83	74	34,269.87	46,118.92	74.3
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	148	110	352.63	405.09	87.0
	सहकारी बैंक	1505	1097	3,123.89	4,272.53	73.1
	जोड़:-	1736	1281	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	वाणिज्य बैंक	84	79	42,071.49	56,103.02	75.0
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	171	113	410.49	461.32	89.0
	सहकारी बैंक	1550	1109	3,857.55	5,315.89	72.6
	जोड़:-	1805	1301	46,339.53	61,880.23	74.8

अनुबंध V

31 दिसंबर 1984 को अदा किये गये या जिनके लिए व्यवस्था की गयी वे जमा बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिभूतियां

वाणिज्य तथा सहकारी बैंक
जिनके दावे निपटाये गये

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये, उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)	कुल बीमाकृत जमा राशियां जो अदा की गयीं या जिनके लिए व्यवस्था की गयी	निगम द्वारा प्राप्त अदायगियां	शेष राशि (3)-(4)
1.	2.	3.	4.	5.
I. वाणिज्य बैंक				
i) उन बैंकों से संबंधित ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी हैं :				
६ 1.	बैंक ऑफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	-
* 2.	श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)	0.12	0.12	-
	जोड़ "अ"	9.37	9.37	-
ii) उन बैंकों से संबंधित ब्योरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी है और शेष देय राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है :				
* 3.	यूनिटी बैंक लि., मद्रास (1963)	2.53	1.37	@ @
* 4.	उन्नाव कर्मशियल बैंक लि., उन्नाव (1964)	1.08	0.31	@ @
* 5.	चावला बैंक लि., देहरादून (1969)	0.18	0.14	@ @
	जोड़ "आ"	3.79	1.82	@ @

1.	2.	3.	4.	5.
iii)	उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है :			
*6.	बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)	0.28	0.18	0.10
*7.	मेट्रोपोलिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964)	8.80	4.41	4.39
*8.	कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)	7.10	4.15	2.95
*9.	लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एर्नाकुलम (1964)	2.08	1.14	0.94
*10.	सदर्न बैंक लि., कलकत्ता (1964)	7.34	3.26	4.08
*11.	नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*12.	हबीब बैंक लि., बंबई (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
*13.	बैंक ऑफ बिहार लि., पटना (1970)	46.32	46.14	0.18
*14.	नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)	9.69	-	9.69
	जोड़ "इ"	99.86 (2.03)	76.94	22.92 (2.03)
	जोड़ ("अ" "आ" "इ")	113.02 (2.03)	88.13	22.92 @@ (2.03)
II. सहकारी बैंक				
i)	उस बैंक से संबद्ध ब्योरे जिसके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दि गयी हैं:			
११ 15.	मालवण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मालवण (1977)	1.86	1.84	+ +
	जोड़ "इ"	1.86	1.84	-
ii)	उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है :			
@ 16.	बंबई कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1976)	5.73	-	5.73
	आगे ले आया गया	5.73	-	5.73

अनुबंध V (समाप्त)

1	2	3	4	5
	(आग लाया गया)	5.73	-	5.73
@ 17	घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1977)	2.76	-	2.76
@ 18	बंबई पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1978)	10.72	7.24	3.48
@ 19	आरे मिल्क कोलोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1978)	0.60	-	0.60
* 20	रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी (1978)	46.43	8.66	37.77
* 21	विश्वकर्मा को ऑपरेटिव बैंक लि., बम्बई (1979)	11.57	-	11.57
* 22	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., बम्बई (1979)	4.22	-	4.22
* 23	कलाविहार को ऑपरेटिव बैंक लि., बम्बई (1979)	13.16	2.41	10.75
@ 24	रामदुर्ग अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लि., रामदुर्ग (1981)	2.30	-	2.30
* 25	वैश्य को ऑपरेटिव बैंक लि., बंगलूर (1982)	91.31	-	91.31
@ 26	दधीच सहकारी बैंक लि., बम्बई (1984)	18.51	-	18.51
	जोड़ "उ"	207.31	18.31	189.00
	जोड़ "इ" "उ"	209.17	20.15	189.00++
	जोड़ "अ" "आ" "इ" "ई" "उ"	322.19 (2.03)	108.28	211.92 @@ (2.03)++

£ बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक ने रद्द कर दिया।

@ @ कुल 1.97 लाख रुपये की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी। इसमें 0.04 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है जो अदा नहीं की गयी है किन्तु उसके लिए व्यवस्था की गयी है।

* समामेलन योजना

@ ये बैंक परिसमापनाधीन हैं।

+ व्यवस्था योजना

++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

£ £ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरु किया गया और सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. में इसका स्वीकृत समायोजन कर दिया गया।

टिपण्णी :- (क) ऊपर दिये गये दावों के आंकड़े समायोजन करने के बाद के हैं।

(ख) कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रीकों के बारे में निषिद्ध देयताओं को सूचित करते हैं।

अनुबंध VI

निगम की विभिन्न गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना/ऋणकर्ताओं की श्रेणी	निम्नलिखित वर्षों के जून के अंत में									
	1972	1974	1976	1978	1980	1981	1982	1983	1984	रशि I, II, III के जोड़ में प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
(अ) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं										
लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	205.71	417.46	993.20	1,706.29	2,789.13	3,546.24	4,819.77	5,736.44	7,045.38	99.25
i) कृषक और कारतकार	134.67	306.71	650.18	1,057.04	1,796.10	2,267.52	3,041.59	3,594.84	4,181.98	58.91
ii) परिवहन चालक	28.29	58.58	149.91	282.66	368.50	477.56	731.31	937.68	1,239.58	17.46
iii) फुटकर व्यापारी	28.34	61.16	99.40	178.92	316.65	398.86	511.83	574.80	709.84	10.00
iv) व्यावसायि और स्व-नियोजित व्यक्ति	9.14	28.87	51.33	87.96	127.09	165.66	199.12	240.76	326.94	4.61
v) कारोबारी उद्यम	5.27	15.00	31.90	68.07	116.64	150.08	209.70	239.62	322.51	4.54
vi) विभेदक ब्याज योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	-	1.14	10.48	31.64	64.15	86.56	126.22	148.74	264.53	3.73
लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	2.56	2.87	5.25	8.66	10.23	10.89	18.58	35.64	52.68	0.74
i) परिवहन चालक	2.35	2.68	5.01	7.97	9.58	10.33	18.35	35.40	52.28	0.73
ii) कारोबारी उद्यम	0.21	0.19	0.24	0.69	0.65	0.56	0.23	0.24	0.40	0.01

जारी अनुबंध VI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971		0.12	0.75	0.29	0.22	0.36	1.32	1.53	1.75	0.50	0.01
I, II, III का जोड़		208.39	475.08	998.74	1,715.17	2,799.72	3,558.45	4,839.88	5,773.83	7,098.56	100.00
(आ) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981											
कारीगरों प्रामाण/कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग यूनिट		-	-	-	-	-	3,716.43*	3,822.13	4,153.73	4,890.86	
(इ) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984		-	-	-	-	-	-	-	-	5.69 @	
i) परिवहन चालक		-	-	-	-	-	-	--	-	1.81	
ii) फुटकर व्यापारी		-	-	-	-	-	-	--	-	2.59	
iii) व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति		-	-	-	-	-	-	--	-	1.03	
iv) कारोबारी उद्यम		-	-	-	-	-	-	--	-	0.16	
v) उपभोग और गृहनिर्माण		-	-	-	-	-	-	--	-	0.10	

* मार्च 1981 के अंत में
@ दिसंबर 1984 के अंत में

अनुबंध VII

31 दिसम्बर 1984 को गैर-औद्योगिक क्षेत्र
से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं
में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची

1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर
राष्ट्रीयकृत बैंक
9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्रा बैंक
11. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ़ इंडिया
13. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
16. कापेरिशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
21. आरिण्टल बैंक ऑफ़ कामर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
27. यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
28. विजया बैंक

विदेशी बैंक

29. एल्लिजमिन बैंक नेदरलैण्ड एन. बी.
30. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कापेरिशन
31. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सैविंग्स एसोसिएशन
32. बैंक ऑफ़ टोक्यो लि.

33. बैंक नेशनल दि पेरिस
34. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
35. चार्टर्ड बैंक
36. सिटी बैंक एन. ए.
37. ग्रिण्डलेज बैंक पी. एल. सी.
38. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कापेरिशन

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

40. बैंक ऑफ़ कोचिन लि.
41. बैंक ऑफ़ कराड़ लि.
42. बैंक ऑफ़ मदुरै लि.
43. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
44. बैंक ऑफ़ तमिलनाड लि.
45. बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
46. बरेली कापेरिशन बैंक लि.
47. बनारस स्टेट बैंक लि.
48. भारत ओवरसीज बैंक लि.
49. कैथोलिक सिरियन बैंक लि.
50. धनलक्ष्मी बैंक लि.
51. फेडरल बैंक लि.
52. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि.
53. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
54. कर्नाटक बैंक लि.
55. करूर वैश्य बैंक लि.
56. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि.
57. लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लि.
58. लक्ष्मी विवास बैंक लि.
59. लार्ड कृष्ण बैंक लि.
60. मिरज स्टेट बैंक लि.
61. नैनीताल बैंक लि.
62. नेदुंगाडि बैंक लि.
63. पंजाब को-आपरेटिव बैंक लि.
64. पूर्वांचल बैंक लि.
65. रत्नाकर बैंक लि.
66. सांगली बैंक लि.
67. साउथ इंडियन बैंक लि.
68. तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.

69. ट्रेडर्स बैंक लि.
70. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
71. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
72. वैश्य बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

73. अकोला ग्रामीण बैंक
74. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
75. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
76. अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
77. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
78. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
79. वैतरणी ग्राम्य बैंक
80. बालासोर ग्राम्य बैंक
81. बालिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. वनासकांठा-मेहसाणा ग्रामीण बैंक
83. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
84. वर्धमान ग्रामीण बैंक
85. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
86. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
87. बस्ती ग्रामीण बैंक
88. भगीरथ ग्रामीण बैंक
89. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
90. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
91. बीजापुर ग्रामीण बैंक
92. विलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
94. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
95. कछार ग्रामीण बैंक
96. कावेरी ग्रामीण बैंक
97. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
98. चैतन्य ग्रामीण बैंक
99. चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
100. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
101. छिन्दवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
102. चिकमंगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक
103. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
104. कटक ग्राम्य बैंक
105. देवी पट्टन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
106. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
107. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
108. दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक
109. इलाकाई देहाती बैंक
110. एटा ग्रामीण बैंक
111. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
112. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
113. फर्जखाबाद ग्रामीण बैंक
114. फतेपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
115. गौड़ ग्रामीण बैंक
116. गोमती ग्रामीण बैंक
117. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
119. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
120. गुरगांव ग्रामीण बैंक
121. हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
122. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
123. हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक
124. हिमाचल ग्रामीण बैंक
125. हावड़ा ग्रामीण बैंक
126. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
127. जम्मू रूरल बैंक
128. जामनगर ग्रामीण बैंक
129. जमुना ग्रामीण
130. झाबुआ-धारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
131. काकथिया ग्रामीण बैंक
132. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
133. कल्पतरू ग्रामीण बैंक
134. कामराज रूरल बैंक
135. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
136. कपूरथला-फिरोज़पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
137. काशी ग्रामीण बैंक
138. खासी जयंतिया रूरल बैंक
139. किसान ग्रामीण बैंक
140. कोलार ग्रामीण बैंक
141. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
142. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
143. कृष्णा ग्रामीण बैंक
144. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद
145. कच्छ ग्रामीण बैंक
146. लखिमी गांवलिया बैंक
147. लांगपी देहांगी रूरल बैंक

148. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
149. मगध ग्रामीण बैंक
150. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
151. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
152. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
153. मणिपुर रूरल बैंक
154. मंजीरा ग्रामीण बैंक
155. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
156. मरुघर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
157. मारवाड़ ग्रामीण बैंक
158. मयूरक्षी ग्रामीण बैंक
159. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
160. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
161. मिज़ोरम रूरल बैंक
162. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
163. नदिया ग्रामीण बैंक
164. नागालैंड रूरल बैंक
165. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
166. नालंदा ग्रामीण बैंक
167. नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
168. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
169. पालामाऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
170. पंचमहल ग्रामीण बैंक
171. पंड्यन ग्राम बैंक
172. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक
173. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक
174. प्राग्ज्योतिष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
175. प्रथमा बैंक
176. पुरी ग्राम्य बैंक
177. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
178. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
179. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
180. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
181. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
182. रत्नागिरी सिंघदुर्ग ग्रामीण बैंक
183. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
184. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक
185. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
186. सागर ग्रामीण बैंक
187. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
188. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
189. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
190. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
191. सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
192. सरयू ग्रामीण बैंक
193. शारदा ग्रामीण बैंक
194. शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
195. शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
196. शेखावटी ग्रामीण बैंक
197. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
198. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
199. वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
200. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
201. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
202. सोलापूर ग्रामीण बैंक
203. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
204. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
205. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
206. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
207. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
208. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
209. सुबनसिरी गांवलिया बैंक
210. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
211. सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक
212. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
213. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
215. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
216. तुलसी ग्रामीण बैंक
217. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
218. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
219. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
220. वलसाड डांग्स ग्रामीण बैंक
221. विदुर ग्रामीण बैंक
222. विध्यवासिनी ग्रामीण बैंक
223. गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाड़ लिमिटेड
224. काशीनाथ सेठ बैंक लि.
225. परूर सेंट्रल बैंक लि.

II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

1. आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
2. असम फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
3. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
4. दिल्ली फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
5. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
6. हरियाणा फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
7. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
8. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
9. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
10. केरल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
11. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
12. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
13. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
14. पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
15. राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
16. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
17. उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
18. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

III: सेवा सहकारी समिती गारंटी योजना, 1971
स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ़ वीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ़ इन्दौर
5. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्र बैंक
11. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ़ इंडिया
13. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक

15. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
16. कार्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
21. ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कामर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एंड सिंध बैंक
24. सिडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
27. यूनाइटेड कर्माशियल बैंक
28. विजया बैंक

विदेशी बैंक

29. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन
30. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स एसोसिएशन
31. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
32. सिटी बैंक एन. ए.
33. मित्सुई बैंक लिमिटेड

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

34. बैंक ऑफ़ कराड लि.
35. बैंक ऑफ़ मदुरै लि.
36. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
37. बैंक ऑफ़ तमिलनाडु लि.
38. बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
39. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि.
40. बनारस स्टेट बैंक लि.
41. भारत ओवरसीज बैंक लि.
42. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
43. फेडरल बैंक लि.
44. हिन्दुस्तान कर्माशियल बैंक लि.
45. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.
46. कर्नाटक बैंक लि.
47. करूर वैश्य बैंक लि.
48. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि.
49. लक्ष्मी कर्माशियल बैंक लि.
50. लक्ष्मी विलास बैंक लि.

51. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.
52. मिरज स्टेट बैंक लि.
53. नेरुंगाडि बैंक लि.
54. पूर्वांचल बैंक लि.
55. रत्नाकर बैंक लि.
56. सांगली बैंक लि.
57. साउथ इंडियन बैंक लि.
58. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.
59. ट्रेडर्स बैंक लि.
60. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
61. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

62. अकोला ग्रामीण बैंक
63. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
64. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
65. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
66. बस्ती ग्रामीण बैंक
67. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
68. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
69. बिजापुर ग्रामीण बैंक
70. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
71. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
72. कछार ग्रामीण बैंक
73. कावेरी ग्रामीण बैंक
74. चंद्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
75. कटक ग्राम्य बैंक
76. दुर्ग-रजनानंदगांव ग्रामीण बैंक
77. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
78. गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
79. गुरगांव ग्रामीण बैंक
80. हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
81. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. हिमाचल ग्रामीण बैंक
83. हावड़ा ग्रामीण बैंक
84. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
85. जामनगर ग्रामीण बैंक
86. जमुना ग्रामीण बैंक
87. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
88. काकथिया ग्रामीण बैंक
89. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
90. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
91. कपूरथला-फिरोज़पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
92. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
94. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
95. लखिमी गांवलिया बैंक
96. मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. मणिपुर रुरल बैंक
98. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
99. मयूरक्षी ग्रामीण बैंक
100. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
101. मिथिली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
102. मिज़ोरम रुरल बैंक
103. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
105. नैनीताल-अलमोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
106. नालंदा ग्रामीण बैंक
107. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
108. पालामाऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
109. पंचमहल ग्रामीण बैंक
110. पंड्यन ग्राम्य बैंक
111. प्राग्यज्योतिष गांवलिया बैंक
112. पुरी ग्राम्य बैंक
113. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
114. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
115. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
116. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
117. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
119. सरयू ग्रामीण बैंक
120. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
121. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
122. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
123. सोलापुर ग्रामीण बैंक
124. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
125. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
126. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
127. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
128. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
129. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक

130. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
131. वलसाड-डांगस ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

132. आदिलाबाद जिला केन्द्र सहकारी बैंक
133. भोंगीर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
134. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
135. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि., नेल्लूर
136. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि., विजियानगरम
137. खम्मम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
138. कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

गुजरात

139. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
140. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
141. पंचमहल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

142. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
143. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

144. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
145. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि., बिदर

केरल

146. मलाबार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

मध्य प्रदेश

147. बस्तर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
148. विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
149. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
150. मंडला डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
151. रायगढ़ को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

152. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
153. शुजालपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

154. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
155. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
156. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
157. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
158. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
159. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
160. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
161. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
162. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
163. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उड़ीसा

164. सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

राजस्थान

163. भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
164. चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

तमिलनाडू

167. तिरुनेलवेलि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

168. रुड़की को-ऑपरेटिव बैंक लि.

IV लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. आंध्रप्रदेश महेश को-ऑपरेटिव सहकारी बैंक लि.

गुजरात

1. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. टेक्स्टाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अहमदाबाद मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
5. पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लि.
6. नवानगर को-ऑपरेटिव सहकारी बैंक लि.
7. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.

कर्नाटक

1. जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. तिरु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

1. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

2. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. कलवा-बेलापूर सहकारी बैंक लि.
4. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
5. रुपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

1. भूपतिराजू को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
2. सालेम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. संकरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

1. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. भाटण्डा नईहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

अनुबंध VIII

निगम की गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम. ऋणकर्ताओं की श्रेणी सं.	31 दिसंबर 1983 तक प्राप्त दावों की कुल संख्या		1984 के दौरान प्राप्त दावे		कालम 6 में कुल राशि का प्रतिशत	जोड़		कालम 9 में कुल राशि का प्रतिशत	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या (3+5)	राशि (4+6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
i) कृषक और कारंतकार	2,80,124	60.81	1,43,643	33.89	54.92	4,23,767	94.70	55.00	
ii) परिवहन चालक	33,437	21.63	10,574	9.61	15.57	44,011	31.24	18.15	
iii) फुटकर व्यापारी	1,15,845	15.76	39,574	10.34	16.76	1,55,419	26.10	15.16	
iv) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति	90,408	7.07	17,057	3.28	5.31	1,07,465	10.35	6.01	
v) कारोबारी उद्यम	21,215	3.62	14,241	2.84	4.60	35,456	6.46	3.75	
vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अविशिष्ट श्रेणी	29,492	1.51	29,007	1.72	2.79	58,499	3.23	1.88	
vii) उपभोग आवश्यकताओं और मकान या आवास खरीदने, बनवाने के लिए सुविधाएं	203	0.06	596	0.03	0.05	799	0.09	0.05	
	जोड़	5,70,724	110.46	2,54,692	61.71	100.00	8,25,416	172.17	100.00

अनुबंध IX

निगम की गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दशनिवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		कालम 4 और 5 के अनुसार निपटाये गये दावों में से					
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अदा किये गये दावे		वापस लि गये दावे		अस्वीकृत दावे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1976 के अंत तक	6,806	2.28	2,529	0.70	2,137	0.58	230	0.06	162	0.07
1977 के दौरान	14,832	4.42	9,881	2.60	9,469	2.36	193	0.07	219	0.16
1978 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
1979 के दौरान	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
1980 के दौरान	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
1981 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77
1982 के दौरान	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
1983 के दौरान	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
उप-जोड़ "अ" (1971 से 1983)	5,70,724	110.46	4,07,510	66.07	3,92,223	57.67	5,692	2.08	9,595	6.32

अनुबंध IX जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1984 के दौरान										
i) पुराने फार्म में	61	0.17	19,204	4.37	18.397	3.75	524	0.18	283	0.45
ii) नये रूप में परिवर्तित पुराने फार्म में दावे	-	-	1,07,666	12.27	1,07,666	12.27	-	-	-	-
iii) नये फार्म एनआई-11 में	2,54,631	61.54	1,09,755	15.45	1,02,356	14.97	217	0.04	7,182	0.43
उप-जोड़ "आ" (i+ii+iii)	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
कुल जोड़ : (अ+आ) (1971 से 1984)	8,25,416	172.17	6,44,135	98.16	6,20,642	88.66	6,433	2.30	17,060	7.20

अनबंध X

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (जो अब रद्द हो चुकी है) के संबंध में चूक करनेवाले खातों के ब्योरे दशनिवाला विवरण - 31 मार्च 1981* की स्थिति

(राशि करोड़ रुपयों में)

	बंबई		कलकत्ता		मद्रास		नई दिल्ली		जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. स्टेट बैंक समूह	5209	12.11	4315	8.98	15292	18.12	8429	12.71	33245	51.92
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	6241	38.39	6809	20.74	16753	37.01	6597	35.71	36400	131.85
3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	192	1.40	58	1.08	769	3.95	315	2.28	1334	8.71
4. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2 (0.001)	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5. राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सहकारी बैंक	12681	3.71	2 (0.001)	-	-	-	72	0.08	12755	3.79
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	240	0.01	1 (0.001)	403	0.02	-	-	644	0.03	
8. राज्य वित्तीय निगम	404	3.80	63	1.59	490	8.91	415	8.04	1372	22.34
	24969	59.42	11248	32.39	33707	68.01	15828	58.82	85752	218.64

* (31 दिसंबर 1984 तक प्राप्त सूचना के आधार पर)

कोष्ठक में दिये आंकड़े एक लाख रुपये से कम हैं और उन्हें जोड़ शामिल नहीं किया गया है।

टिपण्णी : उपर्युक्त जानकारी अपूर्ण है क्योंकि ऋण संस्थाओं की 4,700 से अधिक शाखाओं द्वारा आंकड़े अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

अनुबंध IX

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में
शामिल होनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची-

31 दिसंबर 1984 की स्थिति

(क) वाणिज्य बैंक

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौरास्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. इलाहाबाद बैंक
2. आंध्र बैंक
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ़ इंडिया
5. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
6. केनरा बैंक
7. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
8. कापेरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. इंडियन बैंक
11. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
12. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
13. ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कामर्स
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
16. सिडिकेबैंक बैंक
17. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
18. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
19. यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
20. विजया बैंक

विदेशी बैंक

1. एल्लिमिन बैंक नेदरलैंड एन. वी.
2. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कापेरेशन
3. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स कापेरेशन
4. बैंक ऑफ़ टोक्यो लि.
5. बैंक नेशनल दि पेरिस
6. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट

7. सिटी बैंक एन. ए.
8. एमीरेट्स कमर्शियल बैंक लि.
9. ग्रिण्डलेज बैंक लि.
10. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कापेरेशन
11. मित्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ़ कोचीन लि.
2. बैंक ऑफ़ मदुरा लि.
3. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
4. बैंक ऑफ़ तमिलनाडु लि.
5. बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
6. बनारस स्टेट बैंक लि.
7. बरेली कापेरेशन बैंक लि.
8. भारत ओवरसरीज़ बैंक लि.
9. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
10. धनलक्ष्मी बैंक लि.
11. फेडरल बैंक लि.
12. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि.
13. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
14. कर्नाटक बैंक लि.
15. करूर वैश्य बैंक लि.
16. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लि.
17. लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लि.
18. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
19. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.
20. नैनीताल बैंक लि.
21. नेदुगाडि बैंक लि.
22. पेरूर सेंट्रल बैंक लि.
23. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. पूर्वांचल बैंक लि.
25. रत्नाकर बैंक लि.
26. सांगली बैंक लि.
27. साउथ इंडियन बैंक लि.
28. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.
29. ट्रेडर्स बैंक लि.
30. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक
31. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
32. वैश्य बैंक लि.

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. काशीनाथ सेठ बैंक लि.

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अकोला ग्रामीण बैंक
2. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
3. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
4. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
6. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक
7. वैतरणी ग्राम्य बैंक
8. बालासोर ग्राम्य बैंक
9. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
10. वर्धमान ग्रामीण बैंक
11. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12. भंडारा ग्रामीण बैंक
13. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14. भोजपुर रोहतास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. बीजापुर ग्रामीण बैंक
16. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
18. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19. कछार ग्रामीण बैंक
20. कावेरी ग्रामीण बैंक
21. चैतन्य ग्रामीण बैंक
22. छिदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
24. कटक ग्राम्य बैंक
25. दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
28. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
29. दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक
30. इलाकाई देहाती बैंक
31. एटा ग्रामीण बैंक
32. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
34. गौड़ ग्रामीण बैंक
35. गोमती ग्रामीण बैंक
36. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
37. गुरगाव ग्रामीण बैंक

38. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
39. हिमाचल ग्रामीण बैंक
40. हावड़ा ग्रामीण बैंक
41. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
42. जामनगर ग्रामीण बैंक
43. जमुना ग्रामीण बैंक
44. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
45. काकथिया ग्रामीण बैंक
46. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
47. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
48. कामराज रूरल बैंक
49. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
50. कपुरथला-फिरोज़पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
51. काशी ग्रामीण बैंक
52. खासी जयंतिया रूरल बैंक
53. किसान ग्रामीण बैंक
54. कोलार ग्रामीण बैंक
55. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
56. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
57. कृष्णा ग्रामीण बैंक
58. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद
59. कच्छ ग्रामीण बैंक
60. लखिमी गांवलिआ बैंक
61. मगध ग्रामीण बैंक
62. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
63. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
64. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
65. मणिपुर रूरल बैंक
66. मंजीरा ग्रामीण बैंक
67. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
68. मारवाड़ा ग्रामीण बैंक
69. मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
70. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
71. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
72. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
73. मिजोरम रूरल बैंक
74. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
75. नादिया ग्रामीण बैंक
76. नागालैंड रूरल बैंक
77. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
78. नालंदा ग्रामीण बैंक

79. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
80. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
81. पलामऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. पंचमहल ग्रामीण बैंक
83. पण्ड्यन ग्राम्य बैंक
84. प्राग्ज्योतिष गावालिया बैंक
85. प्रथमा बैंक
86. पुरी ग्राम्य बैंक
87. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
88. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
89. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
90. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
91. रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
92. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
93. रीवा सीधा ग्रामीण बैंक
94. ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक
95. सागर ग्रामीण बैंक
96. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
98. संधाल परगना ग्रामीण बैंक
99. सरयू ग्रामीण बैंक
100. शारदा ग्रामीण बैंक
101. शेखावटी ग्रामीण बैंक
102. शिवलिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
103. शिवापुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
105. सोलापुर ग्रामीण बैंक
106. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक
107. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
108. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
109. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
110. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
111. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
112. सुवनसीरी गांवलिया बैंक
113. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
114. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
115. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
116. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
117. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
118. तुलसी ग्रामीण बैंक
119. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक

120. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ग) राज्य वित्तीय निगम

1. असम फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
2. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
3. दिल्ली फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
4. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
5. हरियाणा फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
6. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
7. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
8. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
9. केरल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
10. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
11. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
12. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
13. पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
14. राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
15. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि:
16. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

घ) मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएं

1. अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शियल कार्पोरेशन लि.
2. इकॉनामिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ गोवा, दमण एण्ड दीव लि.
3. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
4. नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
5. पंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रोमोशन डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
6. सिक्किम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
7. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक

1. आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
5. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. विजयवाड़ा को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक-लि.

बिहार

1. धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

गुजरात

1. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
3. जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

हरियाणा

1. ब्रायने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

हिमाचल प्रदेश

1. कांगरा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

1. केनरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. अल्लेपै डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. कन्नूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
3. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. कल्वार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
6. क्यूलोन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

1. भोपाल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिवको-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लि:
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विलासपुर

3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर
5. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, खण्डवा
6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, रीवा
7. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, उज्जैन
8. रायपुर को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लि:

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बाम्बे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. नांदेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. नासिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित
19. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. सांगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. सातारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

1. सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

2. कोयम्बतूर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. सालेम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

(ड) प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
2. भीमावरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
3. गुडिवाड़ा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

गुजरात

1. अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अहमदाबाद मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. आनंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.
5. अन्योन्य सहकारी मंडली को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. बनासकांठा मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
8. भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि.
9. सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट
10. को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लि.
11. धिनोज नागरिक सहकारी बैंक लि.
12. दोहद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
14. हिम्मतनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.
15. झालोड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. करमसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. माधवपुरा मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. मानेकचौक को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. नडियाड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.

24. पाटण नागरिक सहकारी बैंक लि.
25. प्रोग्रेसिव मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
27. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. सरदार भोलवाड़ा पारदी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. सरदारगंज मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., आणंद
30. सरदारगंज मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पाटण
31. सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. श्री महालक्ष्मी मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. सुरेन्द्रनगर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
35. टेक्स्टाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. उमा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. ऊंझा नागरिक सहकारी बैंक लि.
38. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नडियाड
39. विजय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
40. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जम्मू

कर्नाटक

1. बीजापुर श्री सिद्धेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. होनावर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. मैसूर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. नवोदय सहकार बैंक लि.
7. श्री कन्यका परमेश्वरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. कासरगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
2. पालघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. पेरिन्थलमन्ना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
4. त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

1. भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
2. सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., दमोह
3. इंदौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

1. अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अलेन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अमलनेर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
5. चोपड़ा पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. डेक्कन मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
8. इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि.
9. जालना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. जनता कर्मशायल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. जनता सहकारी बैंक लि., सांगली
12. जनता सहकारी बैंक लि. पुणे
13. जनता सहकारी बैंक लि. सांगली
14. कराड जनता सहकारी बैंक लि.
15. कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. कोल्हापुर मराठा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. कोपरगांव तालुका मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. मुर्घराजेन्द्र सहकारी बैंक लि.
21. मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. नंदूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. नासिक मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. नार्थ केनरा गौड-सारस्वत ब्राह्मण को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. पारसिक जनता सहकारी बैंक लि.
29. प्रवरा सहकारी बैंक लि.
30. पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. रूपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. सह्याद्रि सहकारी बैंक लि.
33. संगमनेर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

34. सांगली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
35. सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. शामराव विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. शिरपुर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. सोलापुर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
39. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित
40. शोलापुर जनता सहकारी बैंक लि.
41. स्वस्तिक जनता सहकारी बैंक लि.
42. ठाणे जनता सहकारी बैंक लि.
43. वैद्यनाथ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
44. विटा मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मणिपुर

1. इम्फाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

तमिलनाडु

1. अम्मापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. भूपतिराज को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
4. बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
5. चिंताद्रिपेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. कोयम्बतूर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. कुन्नूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
8. धरमपुरी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
9. कृष्णागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव 2 बैंक लि.
10. मदुरै अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. मन्नारगुडी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. मेल्लुपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
13. नामक्कल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
14. नजरेथ को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
16. परमकुडी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
17. पोल्लाच्चि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
18. पुरासवल्लकम् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. रासीपुरम् को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.

20. सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. सांकरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
22. शिवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
24. त्यागरायनगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. तिन्नेवेली जंक्शन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. तिरुप्पत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
28. तिरुच्चिरापल्लि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. तिरुवन्नमलै को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

30. विनियम्बाडी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. विल्लुपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

1. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर

पश्चिम बंगाल

1. भाटपाड़ा नईहाटी को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में शामिल ऋण संस्थाओं की श्रेणीवार स्थिति - 31 दिसम्बर 1984 को

ऋण संस्था की श्रेणी	सरकार की पुरानी योजना में शामिल ऋण संस्थाओं में से जो अब रद्द हो चुकी है (में शामिल ऋण संस्थाएं)	जो नई योजना में शामिल हो गयी हैं परंतु अभी तक करार नहीं किया है	जो इच्छा प्रकट कर चुकी हैं	जो नई योजना में शामिल नहीं हुई हैं	जो सरकार की नयी योजना में से अलग हो गयी हैं	जोड़ (3+6-7)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	8	8	—	—	—	—	8
2) राष्ट्रीयकृत बैंक	20	20	—	—	—	—	20
3) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक	44	42	—	2	2	1	43
4) गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	—	1	1	1	—	1
5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34	32	—	2	88	—	120
6) राज्य वित्तीय निगम	18	16	1	1	—	—	16
7) अन्य राज्य विकास एजेंसियाँ	5	5	—	—	2	—	7
8) सहकारी बैंक	197	124	4	69	80	3	201
जोड़ :	328	247	6	75	173	4	416

अनुबंध XII

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना और निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981- 31 दिसंबर 1984 को विचाराधीन दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

दावों की राशि	1 वर्ष		1 से 2 वर्ष		2 से 3 वर्ष		3 से 4 वर्ष		4 वर्ष से अधिक		जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. सरकार की योजना (31 मार्च 1981 से रद्द)												
1. 25,000/- रुपये तक	2,823	0.62	102	0.08	285	0.09	98	0.06	249	0.31	3,557	1.16
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	456	2.45	313	1.55	160	1.04	186	1.03	564	3.00	1,679	9.07
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	182	2.63	137	1.92	118	1.71	117	1.74	300	4.42	854	12.42
4. 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	146	4.45	144	4.11	115	3.59	147	4.60	345	10.86	897	27.61
4. 5 लाख रुपये अधिक	45	3.36	53	4.18	45	3.91	81	6.13	149	12.58	373	30.16
जोड़	3,652	13.51	749	11.84	723	10.34	629	13.56	1,607	31.17	7,360	80.42

अनुबंध XII जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. निगम की योजना (1 अप्रैल 1981 से शुरू)												
1. 25,000/- रुपये तक	9,036	2.72	287	0.20	53	0.05	1	-	-*	-	9,377	2.97
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	1,499	7.48	284	1.61	53	0.30	2	0.01	-	-	1,838	9.40
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	644	9.23	171	2.41	15	0.22	2	0.03	-	-	832	11.89
4. 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	449	13.79	151	4.82	27	0.83	3	0.11	-	-	630	19.55
5. 5 लाख रुपये से अधिक	221	17.37	77	6.48	15	1.15	1	0.10	-	-	314	25.10
जोड़ :-	11,849	50.59	970	15.52	163	2.55	9	0.25	-	-	12,991	68.91

* राशि एक लाख रुपये से कम है, अतः जोड़ करते समय इसे हिसब में नहीं लिया गया है।

अनुबंध XIII

निगम की लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दशनिवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		निपटाये गये दावों में से				वर्ष के अंत में			
					अदा किये गये दावे		वापस लिये गये दावे		रद्द किये गये दावे		अनिर्णीत दावे	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
भाग "अ" : निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981*												
पहली अप्रैल, 1981 से 31 दिसंबर, 1981	1308	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1308	1.74
पहली जनवरी, 1982 से 31 दिसंबर, 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
पहली जनवरी, 1983 से 31 दिसंबर, 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
पहली जनवरी, 1984 से 31 दिसंबर, 1984	18300	53.98	9522	13.73	7885	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91
जोड़	32946	97.70	19955	28.79	14581	13.71	5213	13.54	161	1.44	-	-

अनुबंध XIII (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भाग "आ" : लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी (31 मार्च, 1981 से रूढ़) **												
1 अप्रैल, 1981 को अनिर्णीत दावे (भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये)	30826	98.18										
पहली अप्रैल, 1981 से 31 दिसंबर, 1981	13911	20.56	5447	10.69	4225	6.54	462	1.94	760	2.21	39290	108.05
पहली जनवरी, 1982 से 31 दिसंबर, 1982	10447	20.53	20445	24.43	16936	14.62	2309	5.57	1200	4.24	29292	104.15
पहली जनवरी, 1983 से 31 दिसंबर, 1983	7878	20.08	19469	26.78	16394	16.28	1734	7.23	1341	3.27	17701	97.45
पहली जनवरी, 1984 से 31 दिसंबर, 1984	7921	16.50	18262	33.53	10214	21.32	5496	8.33	2552	3.88	7360	80.42 [₹]
उप-जोड़ : 40157 77.67 63623 95.43 47769 58.76 10001 23.07 5853 13.60												

जोड़ : 70983 175.85 63623 95.43 47769 58.76 10001 23.07 5853 13.60												

@ इनमें से 15.83 करोड़ रुपये के लिए 4,767 दावों की जांच की जा चुकी है और ऋण संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

₹ इनमें से 55.17 करोड़ रुपये के लिए 5,867 दावों की जांच की जा चुकी है और ऋण संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

* भाग अ : यह निगम की देयता है।

** भाग आ : यह सरकार की देयता है।

23rd Annual Report 1984

Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation

Bombay-India